खण्ड-448, अंक-7
सोमवार, 27 माघ, शक संवत् 1925
(16 फरवरी, 2004 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
प्रश्नोत्तर	1-47
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	47-48
जनपद गाजीपुर के सादात विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर में राजकीय महिला हाईस्कूल के भवन हेतु धन आवंटन के उपरान्त भी निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद सीतापुर के बेहटा विधान सभा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि बिसवां विधान सभा क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
जनपद झांसी की तहसील तहरौली में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सम्बन्धित विधायकों की संस्तुति पर पांच ग्रामों का विद्युतीकरण सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	49-50
गंगा नदी के बहाव की दिशा परिवर्तन से गांवों के कटान पर सिंचाई मंत्री द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न ...	50
इलाहाबाद नगर में द्वितीय जलकल के निर्माण के लिये नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न ...	51
श्री रमेश कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र की सूचना	51
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन 1997-98 ..... (सदन के पटल पर रखा गया।)	52
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	52-56
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ..... (जारी) ...	57-104
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	104-105
जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र लालगंज में खुकमा देवरी मार्ग से मेहनाजपुर-झीनपुर मार्ग व बेसों नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	105-106

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर में विश्व बैंक की सहायता से बनने वाले अस्पताल को अन्यत्र ले जाये जाने के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	106
गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	106
राज्य कर्मचारियों की भांति स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनवृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	106-107
प्रदेश में ट्यूबवेलों हेतु बनी क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	107-108
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम लि0 लखनऊ में करोड़ों रुपयों के घोटाले एवं वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री का केवल वक्तव्य	108-109
जनपद गाजियाबाद में सिम्भौली मिल से होने वाले जल व वायु प्रदूषण के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	109-110
जनपद इलाहाबाद स्थित अवंतिका कालोनी के लोगों का धन एक ठग व्यापारी द्वारा लेकर फरार होने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	110
जनपद झांसी की तहरौली तहसील में सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मार्केट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	111-112
जनपद फतेहपुर में बिना विधायक की संस्तुति के विधायक निधि का इस्तेमाल किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	112-114
नत्थियां	115-120

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 08 मिनट पर उपाध्यक्ष डा0 वकार अहमद शाह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 8 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-266

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कुमार, डा0	बागपत
अर्जीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थ नगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ऊषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर

ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीना नाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर

सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सियाराम सागर, डा0	बरेली	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री)
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के मंत्रीगण की सुविधाओं में कमी करने का प्रस्ताव

*1-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये मंत्रीगण की सुविधाओं में कमी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये शासन द्वारा मा0 मंत्रीगण की सुविधाओं में यथास्थिति पर्याप्त कमी समय-समय पर की जा चुकी है। सरकार के पास वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि मंत्रियों को क्या-क्या सुख सुविधायें अनुमन्य हैं और उन पर प्रतिमाह कितना खर्च होता है, दूसरा प्रश्न है कि जो आपने कहा है कि उनकी सुविधाओं में कमी की जा रही है तो किन-किन सुविधाओं में आपकी सरकार आने के बाद कमी की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि सुख-सुविधायें, तो मान्यवर, सुख के बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं और सुविधाओं के बारे में जो आपका प्रश्न है तो सुविधायें केवल आपकी, क्योंकि आप तो सुख के जमाने से यहां सदस्य हैं, हम तो दुःख के जमाने के हैं और दुःख से ही यहां आये हैं पहले सुविधायें बहुत ज्यादा प्राप्त थीं और एक-एक मंत्री के ऊपर दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये खर्च हो जाता था, उनके जेब खर्च पर। इससे समाज में प्रतिक्रिया थी और एक तरह का सामाजिक दबाव था, इस सरकार ने उस दबाव को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया और 15 हजार रुपये प्रतिमाह से ज्यादा जेब खर्च के लिये नहीं स्वीकृत किया गया, यह प्रदेश के अन्दर और बाहर के लिये स्वीकृत था।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

जब से प्रदेश में आपकी सरकार आयी है माननीय मंत्रियों के जो भवन एलाट किये गये हैं उन भवनों के रिनोवेशन और साज-सज्जा पर अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है फिर भी मैं बता दूं, इस बन्दे की सिर्फ कोठी की दीवार ही बनी है, बाकी कुछ और नहीं बना है, मान्यवर, मैं इनके प्रश्न का मूल मंत्र समझ रहा हूं मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, मान्यवर न तो मेरे बाथरूम में मिरर लगा है जिसमें मैं अपना चेहरा देखकर सेविंग कर सकूं और न ही वहां पर तौलिया टांगने और साबुन रखने के लिये कुछ लगाया

गया है। बस हमारे और आपके टण्डन जी के बीच दीवार ऊंची करा दी गयी है, हालांकि इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, जिन्होंने दीवार ऊंची कराई उनको जरूर इसमें फायदा था, मान्यवर, हमें टण्डन जी से कोई खतरा नहीं था। हम तो चाहते थे कि यह दीवार बिल्कुल हटा दी जाय। मान्यवर, और चीजों के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

(व्यवधान)

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

जहां इसमें उत्तर में यथास्थिति लिखा है वहां यथासम्भव टाइप हुआ होगा उसे ठीक कराने की जरूरत है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उसे ठीक करा लेंगे।

उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण तथा थानों को कम्प्यूटरीकरण करने की योजना का क्रियान्वयन

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण और थानों को कम्प्यूटरीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी हां।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 1969-70 से भारत सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत केन्द्रांश.व राज्यांश के आधार पर एक योजना संचालित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत सहायता के रूप में प्राप्त हो रही थी। वर्ष 1999-2000 तक उक्त योजना के अन्तर्गत केवल उपकरण ही क्रय किये जा सकते थे परन्तु वर्ष 2000-2001 से उक्त योजना को भारत सरकार द्वारा संशोधित किया गया तथा अब योजनान्तर्गत भवन निर्माण, उपकरण, अस्त्र-शस्त्र आदि क्रय किये जा सकते हैं। वर्ष 2003-2004 से भारत सरकार द्वारा पुनः उक्त योजना संशोधित स्वरूप में लागू की गयी है जिसमें अब 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता तथा 40 प्रतिशत राज्यांश की व्यवस्था है। यह योजना उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डम्गामार वाहनों को बन्द कराने की मांग

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डम्गामार वाहनों को बन्द करने की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। डम्गामार वाहनों को बन्द करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तो नहीं बनायी गयी है, किन्तु इसकी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर एवं नियमित चेकिंग द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डग्गामार वाहनों को बन्द करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तो नहीं बनायी गयी है। परन्तु इस बात से डिनाई भी नहीं किया गया है कि डग्गामार वाहन नहीं चलते हैं। डग्गामार वाहनों का चलना स्वीकार किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब से वर्तमान सरकार बनी है, तब से कितनी गाड़ियां बन्द की गयीं और कितने डग्गामार वाहन बन्द किये गये और कितने स्थानों पर चेकिंग हुई और कितना जुर्माना कलेक्ट किया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यूं तो यह कन्टीन्यूड प्रोसेस है और वह मेरे ख्याल से समस्या का हल नहीं है।

मान्यवर, जो जवाब इस वक्त मौजूद है नारमल चेकिंग होती है उसके आंकड़ों के तहत वह आंकड़े दिये गये हैं लेकिन दरअसल वह हल नहीं है उस पर विचार की जरूरत है। इसमें अधिकारियों के अलावा हम राजनीतिक लोगों को भी विचार करना पड़ेगा। मान्यवर, वर्ष 2002-2003 में 57595 यात्री वाहनों का चालान करके 23702 यात्री वाहनों को विभिन्न पुलिस थानों में निरुद्ध किया गया और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 में माह दिसम्बर, 2003 तक 45053 यात्री वाहनों का चालान करके 20086 यात्री वाहनों को विभिन्न पुलिस थानों में निरुद्ध किया गया है।

मान्यवर, सामान्य चेंकिंग के अतिरिक्त गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अब तक डग्गामारी एवं अवैध संचालन के विरुद्ध दिनांक 01-6-2002 से 15-6-2002 तक, माह नवम्बर/दिसम्बर, 2002 में, दिनांक 6-5-2003 से 19-5-2003 तक, 19-6-2003 से 25-6-2003 तक, माह जुलाई, 2003, दिनांक 7-10-2003 से 14-10-2003 तक एवं माह नवम्बर, 2003 में चलाये गये विशेष चेकिंग अभियानों के फलस्वरूप 32040 वाहनों का चालान करके 16861 वाहनों को विभिन्न पुलिस थानों में निरुद्ध किया गया। इस कार्यवाही के तहत प्रशासन शुल्क के रूप में 3.62 करोड़ एवं मार्ग पर करों की वसूली के रूप में 3.83 करोड़ की सरकारी राजस्व की प्राप्ति हुई।

मान्यवर, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्रत्येक माह में 3-4 दिन प्रवर्तन अधिकारियों एवं परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जाती है। इस कार्यवाही के तहत वित्तीय वर्ष 2003-2004 में माह दिसम्बर, 2003 तक कुल 14282 यात्री वाहनों का चालान करके 7915 यात्री वाहनों को विभिन्न पुलिस थानों में निरुद्ध किया गया इसके फलस्वरूप प्रशासन शुल्क के रूप में रुपये 2.88 करोड़ के सरकारी राजस्व की प्राप्ति हुई।

मान्यवर, अनाधिकृत संचालन पर अंकुश लगाने के दुष्टिकोण से शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी चेकिंग हेतु अधिकृत किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर जनपद में माह दिसम्बर, 2003 में 1740 वाहनों के चालान किये गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जब से यह सरकार आयी है लेकिन माननीय मंत्री जी ने 2002-2003 का बता दिया।

श्री उपाध्यक्ष-

आपका मूल प्रश्न क्या था, यह सरकार कब से आयी है यह तो मूल प्रश्न में नहीं था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं जानना चाहता था, जब से वर्तमान सरकार आयी है। मान्यवर, एक समस्या की शुरूआत होती है, और समस्या का निदान भी शुरू नहीं होता है, अगर इस कानून को व्यवहारिक बना दिया जाय तो डग्गामारी में कमी भी हो सकती है, और समाप्त भी हो सकती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर जो लिखित रूप से पढ़ा है, उसके पहले से इस बात को स्वीकार किये कि यह समस्या का हल नही है, जो समस्या का हल है, उस दिशा में सरकार क्या कार्यवाई कर रही है ? मिशाल के तौर पर कानून को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। आपने बताया कि सात सवारी जीप पर बैठेगी जबकि जीप पर बैठने का स्थान 12 है और उस संख्या को समाप्त कर सात कर दिया। जो बैंक से लोन लेकर ड्राइवर या मालिक गाड़ी चलवायेगा उसमें ड्राइवर को भी रोटी चाहिये, क्लीनर को भी रोटी चाहिये, और मालिक को भी कुछ चाहिये, तो जब सात की जगह बारह सवारी का परमिट जारी नहीं होगा, तब तक यह समस्या अपने आप में बनी रहेगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस पर क्या विचार कर रहे हैं ? आखिरकार इस सरकार की इस अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्ययोजना है ? मैं जानना चाहता हूं कि हम नहीं कर पाये इसलिये इधर बैठ गये लेकिन जो उधर बैठे हैं उनके यह कहने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती इस समस्या का निदान यह नहीं है, इस समस्या का निदान किया जाना चाहिये। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से इस जिज्ञासा का उत्तर चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसा कदाचित नहीं कहा गया कि आप इस वजह से उधर बैठे हैं। एक वजह कम भी कर देंगे तो इधर तो आ नहीं जायेंगे। उसकी वजह डग्गामारी भी है, जुगाड़ भी है किसी समय जुगाड़ को लीगलाइज कर दिया गया, फिर जुगाड़ नहीं चला और उधर चले गये। तो हमारी गलती तो नहीं जब तक जिसका जुगाड़ चला। लेकिन आपका जो सुझाव है तो आपको परेशानी है इसका हल होना ही चाहिये। मैं भी यह कह रहा था कि बाकी चीजों का हल निकाला जाय। इस पर समस्या का समाधान निकलेगा और विचार किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या इस व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने पर विचार करेंगे या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष-

विचार करने की बात तो हो रही है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर अनेक स्थानों पर जो डग्गामार वाहन हैं बिना लाइसेंस, बिना परमिट के चलते हैं और पुलिस का हर वाहन पर पैसा बंधा हुआ है। वह कहते हैं कि ज्यादा सवारी नहीं भरेंगे तो क्या देंगे, क्या कमायेंगे और क्या खायेंगे ? चूंकि डग्गामार वाहन बिना परमिट बिना

लाइसेंस बनाये चल रहे हैं और ज्यादा सवारी भी बैठाल रहें हैं जिससे एक्सीडेंट भी होता है और मृत्यु भी हो जाती है तो क्या समस्या के समाधान के लिये इस जटिलता पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, केवल इतना ही नहीं है। आखिर में जो प्रश्न किया है, अगर इसी हद तक बात होती, गाड़ी वाले, गाड़ी मालिक अपनी कमाई के लिये ऐसा कर रहा है तो यह एक समस्या थी, इतनी ज्यादा गाड़ियां ओवरलोडेड हो जाती हैं, ड्राइवर इतना किनारे पर बैठकर गाड़ी चलाता है। हमारी तरफ का मालूम नहीं कि क्या हालत है ? लाशें गिनी जाती हैं, ड्राइवर साहब तो कूद जाते हैं, 99 परसेन्ट तो यही होता है और सवारियां मर जाती हैं। 11-11, 12-12 लाशें गिनी जाती हैं, कोलेप्स हो जाता है, बुराई यह भी है, इस बुराई को रोकने की जरूरत है, कड़ाई से रोकने की जरूरत है। सिर्फ चालान करके, आमदनी बढ़ा देने से समस्या का हल नहीं है और यह कोई न्याय भी नहीं है। इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह दोनों तरफ की बुराई है, उसको रोकने में सरकार जो भी कड़ाई से लागू कर सकती है, उसका पूरा प्रयास करेगी, बाकी ऐसे मामलों में कमी आई है, वह पूरा पढ़कर मैंने सुनाया, पहले से जयादा चालान हुये हैं, ज्यादा पकड़ की गयी है, ज्यादा रोकथाम की जरूरत है और ऐसा करेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि छोटी जीपें हैं, जो शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं, वह स्वयं इनको चलाकर अपने घर की रोजी-रोटी चलाना चाहते हैं, और चला भी रहे हैं। जितना वह खुद नहीं पाते हैं, उससे ज्यादा वह टैक्स दे रहे है। और उससे ज्यादा पुलिस वाले थाना वाइज ले लेते हैं। क्या सरकार पुलिस को इस अधिकार से वंचित करेगी कि गाड़ियों से रंगदारी टैक्स लेना पुलिस बंद कर दे। आपने पिछली बार ऐसा किया था, बड़ा अच्छा संदेश गया था, लोग प्रसन्न थे। श्रीमन्, जो बेरोजगार हैं, उनको आप पुलिस उत्पीड़न से मुक्त कर दें जो अपनी गाड़ी स्वयं चला रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, माननीय श्रम मंत्री के इम्प्लायमेंट कार्यालय में, वह अपने नाम पर गाड़ी लेकर चलाते हैं, उनकी गाड़ियों को टैक्स फ्री कर दीजिये, क्या सरकार की ऐसी योजना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, तब तो सरकार बेरोजगार हो जायेगी और सरकार बेरोजगार हो गयी तो सारी व्यवस्था पंगु हो जायेगी। एक सिस्टम है। सरकार और क्या राहत दे सकती है, रेट आफ इन्ट्रस्ट कैसे कम हो सकता है, किश्तों की अदायगी में क्या सहूलियत हो सकती है, जिसमें उसको प्रमोट किया जा सकता है, वह इससे अलग की बात है, उसे सरकार देख रही है, इसीलिये रोजगार के दरवाजे खोले जा रहे हैं, लोनिंग के लिहाज से इन्ट्रस्ट कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अभी यह कह देंगे कि हमें इधर पहुंचाने का कारण बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यह संवेदनशील सरकार है और ज्यादा काम करने की जरूरत है, वह हो रहा है।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-4 में श्री राम बाबू हरित तथा प्रश्न संख्या-5 में श्री संजीव दरियाबादी का नाम पुकारे जाने पर, वह अनुपस्थित थे।)

नोट :-नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नागरिक चार्टर 2000 के संशोधन सम्बन्धी जानकारी

*4-डा0 राम बाबू हरित-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन द्वारा नागरिक चार्टर 2000 को संशोधित किया गया है ? यदि हां, तो कब और क्या-क्या संशोधन किये गये हैं ? क्या प्रदेश के 12 नगर निगमों 225 नगरपालिका परिषदों और 449 नगर पंचायतों में इसका अनुपालन कराया जी रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां वर्ष 2001 में।

इसमें शिकायत का निस्तारण/प्रभावी कार्यवाही न करने की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण व तद्नुसार दण्ड की व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने व शिकायतों के निस्तारण हेतु स्वयं सेवी संस्था की सहभागिता सुनिश्चित की गयी है। वर्ष 2001 में संशोधित नागरिक चार्टर केवल प्रदेश में 11 नगर निगमों में लागू किया गया तथा तदुपरान्त शासनादेश संख्या-360/ना-8-2002-26ज/98, दिनांक 11 फरवरी, 2002 द्वारा प्रदेश के 11 नगर निगमों, 195 नगर पालिका परिषदों व 417 नगर पंचायतों में संशोधित नागरिक चार्टर 2002 लागू करने के निर्देश दिये गये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 115-116 पर।)

प्रदेश में "रक्षा बंधन पर्व" के निर्बन्धित अवकाश को राजपत्रित अवकाश में परिवर्तित करने की मांग

*5-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में "रक्षा बंधन पर्व" के निर्बन्धित अवकाश को राजपत्रित अवकाश में परिवर्तित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

दो निर्बन्धित अवकाश सहित वर्तमान में कुल 29 सार्वजनिक अवकाशों की संख्या के दृष्टिगत और अधिक अवकाश घोषित किया जाना उपयुक्त नहीं है।

*6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[दिनांक 10-2-2004 को अल्पसूचित तारा0 प्र0 सं0-1 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के जनपदों में कार्यरत एस0आई0एस0 विशेष अनुसंधान शाखा

1-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0आई0एस0 विशेष अनुसंधान शाखा प्रदेश के कितने जिलों में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि जनपद-लखनऊ की विशेष अनुसंधान शाखा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ने अपने आदेश दि0 25-7-2002 द्वारा समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शाखा समाप्त करने की स्वीकृति शासन से प्राप्त की

है ? यदि नहीं, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

एस0आई0एस0 विशेष अनुसंधान शाखा प्रदेश के कुल 42 जनपदों में कार्यरत है। तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के द्वारा यह कार्यवाही प्रशासनिक सुधार एवं बेहतर कार्य प्रणाली के दृष्टिकोण से की गयी थी। विशेष अनुसंधान शाखा को पुनः प्रभावी कर दिया गया है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता हैं।

पूर्वांचल विकास निधि "राज्यांश" अन्तर्गत जर्जर सड़कों के नव निर्माण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि "राज्यांश" अन्तर्गत जर्जर सड़कों के नव निर्माण हेतु आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन-अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन को आगणन/प्रस्ताव सहित पत्रांक सं0-2238/संविआ/पू0वि0नि0/2003-04 दि0 24 नवम्बर, 2003 वित्तीय स्वीकृति प्रदान एवं धन अवमुक्त किये जाने तथा मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र 8/9 दिसम्बर, 2003 तथा 8 जनवरी, 2004 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? क्या उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सचिव, मा0 मुख्य मंत्री (नियोजन) को फैक्स द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 31-12-03 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ किन्तु मा0 प्रश्नकर्ता (सदस्य विधान सभा) के 8/9 दिसम्बर, 2003 तथा 8 जनवरी, 2004 के पत्रों का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

जी हां।

प्राप्त आगणन परीक्षणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र में छिपैटी, गोकुलपुरा, राजा मण्डी, मंसादेवी, अशोकनगर में जलापूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

3-डा0 राम बाबू हरित-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र में छिपैटी, गोकुलपूरा राजा मण्डी, मंसादेवी, अशोकनगर में पसानी सप्लाई हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की जनता को पानी की सुविधा कब तक दिला दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। समुचित जलापूर्ति धन उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ इंदिरा नगर में ग्राम गाजीपुर स्थित चर्च रोड में अवैध पानी के कनेक्शनों को काटने की कार्यवाही

4-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गाजीपुर स्थित चर्च रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ के निवासियों का पत्र दिनांक 12-1-04 जो उक्त ग्राम में अवैध पानी के कनेक्शनों को काटने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

28 अवैध जल संयोजनों को चिन्हित कर दिया गया है तथा उन्हें नियमित कराने हेतु दिनांक 15-2-2004 तक का समय दिया गया है। उसके बाद नियमित न कराये गये अवैध संयोजनों के विच्छेदन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला अम्बेडकर नगर/ग्राम गोबड़ौर/थाना राजे सुल्तानपुर की श्रीमती लीलावती के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

5-श्री आनन्द सेन-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती लीलावती पत्नी स्व0 श्री प्रेम शंकर लाल ग्राम गोबड़ौर थाना राजे सुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर की जमीन को कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिये जाने की लिखित सूचना मा0 राज्य मंत्री, सहकारिता के पत्र दिनांक 24-12-2003 द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी आलापुर से करायी गयी। जांच से पाया गया कि जिस जमीन पर विपक्षी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, वह विपक्षीगण के ही मकान का खण्डहर है। आवेदिका का आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुआ। एहतियातन स्थानीय पुलिस को सतर्कदृष्टि रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के श्री बृजलाल यादव, सलेमपुर का पुलिस उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

6-श्री आनन्द सेन-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बृजलाल यादव, सलेमपुर जनपद देवरिया का एक लिखित शिकायती-पत्र जो पुलिस उत्पीड़न के सम्बन्ध में था, दिनांक 14-10-03 को मा0 विधायक श्री पूर्णमासी देहाती के पत्र के साथ संलग्न मा0 मुख्य मंत्री जी को भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर/ग्राम गोबड़ौर/थाना राजे सुल्तानपुर की निवासी श्रीमती लीलावती की जान माल की सुरक्षा कराने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

7-श्री आनन्द सेन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती लीलावती पत्नी स्व0 प्रेम शंकर लाल निवासी ग्राम गोबड़ौर थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर की जान माल की सुरक्षा कराने विषयक विशेष सचिव गृह उ0प्र0 शासन के अर्द्धशा0 प0सं0:छः 4481/2003 सीएक्स-6 उ0प्र0 शासन गोपन अनुभाग-6, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में थानाध्यक्ष राजे सुल्तानपुर को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। दिनांक 7-12-2003 को जब थानाध्यक्ष राजे, सुल्तानपुर पुलिस बल के साथ जांच के लिए मौके पर पहुंचे तब उन्होंने पाया कि प्रार्थिनी श्रीमती लीलावती की जान माल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है बल्कि वह तथा उसके परिवारजन विपक्ष से झगड़ रहे थे और पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने। सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107, 116 की रिपोर्ट चालानी दोनों पक्षों के विरुद्ध कर दी गयी और शान्ति बनाये रखने हेतु भा0द0वि0 की धारा-151 के अन्तर्गत झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को इंदिरा नगर लखनऊ तथा इंदिरा नगर विस्तार योजना में भूमि का अधिग्रहण

8-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् इंदिरा नगर, लखनऊ तथा इंदिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में ग्राम गाजीपुर सैदुन्निशां की आबादी, तालाब,

बंजर, ऊसर, शमशान की कौन-कौन से खसरा नम्बरों की भूमि का परिषद् की उक्त योजना में अधिग्रहण नहीं किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इन्दिरानगर, लखनऊ तथा इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के लिए उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा-28/32 के अन्तर्गत अधिग्रहण सम्बन्धी जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, उनमें ग्राम गाजीपुर सैदुन्निशां की आबादी, तालाब, बंजर एवं शमशान की भूमि भी आती है। ग्राम गाजीपुर सैदुन्निशां के खसरा संख्या-19/1 एवं खसरा संख्या-36 की तालाब की भूमि नगर निगम द्वारा मानस बिहार सहकारी आवास समिति को पट्टा किया गया है एवं खसरा संख्या-47 व 34 में आबादी होने के कारण तथा खसरा संख्या-594/2 की भूमि राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज होने के कारण परिषद् को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

उ0 प्र0 नगर योजनान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माणों को हटाये जाने की मांग

9-डा0 पूर्णमासी देहाती-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2000 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0-20 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन 39 अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 26 (क) (1)(2) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है तथा उक्त अधिनियम की धारा 26-क के अन्तर्गत नोटिस दी गयी है, उनके कब्जे से कितनी भूमि मुक्त करायी गयी है व कितने अवैध निर्माणों को हटाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

77,938 वर्गफुट भुमि मुक्त करायी गयी व 12 कब्जों को हटाया गया।

विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। विलम्ब नहीं हुआ। इसलिये विलम्ब के लिये कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार कार्यवाही कर 12 अवैध कब्जों को हटाया जा चुका हैं। शेष अवैध कब्जों को हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है।

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् को इंदिरा नगर विस्तार योजनान्तर्गत भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी जानकारी

10-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इंदिरा नगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना हेतु 546 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है , यदि हां, तो इस योजना में अब तक कितनी भूमि का कब्जा लिया जा चुका है ? इस योजना में भूमि अर्जन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत योजना हेतु प्रथम चरण में ग्राम कमता एवं तकरोही की 172.93 एकड़ भूमि के कब्जे हेतु भूमि अध्याप्ति प्रपत्र तथा प्रतिकर वितरण हेतु रुपये 8.60 करोड़ की धनराशि अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति लखनऊ को परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। भूमि के कब्जे हेतु अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति द्वारा धारा-9/17 की नोटिसें भू-स्वामियों को जारी की जा चुकी हैं आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त ही परिषद् को अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति लखनऊ द्वारा कब्जा मिलना है। प्रारम्भ में यह योजना 1760 एकड़ की प्रस्तावित थी जिसका गजट में प्रथम प्रकाशन दिनांक 19-5-84 को कराया गया परन्तु 1984 में भूमि अध्याप्ति अधिनियम में व्यापक संशोधन के फलस्वरूप कीमतों को ध्यान में रखते हुये परिषद् के संकल्प संख्या-प्रथम/22/86 दि0 19-1-86 द्वारा 760 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया और आपत्तियां प्राप्त करके नियोजन समिति द्वारा 20/21-4-87 को सुनवाई करने के उपरान्त धारा-31(1) के अधीन संकल्प संख्या-पंचम/9/87 द्वारा 972.25 एकड़ भूमि का प्रस्ताव शासन को दिनांक 1-8-97 को योजना की धारा-31(2) की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।

इस योजना में 17 सहकारी समितियां थीं जिनकी भूमि को कम करके 750 एकड़ भूमि प्राप्त होनी थी। संबंधित मूल योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया जिसमें 636.50 एकड़ भूमि अनाधिकृत निर्माणों से घिरी पायी गयी और इन अनाधिकृत निर्माणों के संबंध में शासन द्वारा एक समिति गठित की गई जिसमें जिलाधिकारी के प्रतिनिधि शामिल थे।

उक्त समिति द्वारा 600-700 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु उपयुक्त पायी गई। तद्नुसार पुनः सर्वेक्षण कर योजना के लिये 565.767 एकड़ भूमि का प्रस्ताव धारा-31(2) में स्वीकृति हेतु शासन को दिनांक 1-8-97 को भेजा गया तथा शासन के पत्र संख्या-3116/9-आ-2-2001-3 एच0 बी0/89, दिनांक-25-9-01 द्वारा 546.767 एकड़ भूमि की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई जिसका धारा-32(1) के अधीन गजट प्रकाशन दिनांक-5-1-02 को कराया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7/17 के आदेश/अधिसूचना दि0-2-4-02 को जारी हुई।

उक्त के पश्चात् 546.767 एकड़ भूमि का कब्जा/अवार्ड घोषित करने हेतु भूमि अध्याप्ति प्रपत्र अपर जिलाधिकारी को भेजे गये तथा प्रथम चरण में 172.93 एकड़ भूमि के कब्जे हेतु रुपये 8.60 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, लखनंऊ को दिनांक 23-1-03 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपर जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 10-12-03 द्वारा अवगत कराया गया है कि धारा-9/17 की नोटिसें संबंधित भू-स्वामियों को माह अगस्त/सितम्बर, 2003 में जारी कर दी गई हैं।

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड छपिया, ग्राम सभा सदकरपुर में इन्दिरा आवास हेतु अपात्र लोगों को दी गयी सहायता धनराशि की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग

11-श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खण्ड छपिया जनपद गोण्डा के ग्राम सभा सदकरपुर में विगत पांच वर्षों में इन्दिरा आवास हेतु दी गई सहायता धनराशि अपात्र लोगों को दी गई है ? यदि

हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)-

अपात्र लोगों को कोई सहायता धनराशि नहीं दी गई है।

ग्राम सभा सदकरपुर विकास खण्ड छपिया जनपद गोण्डा में विगत पांच वर्षों में निम्नवत् इन्दिरा आवास आवंटित किये गये हैं :-

क्र0 सं0	वर्ष	नये आवास	उच्चीकृत आवास	कुल
1	1998-1999	--	--	--
2	1999-2000	--	--	--
3	2000-2001	8	--	8
4	2001-2002	--	--	--
5	2002-2003	13	6	19
	कुल	21	6	27

ग्राम सभा सदकरपुर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया गया है तथा पात्रता की जांच ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं सेक्टर प्रभारी से कराकर पात्र लाभार्थियों को ही आवास आवंटित किया गया है।

चूंकि अपात्र व्यक्तियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया गया है। अतः जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, देवसरा आसपुर के खण्ड विकास अधिकारी के पत्र पर कृत कार्यवाही

12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ के पत्र सं0-774/लेखा लिपिक पत्र/2002-3 दि0 2-1-2003 थाना प्रभारी आसपुर देवसरा को सम्बोधित पत्र के साथ श्री गया प्रसाद यादव, लेखा लिपिक द्वारा अभिलेखों में की गई गड़बड़ी की एफ0 आई आर0 दर्ज किये जाने हेतु था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्री गया प्रसाद यादव का मुकदमा किन-किन धाराओं में पंजीकृत किया गया एवं उसमें कौन-कौन अभियुक्त हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

पुनः श्री गया प्रसाद यादव ने यह अवगत कराते हुये कि तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0 एन0 सिंह तथा ब्लाक प्रमुख श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय में आपसी मतभेद था। अपना उद्देश्य सिद्ध करने की नियत से अन्तरंजिश उससे लिखवाये थे। दिनांक 02-01-2003 को उसके द्वारा जो प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा को कार्यवाही हेतु दिया था, उसमें कोई विधिक कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण श्री गया प्रसाद यादव के प्रार्थना-पत्र दि0 02-1-03 पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी

13-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में विभागीय निर्माण इकाई द्वारा कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कराये गये ? क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्यों में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अपने ढंग से कार्य कराने हेतु ठेकेदारों से वित्तीय अनियमिततायें करायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002-03 में मुख्य रूप से गोमती नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम् विस्तार योजना, शारदा नगर योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, कानपुर रोड योजना, हरदोई रोड योजना, भीमराव अम्बेडकर स्मारक व उद्यान, अम्बेडकर मैदान आदि स्थानों में कार्य कराये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की क्षेत्र पंचायत सण्डीला की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कराये गये कार्य

14-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की क्षेत्र पंचायत सण्डीला की बैठक दिनांक 31-5-2003 में सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया था कि 80 प्रतिशत कच्चे तथा 20 प्रतिशत पक्के कार्य कराये जायं तथा यह भी निर्णय लिया गया कि जो क्षेत्र बी0 डी0 सी0 उपेक्षित हैं उनके कार्यों को प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त बैठक के निर्णयानुसार कार्य पूर्ण कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें कौन-कौन दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

जनपद हरदोई की क्षेत्र पंचायत सण्डीला की बैठक दिनांक 31-5-2003 में सर्वसम्मति से 80% कच्चे तथा 20% पक्के कार्यो को लिये जाने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय गत वर्ष 2002-2003 के नकद एवं खाद्यान्न के वार्षिक लक्ष्य के आधार पर लिया गया था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान भारत सरकार द्वारा जनपद को आवंटित नकद एवं खाद्यान्न के वार्षिक लक्ष्यों में परिवर्तन (प्रति मानव दिवस 8.50 कि0 ग्रा0 खाद्यान्न एवं 15.50 रुपया नकद) कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान निर्धारित अनुपात 60.40 के अनुसार कच्चे व पक्के कार्यों को लेते हुये कार्यवाही की जा रही है। सदस्य, क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तावति कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बैठक में लिये गये निर्णयानुसार ही कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की क्षेत्र पंचायत बेंहदर अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में वित्तीय अनियमितता/भ्रष्टाचार की जांच

15-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के क्षेत्र पंचायत, बेंहदर के अन्तर्गत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी, बेंहदर द्वारा सुनिश्चित रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में बड़े पैमाने पर की जा रही वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक जनवरी, 2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां। पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच जिला विकास अधिकारी, हरदोई द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धी कृत कार्यवाही

16-श्री राम हेत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर कोतवाली जनपद रायबरेली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 288/2001 में धारा 173/8 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अग्रिम विवेचना प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और यह विवेचना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मु0अ0सं0-288/2001 में धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अग्रिम विवेचना हेतु अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा आवेदन किया गया था। चूंकि अभियुक्त पक्ष द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में क्रिमिनल मिसलेनियस केस संख्या

2020/03 योजित करके सत्र न्यायालय में चल रही सुनवाई को स्थगित करा लिया गया है अतः 'मा0 सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम विवेचना की अनुमति अभी प्रदान नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में उक्त अभियोग की अग्रिम विवेचना सम्भव नहीं हो सकी है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद वाराणसी नवाबगंज मोहल्ले में साड़ी के दर्जनों कारोबारियों द्वारा केमिकल युक्त प्रदूषित पानी बहाने से उत्पन्न जल प्रदूषण को रोकने हेतु कार्यवाही की मांग

17-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर के नवाबगंज मोहल्ले में साड़ी के दर्जनों कारोबारियों द्वारा प्रतिदिन भारी मात्रा में केमिकल युक्त प्रदूषित रंगीन पानी सीवर में बहाये जाने से जन स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी के उक्त उत्सर्जन को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)-

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आख्यानुसार नवाबगंज, वाराणसी में 06 इकाइयां स्थापित हैं जिनमें मैसर्स तालिब प्रिन्टर्स पूर्ण रूप से बंद है। मै0 शाहिन प्रिन्ट,' में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। तीन इकाइयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, परन्तु निरीक्षण के दौरान संचालित होना नहीं पाया गया है। मै0 शमसुल शुदा पुत्र अब्दुल सत्तार में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। उक्त चारों इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 04-02-2004 को नोटिस जारी कर दिया गया है।

विगत पांच वर्षों में राज्य में पुलिस अभिरक्षा में रहते हुये अभियुक्तों की मृत्यु सम्बन्धी जानकारी

18-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में पुलिस अभिरक्षा में रहते हुये कितने अभियुक्तों की मृत्यु हुई तथा कितने अभियुक्त भागने में सफल हुये ? क्या सरकार द्वारा उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही हैं

जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक पट्टी अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत पुल का निर्माण

19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत पुल अशोकपुन-असुढ़ी सेतु के पहुंच मार्ग एवं अन्य अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु धन अवमुक्त किये जाने एवं प्रस्ताव आगणन मंगाये जाने हेतु राज्य मंत्री, कृषि का पत्र सं0-1204 दिनांक 1-7-03 एवं 1417 दिनांक 22-7-03 आपके आदेश पत्र

सं0-एस/158897/सी एम-1/2003 दिनांक 8-5-03 भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग के अधीन सेतु निगम द्वारा नाबार्ड-4 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार अवशेष कार्य हेतु सेतु निगम द्वारा पुनरीक्षित आगणन लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

गाजियाबाद जिला कारागार में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

20-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-90929/2003 जो जिला कारागार गाजियाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव कारागार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)-

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित मृत्यु के प्रकरण की मैजिस्टीरियल जांच प्रचलित है अन्य शिकायतें साक्ष्यों के अभाव में पुष्टित नहीं पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मध्य विधान सभा क्षेत्र (लखनऊ) स्थित मौ0 पुराना टिकैतगंज की भयावह सीवर व्यवस्था को ठीक कराने हेतु कार्य योजना

21-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मध्य विधान सभा क्षेत्र (लखनऊ) स्थित मो0 पुराना टिकैतगंज की भयावह सीवर व्यवस्था को ठीक कराने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

संविधान के 74वें संशोधन के उपरान्त अनुच्छेद 243-3 के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के उपरान्त राज्य सरकार के राजस्व का स्थानीय निकायों को संक्रमण राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में निकायों को सीधे कर दिया जाता है। संबंधित स्थानीय निकाय उस वित्तीय सहायता का उपयोग स्वयं उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार

पर करते हैं। उक्त संवैधानिक व्यवस्था 1 अप्रैल, 1997 से लागू कर दिये जाने के उपरान्त किसी कार्य विशेष हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। इसलिए अब राज्य सरकार द्वारा स्वयं इस प्रकार के कार्य किये जाने अथवा इस हेतु कोई विशेष अनुदान दिया जाना अपेक्षित नहीं है। नगर निगम अधिनियम, 1959 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत यह सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित नगर निगम का है, जिसे उसके अपने संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सम्पन्न कराने की अपेक्षा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित थाना ताल कटोरा को कोतवाली बनाये जाने की मांग

22-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित थाना ताल कटोरा का कार्य क्षेत्र एवं जनसंख्या को देखते हुए उसे कोतवाली बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तमान में थाना तालकटोरा से ही क्षेत्र का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। प्रदेश के आर्थोपाय को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में थाना तालकटोरा को कोतवाली बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झाँसी जल संस्थान के डिवीजन झाँसी/ललितपुर/जालौन में अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण की मांग

23-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि झाँसी जल संस्थान के डिवीजन झाँसी/ललितपुर/जालौन में कितने अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण अन्य जनपद में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

झांसी डिवीजन 5 संस्थान में 10 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर केवल 14 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं। कोई भी सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर में कोआपरेटिव विभाग द्वारा स्थापित सहकारी बैंकों की जानकारी

24-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर में कितने सहाकरी बैंक कोआपरेटिव विभाग द्वारा स्थापित हैं उनमें से कितने घाटे में और कितने बन्द हो गये हैं ? घाटे का कारण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन बैंकों में कितनी सरकारी गाड़ियां वर्तमान समय में उपलब्ध हैं और उनका उपयोग कहां-कहां किसके द्वारा किया जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। जनपद बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया एवं कुशीनगर में कुल चार जिला सहकारी बैंक स्थापित हैं। जिला सहकारी बैंक लि0 बलिया मऊ एवं आजमगढ़ घाटे में एवं जिला सहकारी बैंक देवरिया लाभ पर कार्यरत हैं। इसमें से कोई बैंक बन्द नहीं हैं।

सदस्यों को दिए गए ऋण की पूर्ण वसूली न होना, लगे ऋण पर वाजिब वसूली की शतप्रतिशत वसूली न होना ब्याज के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार हानि पर होते हुए भी प्राविधान करने की बाध्यता होना, समिति एवं बैंक के मध्य लगे ऋण में उच्च स्तर का ऋणान्तर होना।

उक्त बैंकों में कोई भी सरकारी गाड़ी वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सहकारिता सेवा मण्डल एवं कोआपरेटिव बैंक में स्थानान्तरण नीति

25-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सहकारिता सेवा मण्डल लखनऊ एवं कोआपरेटिव बैंक लखनऊ में कितने अधिकारी 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? क्या उक्त अधिकारियों पर स्थानान्तरण नीति लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल लखनऊ एवं उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ में कोई भी अधिकारी 10 वर्ष से अधिक समय से वर्तमान में धृत पद पर एक ही स्थान पर तैनात नहीं है।

जी हां। उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल लखनऊ में शासन की नीति एवं उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 में बैंक द्वारा बनाई गई स्थानान्तरण नीति लागू है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश जल निगम इंजीनियर एसोसियेशन द्वारा जल निगम के प्रबन्ध निदेशक/कार्यदायी संस्था के प्रभारी निदेशक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी शिकायतों की जांच

26-श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम इंजीनियर एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा नवम्बर, 2003 के मध्य जल निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यदायी संस्था के प्रभारी निदेशक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष एवं सचिव, नगर विकास को भेजी गयीं, प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर परिषद् अकबरपुर में कार्यरत स्थाई सफाई कर्मचारी तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

27-श्री अजीम भाई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर परिषद् अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में कुल कितने सफाई कर्मचारी स्थाई पद पर कार्यरत हैं और कितने सफाई कर्मचारी ऐसे हैं, जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं ? क्या सरकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां,

नगर पालिका परिषद, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (सम्प्रति जनपद फैजाबाद) में 34 सफाई कर्मचारी स्थाई पद पर तथा 9 सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-1335/नौ-1-03-116सा/98, दिनांक 10 जुलाई, 2003 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर में कार्यरत दैनिक सफाई कर्मचारी पात्र न होने के कारण उन्हें नियमित किया जाना सम्भव नहीं है।

उ0 प्र0 सीमेन्ट कारपोरेशन चुर्क मिर्जापुर से आफिसर इन्चार्ज परचेज आरगेनाइजेशन पद से सेवानिवृत्त हुए स्व0 श्री नुजहत अली की पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण किये जाने संबंधी पत्र

28-श्री प्रभु नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शफकत फातिमा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-9-03 जो अपने स्व0 पति श्री नुजहत अली रिटायर्ड पी0सी0एस0 अधिकारी जो उ0 प्र0 सीमेन्ट कारपोरेशन चुर्क, मिर्जापुर (वर्तमान में सोनभद्र) से आफीसर इन्चार्ज परचेज आरगेनाइजेशन के पद से

सेवानिवृत्त हुए थे और जिनकी वर्ष 1993 में मृत्यु हो गयी, का शासनादेश सं0-सा0-3-3-384/दस-300/99 दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसरण में कुटुम्ब पेंशन में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नियुक्ति विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13-04-2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण का प्रश्नगत प्रकरण जिलाधिकारी सोनभद्र सन्दर्भित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर की सीवर लाइन को चालू कराने की मांग

29-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर की सीवर लाइन पर कई करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है परन्तु अभी तक चालू नहीं हुई है ? यदि हां, तो उक्त सीवर लाइन चालू न होने के क्या कारण है तथा उसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां। शाहजहांपुर जलोत्सारण योजना पर वर्ष 1983-84 से अब तक रु0 1.89 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। सीवर लाइन आंशिक रूप से चालू है।

सीवर लाइन आंशिक रूप से चालू है तथा शेष टेस्टिंग में हैं। टेस्टिंग कार्य जून, 2004 तक पूर्ण करा लिया जाना सम्भावित है।

जनपद लखनऊ में चौक-ठाकुरगंज बालागंज मार्ग पर बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु विक्रम टैक्सी चलाने पर रोक लगाये जाने की मांग

30-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चौक-ठाकुरगंज, बालागंज लखनऊ मार्ग पर बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विक्रम टैक्सी चलाने पर रोक लगायेगी , यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

चौक-ठाकुरगंज-बालागंज नगर बस मार्ग संख्या-4 (गोमतीनगर- चारबाग-चौक- ठाकुरगंज-बालागंज-दुबग्गा) का भाग है। चौक-ठाकुरगंज-बालागंज-दुबग्गा मार्ग टैम्पो-टैक्सियों के संचालन के लिए निषिद्ध है। इस मार्ग के लिए कोई परमिट जारी नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की सीमान्तर्गत अवशेष सड़क को लेपन स्तर तक के निर्माण की मांग

31-श्री कोविद कुमार सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-80 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद की सीमान्तर्गत अवशेष 01 कि0मी0 लम्बी सड़क को क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 में लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज पाल त्यागी-

जनपद फैजाबाद की सीमान्तर्गत अवशेष 01 कि0मी0 लम्बी सड़क का लेपन स्तर तक निर्माण वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रस्ताव/धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, जोन-5, मोतीझील, कानपुर से मोहर्रिर पद से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान सम्बन्धी जानकारी

32-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993 में नगर निगम जोन-5, मोतीझील, कानपुर से मोहर्रिर के पद से कितने लोग सेवानिवृत्त हुए ? क्या यह सही है कि ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 9 माह से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कैलेण्डर वर्ष 1993 में नगर निगम जोन-5 मोतीझील, कानपुर से मोहर्रिर के पद से कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त नहीं हुआ है।

नगर निगम, कानपुर में पेंशन धारकों को माह मई, 2003 तक का भुगतान किया जा चुका है। जून, 2003 का भी अधिकांश कर्मियों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। जुलाई, 2003 से देय पेंशन का भुगतान किया जाना शेष है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण धनाभाव है। वित्तीय स्थिति में सुधार होते ही अवशेष पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में तहसीलदारों की डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी जानकारी

33-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व राजस्व मंत्री बाबू राम यादव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर संवर्ग में प्रोन्नति का कोटा सम्पूर्ण पी0सी0एस0 संवर्ग का पचास प्रतिशत निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में कितने तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रोन्नत होना शेष है ? क्या इस हेतु कोई अधियाचन भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अधीन नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों को पदोन्नति के और अवसर प्रदान करने तथा उनके संवर्ग सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु श्री अरविन्द वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी थी कि पी0सी0एस0 में पदोन्नति का कोटा 33.33 प्रतिशत से बढ़ाकर पचास प्रतिशत किया जाय जिसे वर्ष

1996 से 40 प्रतिशत तथा वर्ष 99 या 2000 से 50 प्रतिशत कर दिया जाय। उक्त समिति की रिपोर्ट पर निर्णय हेतु तत्कालीन राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में एक प्राधिकृत समिति गठित की गयी थी। इस समिति द्वारा श्री अरविन्द वर्मा समिति से सहमत होते हुए पी0सी0एस0 में प्रोन्नति कोटा 33.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की संस्तुति को स्वीकार किया गया। उक्त पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सिविल (कार्यकारी शाखा) नियमावली-1982 में यह व्यवस्था की गयी है कि "परन्तु यह भी कि भर्ती इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (पंचम संशोधन) नियमावली-1997 के प्रारम्भ से यथा सम्भव, संवर्ग के चालीस प्रतिशत पद आयोग द्वारा चयन किये गये पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा धृत किये जायं और जुलाई, 1999 के प्रथम दिवस से संवर्ग के पचास प्रतिशत पद आयोग द्वारा चयन किये गये पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा धृत किये जायं।"

तद्नुसार पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा नगरों के सौन्दर्यीकरण/सड़कों के सुधारीकरण हेतु लागू की गयी टास्कफोर्स योजना

34-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नगरों के सौन्दर्यीकरण एवं सड़कों के सुधारीकरण हेतु टास्कफोर्स की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वर्ष 2000-01 से लागू की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल निगम के अध्यक्ष का इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

35-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, जल निगम का पत्र सं0-346/सी0एम0-ग्रामीण/2002, दिनांक 3-11-02 जो ए0 आर0 डब्लू0 एस0 पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित 500 अतिरिक्त इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प को अधिष्ठापित किये जाने के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज पाल त्यागी-

जनपद प्रतापगढ़ में त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 अतिरिक्त इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प आवंटित किये जाने हेतु अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-346/सी0एम0-ग्रामीण/2002, दिनांक 19-10-2002 द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया है।

धनाभाव के कारण उक्त हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर की ग्राम पंचायत गोगेपुर में प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास आवंटित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

36-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर की ग्राम पंचायत गोगेपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में आवास आवंटित करने के विषय में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20-6-03 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर ने कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

जी हां। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा समुचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में ग्राम पंचायत गोगेपुर का चयन नहीं किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में ग्राम पंचायत गोगेपुर के 21 लाभार्थियों का चयन किया गया था। जिसमें से 11 लाभार्थियों को धनराशि की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2002-03 में धनराशि अवमुक्त कर दी गयी थी, शेष 10 लाभार्थियों को दिनांक 10-02-2004 को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर वि0 ख0 जैतीपुर, ग्राम पंचायत गोगेपुर में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास हेतु अवमुक्त धनराशि

37-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर के वि0 ख0 जैतीपुर के ग्राम पंचायत गोगेपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2002-03 में चयनित आवास हेतु धनराशि अवमुक्त करने विषयक आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 28-7-03 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां। मा0 सदस्य के पत्र पर तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे।

जनपद में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2002-03 में वि0 ख0 जैतीपुर के ग्राम पंचायत गोगेपुर में 11 आवासों के निर्माण हेतु लाभार्थियों के खाते में धनराशि अवमुक्त कर दी गयी थी। शेष 10 लाभार्थियों को वर्ष 2003-04 में माह फरवरी, 2004 में धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में आधुनिक कूड़ाघर बनाने की मांग

38-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में आधुनिक कूड़ाघर बनाने की योजना बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि राजेन्द्र नगर स्थित कूड़ाघर का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला पुराना टिकैतगंज में समुचित जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन के अधूरे कार्य

39-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में स्थित मोहल्ला पुराना टिकैतगंज में पेयजल की निरन्तर कमी बनी रहने के कारण समुचित जलापूर्ति करने के लिये जल संस्थान जोन-6, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता के आदेश पर विगत अगस्त, 2003 में पाइप लाइन डालने का कार्य प्रारम्भ किया गया था, उस कार्य को क्या अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अधूरे किये गये कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है तथा उक्त कार्य को कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा रोड कटिंग की अनुमति न दिये जाने के कारण कार्य रोक दिया गया था। नगर निगम, लखनऊ को रोड कटिंग की तत्काल अनुमति देने के निर्देश दे दिये गये हैं।

रु0 1.153 लाख का व्यय हुआ है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों की रिबोरिंग सम्बन्धी जानकारी

40-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में 31-12-2003 तक रिबोरिंग के लिय इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों की कुल संख्या कितनी है ? इनमें से कितने हैण्डपम्प रिबोर हो चुके हैं ? कितने रिबोर किये जाने शेष हैं ? क्या शेष हैण्ड पाइप रिबोर किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

32

कोई भी हैण्डपम्प रिबोर नहीं हुआ है।

32

जी हां।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर में नगर निगम जोन-5 मोतीझील में कर निरीक्षक "श्रेणी-2 के पद से सेवानिवृत्त" कर्मचारियों को ग्रेच्युटी/नगदीकरण/फण्ड आदि का भुगतान

41-श्री होशियार सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2002 में नगर निगम जोन-5 मोतीझील, कानपुर से कर निरीक्षक "श्रेणी-2 के पद से सेवानिवृत्त" कर्मचारियों को क्या ग्रेच्युटी, नगदीकरण, फण्ड तथा वर्ष 1996 के वेतन आयोग के अनुसार वेतन अन्तर के बकायों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उनका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्ष 2002 में नगर निगम जोन-5 कानपुर से कर निरीक्षक श्रेणी-2 के पद से केवल एक कर्मचारी श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव सेवा निवृत्त हुए हैं। नगर निगम, कानपुर की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण उनके कुल देयों रु0 1,80,278/- का भुगतान नहीं किया जा सका है।

नगर निगम, कानपुर की वित्तीय स्थिति ठीक किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जैसे ही वित्तीय स्थिति ठीक हो जाती है, इनका समस्त भुगतान कर दिया जायेगा।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध कराने की मांग

42-श्री होशियार सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्या वर्दी उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन को अध्यक्ष, अराजपत्रित कर्मचारी संघ, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0 प्र0 द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2003 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। अपर्याप्त बजट व्यवस्था के कारण वर्दी दिया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग की गयी, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकार नहीं किया। बजट की उपलब्धता होने पर वर्दी दी जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

43-श्री मुश्ताक सोलंकी-

[दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के पांच ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ग-3/017508, दिनांक 30-9-02 जो मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण जल निगम, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0 तथा उसके साथ संलग्न प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास का पत्र सं0-बी-29/38-5-2002 क्रमशः आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को जनपद प्रतापगढ़ के पांच ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में था, प्रेषित किया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 29-8-2002 प्राप्त हुआ है, जिसे शासन के पत्र संख्या-नि029/38-5-2002, दिनांक 29-8-2002 द्वारा तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ से जांच कराने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 को प्रेषित किया गया।

मामले की जांच प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा ग्राम्य विकास इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से कराई गई है। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर उ0 प्र0 जल निगम से सूचना मांगी गयी है। सूचना प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित बुलाकी अड्डे से बावली पुलिस चौकी तक पेयजल आपूर्ति हेतु डाली गई पाइप लाइन को उपयोग में न लाये जाने की जांच

45-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ स्थित बुलाकी अड्डे से बावली पुलिस चौकी तक पेयजल आपूर्ति हेतु कुछ वर्षों पूर्व पाइप लाइन डाली गई थी जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है ? इस पाइप लाइन के उपयोग में न लाये जाने के लिये कौन दोषी है ? क्या पाइप लाइन प्रयोग में लायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पाइप लाइन अभी तक उपयोग में न लाये जाने के कारणों की जांच की जा रही है।

जी हां।

प्रश्नगत पाइप लाइन की वर्तमान स्थिति का परीक्षण कराकर उसे शीघ्र चालू कराने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई नगर पालिका सण्डीला से सुअरों को बाहर निकाले जाने की मांग

46-श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों से सुअरों को बाहर किये जाने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2003 को एक शासनादेश

जारी किया गया है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के अन्तर्गत नगर पालिका सण्डीला जनपद-हरदोई से सुअरों को बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर पालिका सण्डीला में बोर्ड की बैठक दिनांक 16-12-2003 को संकल्प लिया गया कि ऐसे सुअर मालिकों को जिनके सुअर नगर में विचरण करते पाये जायें तो उनके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु एस0डी0एम0 सण्डीला के न्यायालय में भेजा जाये।

19 सुअर मालिकों के सुअर खुले पाये जाने पर उनके विरुद्ध उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-255 के अधीन चालान उप जिला मजिस्ट्रेट, सण्डीला को भेजा गया जिनके विरुद्ध जुर्माना और अर्थदण्ड लगाकर वाद निर्णीत किया गया और पुनः धारा-133 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत नोटिस भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मऊ नगर पंचायत कोपागंज में वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में कराये गये कार्यों के विज्ञापन/ टेण्डर/समाचार पत्रों में प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी

47-श्री समर पाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नगर पंचायत कोपागंज जनपद मऊ के वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में कराये गये कार्यों के विज्ञापन टेण्डर किस-किस समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराये गये हैं। क्या नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु शासन द्वारा नामित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहमति पत्र पर कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पंचायत कोपागंज में वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में कराये गये कार्यों के विज्ञापन/टेण्डर हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र, अमर उजाला, भारत दूत, काशी वार्ता, दैनिक जागरण एवं पूर्वांचल सन्देश समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये हैं।

सभी कार्य नगर पंचायत समिति के निर्वाचित व नामित सदस्यगणों की बैठक में बहुमत/सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत वार्डों में नियमित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

48-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत वार्डों में नियमित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो क्यों ? नियमित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मात्र 80 वार्डों में नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं।

लखनऊ नगर सीमान्तर्गत कुल 110 वार्ड हैं। शेष 30 वार्डों में सफाई का कार्य संविदा के आधार पर मानव संसाधन प्राप्त कर कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में गोमती नदी की सफाई से सम्बन्धित शेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग

49-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में गोमती नदी की सफाई से सम्बन्धित कौन-कौन से कार्य शेष हैं और उक्त शेष कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लखनऊ में गोमती नदी को प्रदूषित कर रहे 19 नालों का इण्टरसेप्शन/डाइवर्जन, नालों एवं सीवर के श्राव को ककरहा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक ले जाने का कार्य एवं ककरहा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट आदि के कार्य शेष हैं।

उक्त शेष कार्यों को मार्च, 2007 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित सुभाष मार्ग चौराहे से गोलागंज चौराहे तक जाने वाले क्षतिग्रस्त जगत नरायन रोड की मरम्मत

50-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित सुभाष मार्ग चौराहे से शिक्षा भवन, रेलवे ब्रिज होते हुए गोलागंज चौराहे तक जाने वाले जगत नरायन रोड की स्थिति अत्यन्त जर्जर होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सड़क क्षतिग्रस्त है परन्तु क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटनायें नहीं होती।

धनाभाव के कारण क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत नहीं हो पाई। धन की व्यवस्था होने पर मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

मध्य विधान सभा क्षेत्र जनपद लखनऊ में स्थित मोतीझील में बने बूचड़खानें के स्थानान्तरण की मांग

51-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोतीझील में बने बूचड़खानें को स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो बूचड़खाना कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

हरदोई रोड पर भमरौली शाहपुर गांव में आधुनिक बधशाला के निर्माण हेतु भूमि चयन कर लिया गया है।

आधुनिक बधशाला के निर्माण के उपरान्त ही मोतीझील बधशाला को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद वाराणसी में स्थापित जल पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों को लोगों की प्राण रक्षा हेतु तैरने/गोताखोरी का अलग से प्रशिक्षण प्रदान करने की मांग

52-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी में स्थापित जल पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों को गंगा नदी में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा डूबते हुए लोगों की प्राण रक्षा हेतु तैरना एवं गोता खोरी का प्रशिक्षण प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जल पुलिस को उक्त प्रशिक्षण देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-वाराणसी के जल पुलिस थाने पर नियुक्त पुलिस कर्मी तैरना जानते हैं। पुलिस विभाग में राजपत्रित (पुलिस उपाधीक्षक स्तर का) एवं अराजपत्रित (उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी ना0 पु0) के पाठ्यक्रम मे तैराकी सम्बन्धित शारीरिक प्रशिक्षण कराया जाता है। मुख्य आरक्षी स0 पु0/आरक्षी के बेसिक कोर्स के पाठ्यक्रम में "तैराकी" का उल्लेख है तथा संस्थानों द्वारा कराया जाता है किन्तु गंगा नदी में डूबते हुए लोगों की प्राण रक्षा हेतु तैरना एवं गोतीखोरी का अलग से प्रशिक्षण प्रदान नहीं कराया जाता क्योंकि अलग से इसके लिये कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। इस प्रकार तैराकी एवं गोताखोरी का इन कर्मियों को अलग से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है।

वर्तमान समय में इसका प्रशिक्षण देना प्रस्तावित नहीं है।

प्रस्तर-(1) के अनुसार।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्दिरापुरम् आवासीय योजना हेतु गंगावाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्ट का आगणन परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में

53-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्दिरापुरम् आवासीय योजना हेतु गंगावाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्ट का आगणन कितनी धनराशि का तैयार किया गया था ? क्या प्रोजेक्ट का आगणन परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-7-03 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्दिरापुरम् आवासीय योजना हेतु गंगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्ट का कोई भी आगणन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

जी हां।

जी हां।

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की जांच की गयी जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण

54-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 13-6-2003 द्वारा कितने अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित किया गया ? क्या यह सत्य है कि स्थानान्तरित सभी अवर अभियन्ता अनुसूचित जाति के हैं ? यदि हां, तो क्या वर्ग विशेष के अवर अभियन्ताओं के ही स्थानान्तरण के प्रकरण की जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13-6-2003 के पत्र द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत सर्वश्री बृजेश कुमार एवं देवेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) को जनहित में अन्य विकास प्राधिकरणों में तैनात किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21 जून, 2003 द्वारा श्री बृजेश कुमार का गाजियाबाद से बांदा विकास प्राधिकरण तथा श्री देवेन्द्र कुमार का गाजियाबाद से रायबरेली विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया गया था। तत्पश्चात् उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर श्री बृजेश कुमार, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1-8-2003 द्वारा दिनांक 31-12-03 तक के लिये स्थगित कर दिया गया।

श्री देवेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के रायबरेली विकास प्राधिकरण में किये गये स्थानान्तरण को आंशिक संशोधन करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-8-2003 द्वारा बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण में उनके निजी अनुरोध पर व्यवर्तित किया गया।

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये गये हैं। अतः इसकी जांच का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर0 बी0 भास्कर, तत्कालीन प्रमुख सचिव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच सम्बन्धी पत्र

55-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन अनुभाग-5 के पत्र संख्या एम-35/दो-5-2003-22(28)/74, दिनांक 13-6-2003 जो कि श्री आर0 बी0 भास्कर तत्कालीन प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0 प्र0 शासन द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न में अंकित उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-5 के पत्र संख्या-एम-35/दो-5-2003-22(28)/74, दिनांक 13-6-2003 द्वारा श्री आर0 बी0 भास्कर, आई0 ए0 एस0 (सेवा निवृत्त), तत्कालीन प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग के विरुद्ध कतिपय शिकायत विषयक श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, मा0 सदस्य, विधान सभा व अन्य के पत्र संख्या-ख-2/न0 536039 दिनांक 31-3-2003 जो प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित था तथा प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ था, कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/1/97-का-1/1997, दिनांक 9 मई, 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत मा0 सदस्य, विधान सभा की पुष्टि हेतु भेजा गया था।

यह पुष्टीकरण मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया को करना था और उनके द्वारा पुष्टीकरण किया गया है। पुष्टीकरण सम्बन्धी कोई कार्यवाही इस स्तर पर अपेक्षित नहीं थी।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

जनपद लखनऊ, इन्दिरा नगर सी0 ब्लाक स्थित कतिपय भूखण्डों पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग

56-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के सी0 ब्लाक स्थित भूखण्ड संख्या-सी0-967, 969, 971, 973, 975 पर पिछले 20 वर्षों से अनधिकृत कब्जे हैं ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जों को हटाने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। लेकिन इन्हीं वर्णित भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या सी-967 ब्रिगेडियर धर्मवीर को आवंटित किया गया था, जिसका भौतिक कब्जा मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित आवंटी को दिनांक 28-2-2002 को हस्तगत किया गया। अतः अब भूखण्ड संख्या सी-967 पर अवैध कब्जा नहीं है।

जी हां।

भूखण्ड संख्या-969, 971, 973, 975 पर अवैध कब्जा हटाने हेतु परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ इन्दिरा नगर ग्राम गाजीपुर सैदुलनिशां की जमीन का नगर निगम द्वारा विक्रय करने सम्बन्धी प्रकरण

57-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के मध्य स्थित ग्राम गाजीपुर सैदुलनिशां के खसरा सं0-11, 19 एवं 36 रकबा 4 बीघा 14 बिसवा को नगर निगम, लखनऊ ने मानस बिहार सहकारी आवास समिति को जुलाई, 1995 को विक्रय कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह बिक्री वैध है और इस विक्रय से नगर निगम, लखनऊ को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत भूमि विक्रय नहीं की गयी, बल्कि इनके अवैध कब्जे का विनियमितीकरण करते हुए लीज पर दी गयी है।

विनियमितीकरण वैध है।

इस विनियमितीकरण से नगर निगम, लखनऊ को रु0 11,75,000.00 की धनराशि प्राप्त हुई है।

जनपद लखनऊ, इन्दिरा नगर, ग्राम गाजीपुर सैदुलनिशां के भीतर नगर निगम द्वारा रखे गये कूड़ा कन्टेनर को हटवाने का प्रकरण

58-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित ग्राम गाजीपुर सैदुलनिशां के भीतर नगर निगम, लखनऊ द्वारा कूड़ा डालने वाले कंटेनर रखे गये थे जिसको इस गांव के दबंगों ने हटवाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण गांव वाले पिछले 3 माह से अपना कूड़ा करकट चर्च रोड पर फेंक रहे हैं ? यदि हां, तो इस मामले की जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने व कंटेनरों को पुनः गांव के भीतर रखने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

ग्रामीणों के आपसी विवाद के कारण कन्टेनर को निगम द्वारा हटवा लिया गया था, इसमें किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है, पुनः कन्टेनर निर्धारित स्थल पर रखवा दिया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर तथा अलीगंज के मकानों में चल रहे गेस्ट हाउसों/बारात घरों/बैंकों की तैयार की गयी सूची तथा मकान मालिकों का विवरण

59-श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर और अलीगंज में मकानों में चल रहे गेस्ट हाउसों, बारात घरों व बैंकों की कोई सूची तैयार की गयी है ? यदि हां, तो मकान मालिक आदि का पूरा विवरण क्या है ? क्या इनके खिलाफ उ0 प्र0 नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

भवन स्वामी/आवंटी के पूर्ण विवरण सहित सूची संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 117-120 पर)

लखनऊ में हो रहे अवैध निर्माणों पर अंकुश लगवाने की मांग

60-श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को लखनऊ शहर में हो रहे अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के साथ ही भू-उपयोग के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही करने के निर्देश वर्ष 2003 में दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक अदालत के निर्देश के अनुपालन में कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कुल 496 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 एवं 28 के अन्तर्गत नोटिस दी गयी, 100 निर्माणों को सील किया गया तथा 27 ध्वस्त किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत कतिपय भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

61-श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर आई एवं जे0 के भूखण्डों के आवंटन हेतु जनवरी, 2003 में पंजीकरण खोला गया था ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया और उनको कब तक भूखण्ड आवंटित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वर्ष 2003 में कुल 908 व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कराया गया। मे0 अन्सल हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, बेन्च, लखनऊ में रिट याचिका संख्या 92/2003 दायर कर मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। अतः स्थगनादेश के प्रभावी रहने तक आवंटन की कार्यवाही स्थगित रखी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित चौक चौराहे से दुबग्गा तक बने फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

62-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित चौक चौराहे से दुबग्गा तक बने फुटपाथ पर कतिपय दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किये जाने से पैदल चलने वालों को

परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

जनपद लखनऊ स्थित चौक चौराहे से दुबग्गा तक बने फुटपाथ पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को कोई परेशानी नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ स्थित ग्राम बरावन कला में गांव के अन्दर पड़े कूड़े के ढेरों को हटवाने तथा नालियों की सफाई सम्बन्धी प्रकरण

63-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के तीसरे शुक्र के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-32 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1954 की धारा 114 के अन्तर्गत यह कार्य नगर निगम के दायित्व व अधिकार क्षेत्र में है ? यदि हां, तो जनपद लखनऊ स्थित ग्राम बरावन कला में गांव के अन्दर पड़े कूड़े के ढेर व नालियों की सफाई न किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त गांव के अन्दर पड़े कूड़े के ढेरों को हटाने एवं नालियों की सफाई कराने के लिए आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

बरावन कला गांव बालागंज वार्ड के अन्तर्गत आता है। इस वार्ड में कई अन्य स्टाफ मोहल्ले व गांव हैं। नियमित सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी बरावन कला व उससे सटे हुए अन्य गांव के लिए एक संविदा श्रमिक सफाई व्यवस्था हेतु लगाया गया है, जो रोटेशन से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करता है, इसके अतिरक्त दौरा लगाकर अन्य सफाई कर्मचारियों से भी सफाई करायी जाती है। बरावन कला में कई स्थानों पर नागरिकों द्वारा घूर बनाये गये, जिसे समय-समय पर कूड़ा निस्तारण विभाग से कूड़ा घर से हटाया जाता है। नाली की सफाई भी समय-समय पर करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

64-श्री सत्य नारायण-

[मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

जनपद शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

65-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने विषयक पत्र संख्या-सं0एम0/वि0को0/एम/85482/03, दिनांक

23-9-03 प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

संविधान के अनुच्छेद-227 की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी न्यायालय की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय की सहमति तथा संस्तुति पर ही होती है। तहसील जलालाबाद में सिविल जज (जू0डि0) की स्थापना हेतु मा0 उच्च न्यायालय ने अभिमत दिया है कि उक्त न्यायालय निर्धारित किये गये मानक की पूर्ति नहीं करता है इसलिये जलालाबाद में उक्त न्यायालय की स्थापना नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी नगर निगम में नगर की सफाई हेतु कतिपय कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

66-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम में नगर की सफाई हेतु कर्मचारियों की कमी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कमी को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रदेश के नगर निगमों/नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत नई नियुक्ति न कर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संविदा पर कार्य कराकर सफाई व्यवस्था कराने के निर्देश शासनादेश संख्या-1783/नौ-1-2001-66सी/01, दिनांक 22 जून, 2002 द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

लखनऊ, मध्य विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा कुआं योजनान्तर्गत कुओं का निर्माण एवं गुणवत्ता की जांच

67-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में इन्दिरा कुआं योजना के अन्तर्गत 31-10-03 तक कुल कितने इन्दिरा कुओं का निर्माण कराया गया है, उनमें से कितने संचालन हेतु जल संस्थान को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं तथा हस्तान्तरित किये जाने शेष हैं ? क्या निर्मित इन्दिरा कुओं की गुणवत्ता की जांच शासन द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा कुआं योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-10-03 तक कुल 13 नग इन्दिरा कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

जिला नगरीय विकास अभिकरण लखनऊ द्वारा 13 नगर इन्दिरा कुओं में से 11 नगर इन्दिरा कुओं जल संस्थान, लखनऊ को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। एक इन्दिरा कुआं यूजर्स ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं एक इन्दिरा कुआं जल संस्थान, लखनऊ को हस्तगत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित मालवीय नगर की मोतीझील के सौन्दर्यीकरण की मांग

68-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित मालवीय नगर की मोतीझील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री सत्य नारायण-

[मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

70-श्री सत्य नारायण-

[मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

श्री उदय राज यादव, विधायक पुरवा, उन्नाव का नगर निगम, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परगना तहसील व जिला लखनऊ में क्रय किये गये प्लाटों की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

71-श्रीमती विजमा यादव-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री उदय राज यादव, विधायक पुरवा, उन्नाव का पत्र संख्या-क-3 नं0 075454 दिनांक 23 जुलाई, 2002 जो नगर निगम लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परगना तहसील व जिला लखनऊ में क्रय किये गये खसरा नं0-7 के प्लाट संख्या-6, 7 व 8 पर भवन निर्माण अग्रिम की धनराशि का उपयोग उक्त प्लाटों में निर्माण कार्य न करके अन्य जगहों में व्यय करने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, मोतीनगर क्षेत्र में प्राथमिक पाठशाला के सामने वाले मार्ग पर सीवर लाइन/खड़न्जा कार्य/पक्की नाली तथा प्रकाश व्यवस्था को ठीक कराये जाने की मांग

72-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के मोतीनगर (तिवारी जी का भट्ठा) क्षेत्र में प्राथमिक पाठशाला के सामने 20 फुट चौड़ी सड़क पर सीवर लाइन, खड़न्जा कार्य,

पक्की नाली तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों को आने जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

मार्ग पर कुल 22 सं0 में पोल लगे हैं जिनमें 21 सं0 में पोलों पर विभिन्न प्रकार के मार्ग प्रकाश बिन्दु जो वर्तमान में जल रहे हैं। जिनसे पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है।

धन की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोतीनगर गोल चौराहे से सेन्ट्रल बैंक चारबाग, हैदर कैनाल पुल तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

73-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ के मोतीनगर गोल चौराहे से सेन्ट्रल बैंक चारबाग, हैदर कैनाल पुल तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी जिसे नागरिकों को आने-जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

धन की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गोण्डा, ग्राम पंचायत सदकरपुर अन्तर्गत आने वाली फुहरी सगरा तथा मकोइया तालाबों को कार्ययोजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में जानकारी

74-डा0 पूर्णमासी देहाती-

विधान सभा तृतीय सत्र, 2003 के द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया, जिला-गोण्डा के ग्राम पंचायत सदकरपुर के अन्तर्गत आने वाली फुहरी सगरा तथा मकोइया तालाबों को भी लेने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मार्ग-निर्देश में निहित व्यवस्थानुसार योजना की 50 प्रतिशत धनराशि (धारा-प्रथम) जिला पंचायत (40 प्रतिशत)/क्षेत्र पंचायत (60 प्रतिशत)एवं 50 प्रतिशत धनराशित (धारा-द्वितीय) ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जाती है। उक्त पंचायती राज संस्थायें उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना बनाकर कार्य कराने में सक्षम हैं। तद्नुसार जिला पंचायत गोण्डा/क्षेत्र पंचायत छपिया/ग्राम पंचायत सदकरपुर, फुहरी सगरा तथा मकोइया तालाबों को अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करने हेतु स्वतंत्र हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

75-डा0 पूर्णमासी देहाती-

[तीसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

76-श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के प्रखण्ड बस्ती द्वारा जिन कर्मचारियों को 08-07-99 को योगदान कराया था, उन्हें शासन के पत्र संख्या-66/62-3-2000-66-ए0क्यू0/99 तथा 1141/62-3-2001-66-ए0क्यू0/99, दिनांक 23-5-2001 में वर्कचार्ज कर्मचारी दर्शाया है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को 08-07-99 से 20-01-2000 तक का वेतन का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

जी नहीं। प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा दिनांक 23-5-2001 को कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया हैं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय अभिलेखों में गड़बड़ी तथा मानकों का अनुपालन न किये जाने की जांच सम्बन्धी पत्र

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-468 दिनांक 20-12-02 को कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-105/ए0पी0सी0/2002, दिनांक 31-8-02 टास्कफोर्स द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय अभिलेखों में गड़बड़ी तथा मानकों के अनुपालन न किये जाने की जांच से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर थाना सदर बाजार में थाने पर हमले का पंजीकृत मुकदमा

78-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के थाना-सदर बाजार पर दिनांक 9-9-2003 को रात्रि में थाने पर हमला किया गया तथा इसका इन्दराज जी0 डी0 में उसी दिन 9.45 पर होने के बाद भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया और न हीं दोषी लोगां के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

थाना-सदर बाजार पर हमला किये जाने की बात निराधार है तथा उक्त परिपेक्ष्य में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

लखनऊ खुर्रमनगर की पुलिस चौकी तथा पिकनिक स्पाट रोड की पुलिया के मध्य से कल्यानपुर पीपल के पेड़ तक की क्षतिग्रस्त सड़क को लेपन स्तर तक ठीक कराने की मांग

79-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुर्रमनगर, लखनऊ की पुलिस चौकी तथा पिकनिक स्पाट रोड की पुलिया के मध्य से कल्यानपुर पीपल के पेड़ तक की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को लेपन स्तर तक ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

धन उपलब्धता के आधार पर।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के रहीमनगर चौराहे से रिंग रोड चौराहे तक की सड़क के ऊपर मुख्य सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

80-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि महानगर, लखनऊ के रहीमनगर चौराहे से रिंग रोड चौराहे तक की सड़क के दोनों ओर की नालियों के ऊपर से मुख्य सड़क तक अतिक्रमण किये जाने तथा सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए उक्त सड़क के दोनों ओर के अतिक्रमण हटाते हुए उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के शिवानी बिहार कालोनी में संचालित दूध डेयरी हटाने की मांग

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के प्रथम शुक्रवार के अता0प्र0संख्या-64 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व में दिये गये आदेशों के बावजूद प्रश्नगत स्थल पर पुनः बड़े पैमाने पर दूध डेयरी संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार

इसके दोषियों को दण्डित करते हुए यह आदेश देगी कि उक्त स्थल पर पुनः डेयरी संचालित न की जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित हुसैनगंज, शिवाजी मार्ग पर निर्मित मकानों के सामने बनी सार्वजनिक नाली पर अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

82-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत स्थित मकान नं0-71, शिवाजी मार्ग, हुसैनगंज, लखनऊ में संचालित क्रिस्टल बार एवं नवीन फर्नीचर द्वारा बरसात के पानी की निकासी हेतु बनी सार्वजनिक नाली पर अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण वहां के निवासियों के मकानों के सामने पानी जमा हो जाता है जिससे वहां के निवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सार्वजनिक नाली पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

अतिक्रमण हटा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, ग्राम कासिमपुर पकरी खेड़ा में गुमशुदा लड़का मुकेश कुमार रावत की थाना आशियाना में दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0

83-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशोरी लाल रावत पुत्र स्व0 श्री छेदालाल रावत, निवासी-ग्राम कासिमपर पकरी खेड़ा, थाना आशियाना, जनपद-लखनऊ ने अपने 13 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार रावत के दिनांक 19-8-2003 को लापता होने की एफ0आई0आर0 मु0अ0सं0 261/2003 धारा 143/365/504/506 आई0पी0सी0 व 3 (1) ऐक्ट एस0सी0/एम0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत थाना आशियाना लखनऊ में दर्ज दिनांक 26-8-03 को कराई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

विवेचना से नामित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ और नामजदगी गलत पायी गई। गुमशुदा लड़का मुकेश कुमार रावत उम्र 13 वर्ष दिनांक 18-10-2003 को वापस आ गया है। उसके द्वारा यह बताया गया कि वह घर से निकलकर अशियाना चौराहे पर खड़ी एक टाटा सूमों में बैठ गया था जिसका ड्राइवर उसे लेकर बनारस गया और उसे बनारस में ही छोड़ दिया था जहां पर वह एक चाय के होटल में काम करता था। मुकेश कुमार रावत का धारा 164 सी0आर0पी0सी0

का बयान भी न्यायालय में कराया गया। साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 30-12-03 को लगाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

सन्त रविदास नगर (भदोही) के खण्ड विकास अधिकारी ज्ञानपुर ग्रामसभा वारी पाली सम्पर्क मार्ग से नैपुरवां जगदीशपुर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच विषयक प्राप्त पत्र

84-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी सन्त रविदास नगर का पत्र 57/दिनांक 6 जुलाई, 2003 जो सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड-ज्ञानपुर के खण्ड विकास अधिकारी को ग्राम सभा वारी पाली सम्पर्क मार्ग से नैपुरवां जगदीशपुर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच करने से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जिलाधिकारी/संतरविदास नगर का उक्त पत्र 57/दिनांक 6 जुलाई, 2003 जो ग्राम सभा वारी पाली सम्पर्क मार्ग से नैपुरवां जगदीशपुर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच विषयक था, खण्ड विकास अधिकारी ज्ञानपुर को प्राप्त हुआ है।

प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी, ज्ञानपुर द्वारा कराई गई। जांचोपरान्त पत्र में उल्लिखित शिकायत निराधार पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर, केराकत चन्दवक मार्गों पर चलने वाली परिवहन निगम एवं परमिट शुदा बसों की संख्या

85-श्री जगदीश नारायण सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर केराकत, चन्दवक मार्गों पर चलने वाली परिवहन निगम एवं परमिट शुदा बसों की संख्या क्या है ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर अवैध बसों के संचालन पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

परिवहन निगम द्वारा 6 बसों से जौनपुर-केराकत-चन्दवक मार्ग पर 3 अप व 3 डाउन, जौनपुर-केराकत मार्ग पर 1 अप व 1 डाउन, केराकत-चन्दवक मार्ग पर 1 अप व 1 डाउन एवं जौनपुर-केराकत-मेहनाजपुर मार्ग पर 1 अप 1 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं। जौनपुर-केराकत-चन्दवक मार्ग पर जारी परमिटों के आधार पर 4 वाहनों का संचालन अनुमत है।

अवैध संचालन को रोकने हेतु समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाये जाते हैं। वर्ष 2002-2003 में मार्ग पर 32 वाहनों का चालान किया गया तथा 3 वाहन निरुद्ध की गई तथा 2,18,254.00 रुपया प्रशमन शुल्क वसूल किया गया। वर्ष 2003-2004 में 26 वाहनों का चालान किया गया तथा 67,517.00 रुपया प्रशमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर स्थित शाहीपुल के पूर्व दिशा में पैण्टून ब्रिज के निर्माण हेतु प्रस्ताव

86-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर में शहर स्थित शाही पुल के पूर्व दिशा में पैण्टून ब्रिज के निर्माण हेतु जिला योजना से विगत वर्ष प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर धन आवंटन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज में मुंसिफ न्यायालय के संचालन एवं स्थापना की मांग

87-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील लालगंज जनपद-आजमगढ़ में मुंसिफ न्यायालय के संचालन एवं स्थापना हेतु सभी औपचारिकता पूर्ण होकर शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो तहसील लालगंज के मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय कब तक संचालित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

भवन/भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में हत्याओं, राहजनी, डकैती की घटनाओं के पंजीकृत मुकदमें

88-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में माह सितम्बर, 2000 से लेकर अब तक कितनी हत्यायें, राहजनी एवं डकैती की घटनाओं के मुकदमें पंजीकृत किये गये हैं ? कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं कितनों के विरुद्ध भा0दं0 प्रक्रिया संहिता के धारा-83 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत अवधि में हत्या, राहजनी व डकैती के क्रमशः 354, 217 व 10 अभियोग पंजीकृत किये गये।

इनमें क्रमशः 494, 137 व 17 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। भा0दं0सं0 की धारा 82/83 के अन्तर्गत क्रमशः 55, 41 एवं 10 के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

89-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु राज्य मंत्री, कृषि के पत्र पर कृत कार्यवाही

90-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री, कृषि का पत्र संख्या-480 दिनांक 10-3-03 जो पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को संलग्नकों सहित भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में 21 कार्यों के प्रस्ताव थे, जिनमें से केवल 7 प्रस्तावों के आगणन शासन में प्राप्त हुए, शेष प्रस्ताव 10 लाख से कम होने के कारण मण्डलायुक्त द्वारा जनपद को वापस कर दिये गये थे। आगणन वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अन्त में प्राप्त हुए थे, जो उस वर्ष स्वीकृत न हो पाने के कारण व्यपगत हो गये।

प्रश्न नहीं उठता।

अशोकपुर असुड़ी के सेतु के पहुंच मार्ग एवं अन्य स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने विषयक पत्र

91-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1398, 1397 एवं 1402, दिनांक 20-7-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को उनके आदेश सं0-एस/16993/सी0एम0-1/03, दिनांक 10-7-03 जो अशोकपुर असुड़ी के सेतु के पहुंच मार्ग एवं अन्य स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने विषयक 9 मार्गों के आगणन से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्रों में प्राप्त प्रस्तावों के आगणन मांगे गये हैं जो नियोजन विभाग में प्राप्त नहीं हुए है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ में मार्गों के निर्माण हेतु आगणन प्रस्ताव मंगाये जाने हेतु प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

92-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में मार्गों के निर्माण हेतु आगणन प्रस्ताव मंगाये जाने हेतु प्रमुख सचिव, नियोजन को राज्य मंत्री, कृषि के पत्र संख्या-1294/3, दिनांक

5-7-03 एवं सं0-1070/03, दिनांक 2-6-03 सं0-1173, दिनांक 26-6-03, सं0-1418, दिनांक 22-7-03 भेजे गये, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत विषय में दिनांक 05-07-03 का पत्र प्राप्त हुआ था। प्रस्तावित कार्यों का पूर्ण परीक्षण कर मंडलायुक्त के माध्यम से आवश्यक सूचनायें एवं आगणन प्रेषित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजा गया था। वांछित आगणन/सूचनायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अभियंत्रण विभाग द्वारा किये गये मिट्टी घोटाले की टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराये जाने सम्बन्धी पत्र

93-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद, नगर निगम, लखनऊ का पत्र दिनांक 2-1-99 मा0 नगर प्रमुख/प्रमुख सचिव (नगर विकास)/मुख्य नगर अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित जिसमें अभियंत्रण विभाग द्वारा किये गये मिट्टी घोटाले की टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराये जाने सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 सभासद द्वारा अपने पत्र में 70 ट्रक गिट्टी के क्रय व उपयोग के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। निगम द्वारा वर्ष 1995-96 स्टोन बैलास्ट एवं 10-12 एमएम स्टोन ग्रिट की 792.76 घ0मी0 आपूर्ति की गयी थी जिसका उपयोग पूर्व से स्टोर में उपलब्ध बिटूमिन से आवश्यकतानुसार तत्समय उपयोग किया गया था।

1998-99 में कोई बिटूमिन नहीं खरीदा गया था। तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी द्वारा दि0 30-12-97 को भण्डार पुस्तिका का अवलोकन किया गया। अन्य किसी से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार

लखनऊ, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी, सेक्टर-14 में पार्क के निर्माण की मांग

94-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेक्टर-14, आवास विकास कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ में आवास संख्या-650 से 14/661 तक के सामने आवास विकास परिषद् की रिक्त भूमि पर पार्क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। परिषद् द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार उक्त स्थान पर कन्वेनियन्ट शाप (छोटी दुकानों) के निर्माण का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-फैजाबाद, तहसील-मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बहवर मऊ में आई0 डब्लू0 डी0 पी0 योजनान्तर्गत चक मार्ग की मिट्टी पटाई के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग.

95-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-फैजाबाद, तहसील-मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बहवर मऊ में आई0 डब्लू0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत चक मार्ग की मिट्टी पटाई आदि का कार्य वर्ष 1999-2000 में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

बजट की उपलब्धता के अनुरूप वर्ष 2000-2001 में कार्य कराया गया था। बजट कम होने के कारण कुछ कार्य अवशेष रह गये थे।

अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु धनराशि बैंक ड्राफ्ट सं0-042940, दिनांक 4-2-2004 द्वारा जल संग्रहण समिति, बहवर मऊ के खाता सं0-एस0बी0-20219 में डी0 आर0 डी0 ए0 फैजाबाद के माध्यम से स्थानान्तरित कर दी गयी है। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बरेली, थाना हाफिजगंज में नियुक्त श्री सुन्दर लाल कनौजिया, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

96-श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बरेली के थाना हाफिजगंज में नियुक्त सुन्दर लाल कनौजिया, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक, सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पंत्र दिनांक 24 जुलाई, 2003 सचिव, गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, उप निरीक्षक का स्थानान्तरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण सहाय उर्फ काशी पाण्डेय आदि निवासी ग्राम सोनबरसा, थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जालसाजी कर शस्त्रों के लाइसेंस प्राप्त किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

97-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, गृह को राज्य मंत्री, कृषि का पत्र संख्या-388/03, दिनांक 12-2-03 जो श्री कृष्ण सहाय उर्फ काशी पाण्डेय आदि अन्य 4 निवासी ग्राम सोनबरसा, थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा फर्जी पता तथा पंजीकृत मुकदमों का विवरण छिपाते हुए शस्त्रों के लाइसेंस जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से प्राप्त कर लिए जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

इस बारे में श्री कृष्ण सहाय उर्फ काशी पाण्डेय एवं श्री हरि सहाय पाण्डे के शस्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा निरस्त किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ थाना कोहडौर में अनु0 जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति के लोगों के घर गिराने के आरोप में पंजीकृत मुकदमें

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या-119/02 जो अवैध रूप से अनु0 जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति के लोगों के घर गिराने के आरोप में पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मु0अ0सं0-119/02, धारा-143/144/504/506 भा0द0वि0, थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़ में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र संख्या-ए-76/02, दिनांक 30-10-2002 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

99-श्री उदयराज यादव-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

जनपद आजमगढ़ में आरक्षण नीति के आधार पर थानाध्यक्षों की नियुक्ति की मांग

100-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में थानाध्यक्षों की नियुक्ति आरक्षण नीति के आधार पर की गयी है ? यदि हां, तो कितने-कितने थानाध्यक्ष अनु0 जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के किन-किन थानों पर नियुक्त हैं। यदि नहीं, तो क्या आरक्षण नीति के आधार पर थानाध्यक्षों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। मात्र अनुसूचित जाति के उपयुक्त उप निरीक्षक जनपद में नियुक्त न होने के कारण आरक्षण नीति के अनुसार निर्धारित 05 के विरुद्ध केवल 03 थानाध्यक्ष नियुक्त है।

अनुसूचित जाति के 3 थानाध्यक्ष थाना-तहबरपुर मेहनगर तथा पवई, पिछड़ी जाति के 5 थानाध्यक्ष थाना-दीदारगंज, कन्धरापुर अहरौला, रानी की सराय तथा गम्भीरपुर में एवं अल्पसंख्यक वर्ग के एक थानाध्यक्ष थाना विलरियागंज में तैनात है।

जी हां।

कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

इलाहाबाद के बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर में सीवर लाइन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

101-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के आयुक्त का पत्रांक 1496/पू0रा0 इला0-संविआ/99-2000, दिनांक 26-12-2003 जो बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, इलाहाबाद में सीवर लाइन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्राप्त प्रस्ताव का तकनीकी परीक्षण कराया गया जिसके आधार पर विस्तृत संशोधित आगणन, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं कतिपय सूचनाओं की मांग मण्डलायुक्त, इलाहाबाद से की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी विकास खण्ड चकिया में गौडिहार गांव के पास चन्द्रप्रभा नदी पर पुल के निर्माण की मांग

102-श्री शिव तपस्या पासवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-वाराणसी विकास खण्ड चकिया में गौडिहार गांव के पास चन्द्रप्रभा नदी पर पुल बनाने हेतु पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से वर्ष 2000 में धन अवमुक्त किया गया था ? क्या उक्त पुल के निर्माण हेतु प्रथम किश्त जारी होने के बाद दूसरी किश्त न जारी होने से उक्त पुल का निर्माण कार्य अधूरा है ? क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण हेतु सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत पुल का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत पुल के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2001-02 में जारी की गई थी।

जी हां।

उपभोग प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुनः उपभोग प्रमाण-पत्र मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर धनराशि अवमुक्त करना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 16 फरवरी, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 5 सूचनाएं स्वीकार की गयी। पहली सूचना श्री मदन चौहान की है, जो अनुपस्थित हैं।

दूसरी सूचना श्री बीजू पटनायक, तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की, चौथी सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की तथा पांचवी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है, जो उपस्थित हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद गाजीपुर के सादात विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के क्षति ग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक-

[मान्यवर, जनपद गार्जीपुर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सैदपुर, देववन्दपुर, रामपुर, मांझा, नारी पचदेवरा, चाड़ीपुर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया है इस सन्दर्भ में शासन व लोक निर्माण विभाग का कई बार ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन अभी तक शासन द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त रूट सड़क का निर्माण नहीं कराया गया जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सादात, गाजीपुर के सैदपुर, देवचन्दपुर, रामपुर मांझा, नारी पचदेवरा, चाड़ीपुर की क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत हेतु शासन को आदेशित करें, इस महत्वपूर्ण लोक अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के पटल पर रखकर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर में राजकीय महिला हाई स्कूल के भवन हेतु धन आवंटन के उपरान्त भी निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[हरदोई जनपद में बिलग्राम नगर में काफी वर्षों से राजकीय महिला हाईस्कूल चल रहा है जो बदल-बदल कर किराये के मकानों में चलता है। जनता द्वारा सरकार व प्रशासन से लगातार मांग की जाती रही है कि यह राजकीय विद्यालय अपनी जमीन पर बनाकर सदैव के लिए समस्या का निदान किया जाये। जनप्रतिनिधियों ने समय-समय पर विधान सभा में नियम-301 व नियम-51 में सूचना दी जिसमें सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु अभी तक यह विद्यालय नहीं बन सका जब कि अब राजस्व विभाग ने जमीन दे दी है और जिला योजना में प्रस्तावित है और 20 लाख रुपया भी आवंटित है फिर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने से जनता में घोर असंतोष है। अतः आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब उत्कृष्ट कालेज बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के बेहटा विधान सभा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि बिसवां विधान सभा क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[मान्यवर, चौधरी चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा को 15 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सूची में विधान सभा क्षेत्र बेहटा, जनपद सीतापुर में मुर्थना मार्ग दिखाया गया है। यह मार्ग बेहटा विधान सभा क्षेत्र में न आकर के बिसवां विधान सभा क्षेत्र में आता है। इस प्रकार मेरी विधान सभा क्षेत्र बेहटा के अन्तर्गत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15 लाख रुपये के स्थान पर केवल 3.34 लाख के ही कार्य स्वीकृत हुये हैं जबकि बिसवां विधान सभा क्षेत्र के लिए 15 लाख के स्थान पर 28 लाख रुपये के मरम्मत कार्य स्वीकृत हुये जो मेरी विधान सभा क्षेत्र बेहटा के साथ घोर अन्याय है। अतः तत्काल इसकी जांच कराकर मेरी विधान सभा क्षेत्र का शेष 10.66 लाख की धनराशि बिसवां क्षेत्र के मुर्थना मार्ग के स्थान पर खानुपुर सम्पर्क मार्ग व जालिमनगर सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराने हेतु स्थानान्तरित करने के आदेश निर्गत किये जायें।]

जनपद झांसी की तहसील टहरौली में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रागीलाल अहिरवार-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि दिनांक 30-1-2004 को सायंकाल 7.30 बजे (1) ग्राम घवारी, (2) खिरिया, (3) गाता, (4) रनियारा, (5) झला, (6) टहरौली, (7) बेला, (8) बड़वार, (9) बसारी, (10) पुरा आदि तहसील टहरौली जिला झांसी में ओलावृष्टि से किसानों की फसल, मटर, मसूर, चना, गेहूं, लाई, आदि की फसल पूर्णतः नष्ट हो गयी है। इसी प्रकार पिछले वर्ष सूखा पड़ गया था। इस वर्ष पानी की अधिक वर्षा से उर्द, मूंग व मूंगफली की फसल नष्ट हो गयी थी। यह सारी परेशानियों से किसान भूखमरी के कगार पर है जो कि गांव छोड़कर बाहर के लिए पलायन कर रहे हैं। जानवरों को भूसा खाने के लिए नहीं है व लोगों के लिए अनाज खाने के लिए नहीं है। मजदूरों को यहां मजदूरी का सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए किसानों को दैवी आपदा कोष से मदद दिलायी जाये तथा किसानों की फसल के नुकसान का मुआयना कराकर मुआवजा दिलाया जाये तथा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधा दिलायी जाय, जिससे किसान अगले वर्ष खाद व बीज की व्यवस्था कर सकें तथा सारी वसूली किसानों की माफ की जाये व उसी क्षेत्र में राहत कार्य से सड़कें बनायी जायें तथा तालाब और चेक डैम बनवाये जाये, जिससे किसान व मजदूरों को मजदूरी मिल सके, उससे अपना पालन पोषण कर सकें। अतः इस लोक महत्वपूर्ण प्रकरण पर अवगत कराते हुए अपेक्षा की जाती है कि ओलावृष्टि से पीड़ितों को राहत कोष से सहायता दिलायी जाये।]

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सम्बन्धित विधायकों की संस्तुति पर 5 गांवों का विद्युतीकरण सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 16 फरवरी, 2004 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 3 सूचनाएं प्राप्त हुई। इसमें से पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों की संस्तुति पर 5 गांव देंगे। सारे विधायकों ने प्रस्ताव देना शुरू किया। मैं अपने क्षेत्र में गय था तो अधिकारियों ने बताया कि विद्युत विभाग से एक जी0ओ0 जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो वर्जिन विलेज हैं केवल उन्हीं के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है। मान्यवर, जो वर्जिन विलेज हैं और उसकी जो परिभाषा है उसमें शायद ही कोई गांव बचा हो लगभग सभी गांवों में किसी न किसी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोने में बिजली पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था देने का कष्ट करें।

•संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मंशा तो विद्युतीकरण की है। मान्यवर, यह भी हुआ होगा कि जिन गांवों से जुड़े मजरे बहुत करीबी हैं उनसे एक दूसरे ने कनेक्शन ले लिया हो और पोल से तार ले जाने में खर्च की कमी है इसलिए ऐसा हुआ होगा।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, वर्जिन विलेज में ज्यादा खर्च है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री जगदीश नारायण राय तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए यह अग्राह्य की जाती है।

गंगा नदी के बहाव की दिशा परिवर्तन से गांवों के कटान पर सिंचाई मंत्री द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न

कुं0 भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, नियम-51 में मैंने सूचना दी थी कि गंगा नदी के दिशा परिवर्तन होने से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 ग्राम पंचायतों के 10 गांवों पर भारी संकट आ गया है और इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब यह है कि वह माडल स्टडी करवायेंगी। मान्यवर, यह जब तक होगा तब तक तो यह गांव गंगा नदी में बह जायेंगे। तमाम जान-माल का नुकसान हो जायेगा। मान्यवर, वहां 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 की आबादी व 2718.21 हे0ए0 कृषि भूमि है और यह सभी भारी संकट में आ गये हैं। माननीय मंत्री जी ने इस लोक महत्व के प्रश्न को यह कह कर टाल दिया कि रुड़की के सिंचाई अनुसंधान संस्थान से माडल स्टडी करवायेंगी। इस संकट को देखते हुये पहले से ही दो करोड़ अट्ठावन लाख की योजना स्वीकृत थी जिसमें से 40 लाख रुपया विभाग द्वारा खर्च करके दो स्ट्ड बनाये जा चुके हैं और यह सफल रहा है। जहां पर स्ट्ड बनाये गये हैं उस क्षेत्र को उससे भारी सम्बल मिला है। मान्यवर, मेरा कहना है कि इस पर सरकार आश्वासन दे दें कि बरसात से पहले जनसंख्या का संरक्षण हो जायेगा। "इस पर माडल स्ट्डी करायेंगे," इस प्रकार का उत्तर देकर, सरकार टाले नहीं।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय भारतेन्द्र जी, इसको आप निदेश सं0-165 के अन्तर्गत लिखकर दें। इस सूचना में न तो नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी प्रश्नगत सूचना की तिथि ही अंकित है और न ही मा0 सिंचाई मंत्री के वक्तव्य की प्रति। इसके अतिरिक्त यदि मा0 सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कोई तथ्यात्मक त्रुटि है तो इस हेतु निदेश संख्या-165 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग की जा सकती है। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इसको अग्राह्य किया जाता है।

इलाहाबाद नगर में द्वितीय जलकल के निर्माण के लिये नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

तीसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उपाध्यक्ष जी, जल सभी को मिले यह सरकार का दायित्व है। इसीलिए इलाहाबाद महानगर में जलापूर्ति की समस्या के समाधान के लिए द्वितीय वाटर-वर्क्स के निर्माण हेतु नियम-51 के अन्तर्गत 4 सितम्बर, 2000 को सूचना दी थी, जो स्वीकृत हुई थी। तत्कालीन आवास एवं नगर विकास मंत्री जी ने 7 सितम्बर, 2000 को बताया था कि द्वितीय जलकल के निर्माण हेतु 17.44 करोड़ रुपये की योजना का विरचन किया गया है और जिसके अन्तर्गत कार्य कराने की बात थी। शासन द्वारा इस योजना के कार्यों हेतु 1996 में 95 लाख रुपया और वर्ष 1999 में 119.91 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। परन्तु प्रस्तावित योजना सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। शासन का दायित्व था कि पानी की कमी थी तो उसको पूरा किया जाता। उत्तर में बताया गया था कि प्रस्तावित जलकल के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। डेढ़ साल हो गया क्या शासन स्तर पर कोई बैठक हुई या कार्यवाही की गयी इसीलिए मैं औचित्य के प्र के माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नगर विकास मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इलाहाबा नगर में पानी उपलब्ध हो सके इसके लिए द्वितीय जलकल निर्माण के लिए कब तक पैसा दे दिया जायेगा ?

* संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मुझे खेद है कि यह डेढ़ साल से लम्बित है और आपको न्याय नहीं मिला। इसको मैं देखता हूं कि इन सात-आठ महीनों में शासन स्तर पर कोई बैठक क्यों नहीं हुई और इस योजना को लागू करने में यदि कोई रुकावट है तो उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। पहले यह परीक्षण करना पड़ेगा कि इस योजना का प्रारूप क्या है तथा इसमें कितना खर्च होना चाहिए एवं उससे फायदा व नुकसान कितना है ? इसके निदान का क्या तरीका हो सकता है, यह भी देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना पर डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः अग्राह्य किया जाता है।

श्री रमेश कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र की सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

अब सदन को एक सूचना दे रहा हूं।

श्री रमेश कुमार शर्मा, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-312-झांसी, जिला-झांसी से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे, ने अपने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 13 फरवरी, 2004 के अपराह्न से त्याग-पत्र दे दिया है जिसे "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 190 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1997-98

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1997-98 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-आठ (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या-4 में माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए अब अगली मद ले रहा हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 16 फरवरी, 2004 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी, सभी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक हैं उनको केन्द्र सरकार द्वारा जो भी मंहगाई भत्ता दिया जाता है उसके समतुल्य यहां मंहगाई भत्ता दिया जाता है। चूंकि मंहगाई भत्ता काफी बढ़ गया है इसलिए केन्द्र सरकार ने 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने का निर्णय लिया है। कई प्रदेशों ने भी, केन्द्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसको कार्यान्वित करने का काम किया जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमांचल प्रदेश में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है अभी तक कोई भिन्नता केन्द्र सरकार के निर्णय और उत्तर प्रदेश के निर्णय में नहीं होती थी। इसलिए कार्य-स्थगन के माध्यम से जिससे लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है यह उनके हितों का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से, सरकार से यह चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा कराई जाए और हमारे यहां जितने भी कर्मचारी और शिक्षक हैं चाहे सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी हों उनके मंहगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि को मूल वेतन में शामिल किया जाए यह सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों एवं सभी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के हित में होगा।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह बड़े खुशी की बात है कि गौर साहब हमारे वरिष्ट साथी भी हैं, वरिष्ट मंत्री भी रहे हैं अब इस तरफ विचार करने लगे हैं। बहुत से अच्छे-अच्छे सुझाव आपकी तरफ से मिल रहे हैं। काफी आपने हमें सिखाने में कामयाबी हासिल की है। जिन राज्यों का आपने जिक्र किया पंजाब सम्पन्न प्रदेश, हरियाणा सम्पन्न प्रदेश उत्तरांचल हमारे यहां का कटा हुआ हिस्सा इन सबकी अपनी समस्याएं और सीमाएं हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है इतनी बड़ी आबादी है उसकी अपनी सीमाएं और अपनी परेशानियां हैं। इसी के साथ गौर साहब को पूरी इत्तला नहीं है कि सदन के नेता खुद

नोट :-' छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षक रहे हैं और उनका शिक्षकों के साथ किस तरह का रवैया है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद शिक्षकों के लिए क्या-क्या घोषणाएं की हैं और राहत दी है। जिस भत्ते को जोड़ने की आपने बात कही है नियमानुसार जब भी उसको लागू करना आवश्यक होगा वैसे ही किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना पर डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था 5 एम0बी0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर न लगने की वजह से नगरीय क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है, जिससे व्यापारी, किसान वकील और बुनकर आज 7-2-2004 से धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मऊरानीपुर, जनपद झांसी में कई वर्षों से बिजली व्यवस्था की जीर्ण-शीर्ण हालत है, जिससे दुखी होकर क्षेत्र की जनता धरने पर 7-2-2004 से बैठी है। इसमें व्यापारी, वकील, छात्र, बुनकर, किसान और महिलाएं बैठी हैं तथा प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता में दिन-प्रतिदिन रोष व्याप्त होता जा रहा है, जिससे कोई बड़ी घटना घट सकती है। जिससे सरकार और जनता का भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि क्षेत्र की जनता कई वर्षों से विद्युत की खराब व्यवस्था के बारे में उच्च अधिकारियों एवं नेताओं से मांग करती रही है। लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिससे सारा व्यापार चौपट हो गया है। बुनकरों में भुखमरी हो गई है। किसानों की फसल सूख गई है। व्यापारियों की कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है। मऊरानीपुर का टेरीकाट देश और प्रदेश के कोने-कोने में बिकने लगा था जबसे मऊरानीपुर की बिजली व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण हो गई है।

बुनकर भूखों मरने लगे हैं। यह जनता की सारी परेशानियों को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि उक्त जन समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और वहां पर एक 5 एम0बी0ए0 का ट्रांसफार्मर अविलम्ब स्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सरकार को निदेश देने का कष्ट करें। मैं सरकार से भी चाहता हूं कि जन समस्या को देखते हुए वहां पर एक 5 एम0बी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगवाने का आश्वासन देने का कष्ट करें तथा विधान सभा की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करवाने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

दिखवाते हैं कि इसमें क्या व्यवस्था हो सकती है ?

(श्री प्रागी लाल अहिरवार अपने स्थान से उठकर सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये।)

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मेरा निवेदन यह है कि वहां पर बिजली की समस्या को लेकर वकील, छात्र और महिलाएं धरने पर आ गये हैं और बार-बार निवेदन करने के बाद सुनवाई नहीं होगी तो कैसे चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

यह ठीक नहीं है। आप अपने स्थान पर जाकर कहें। कृपया अपने स्थान पर चले जायं।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, यह भीख नहीं है, अधिकार है। मान्यवर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मैं यहां धरने पर बैठने की घोषणा करता हूं।

(श्री प्रागी लाल अहिरवार सदन के फ्लोर पर बैठ गये)

श्री उपाध्यक्ष-

यह तरीका ठीक नहीं है। यह अनुशासनहीनता है। आपकी पूरी बात सुन ली गई, मंत्री जी ने जवाब दे दिया। यहां पर आकर बैठने की क्या आवश्यकता थी ? जब आप अपने स्थान पर जायेंगे, तब बात होगी। आप अपने स्थन पर चले जायं। आप बहुत गम्भीर व्यक्ति हैं।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, वहां पर जनता धरने पर बैठी है। मैंने कई बार इस समस्या को यहां पर रखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कम से कम आश्वासन ही मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मैं तो समस्या को लेकर बठा हू। मुझे समस्या का हल चाहिए। जनता ने मुझे चुनकर भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप अपने स्थान पर बैठ जायं तब आपकी बात सुनी जायेगी और लिखी जाएगी। कृपया अपने स्थान पर चले जायं। नेता विरोधी दल कृपया माननीय सदस्य को कहें।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष-

आप अपने नेता की बात तो मानें।

(श्री अहिरवार, श्री उपाध्यक्ष एवं नेता विरोधी दल के अनुरोध पर अपने स्थान पर चले गये)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह वाकई कष्ट का विषय है। खुशी की बात यह है कि महसूस होना शुरू हो गया है। जब प्रदेश को बिजली नहीं मिलेगा, ट्रांसफार्मर नहीं लगेंगे तो उससे व्यक्ति को कष्ट होगा। यह भी सही है कि जनता आपको घेरेगी। आपको अकेले जनता ने घेरा तो आपको महसूस हुआ होगा कि पूरे प्रदेश की क्या हालत रही होगी ? मान्यवर, यह सही है कि बिजली की बहुत समस्या है। कितना बड़ा प्रदेश है और बिजली की खपत कितनी ज्यादा है। बिजली का उत्पादन कम है और खर्च बहुत ज्यादा है। ट्रांसफार्मर इतने हैं नहीं। जितने ट्रांसफार्मर हैं उन पर लोड बहुत ज्यादा है। उत्पादन कम है और डिमाण्ड ज्यादा है। नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिये जाहिर है कि अपने संसाधन देखने होते हैं। बहुत

नोट -[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कष्ट के दिन गुजारे हैं। आपके साथ आज हुआ है, हमारे साथ यह हुआ है कि हम रेलवे स्टेशन से अपने घर के रास्ते को छिपकर निकले हैं। यह सही है कि डिमाण्ड बहुत ज्यादा है और हमारा उत्पादन कम है। नये हम ट्रांसफार्मर लगा नहीं पा रहे हैं। हमारे नेता जी पर बार-बार यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि पूंजीपतियों के हाथ में प्रदेश को बेचा जा रहा है। बिजली के संकट से प्रदेश उभर कर आये, ट्रांसफार्मर लगें, 5 एम0बी0ए0 के ही नहीं इससे ज्यादा के लगे। लेकिन कहीं न कहीं से तो पैसे का इन्तजाम करना होगा। कहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ प्रदेश बिक रहा है, लेकिन कोई सुझाव नहीं है आपके पास। हम कहते हैं रियायन्स वाले न करें, आप उनको जमीन न दें लेकिन कोई सुझाव कोई राय तो दें। केवल एक निगेटिव एप्रोच होगी कि ऐसा नहीं होने देंगे। प्रदेश में अंधेरा इससे दूर नहीं हो सकता है। हमारे सामने सुझाव होना चाहिए। परेशानी गम्भीर है और उसका एहसास हो रहा है और यह बात उससे भी ज्यादा गम्भीर दिखती है कहीं कमी है। मैंने पहले ही कहा था, जब आपने बात रखी थी, तभी मैंने आश्वासन दिया था। छोटी-छोटी बातों को सदन में नहीं आना चाहिए, स्थानीय तौर पर देखना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं थी इसका निदान हो जाना चाहिए था। मैं स्वयं कह रहा हूं कि इसका निदान हो जाना चाहिए था इसमें मामला दल का नहीं है निदान हो जाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय प्रागी लाल अहिरवार एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद यह नियम-56 में नहीं आता है। इसको अग्राह्य करता हूं।

* श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं। सरकार सहमत है और पूरा हिन्दुस्तान सहमत है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है इसके लिए सरकार को दिलेरी से आगे बढ़ना चाहिए। कई चीजों में खिसकी भी है आगे की तरफ यह कहने में मुझे गुरेज नहीं है थोड़ी हिम्मत और दिखाती क्योंकि यह नौजवानों को ढाढस दे रही है। श्रीमन् छात्र जीवन में 15-16 साल राजनीति की है कल मेरे पास 100-150 लोग आए। कुछ को मैंने आपकी पार्टी की तरफ भी भेज दिया कि कुछ बात उनसे कहो।

श्रीमन् 1999 में 26 सौ विषय विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में रखे गये। विषय विशेषज्ञों की सारी औपचारिकतायें पूरी की गईं। जो एल0टी0 ग्रेड के टीचर प्रवक्ता पर लिए जाते हैं, एल0टी0 में जे0डी0 की अध्यक्षता में कमेटी बनी उसमें डी0आई0ओ0एस0, प्रिंसिपल मेम्बर थे। चार वर्षों के अनुभव के आधार पर इन्टरव्यू लिया गया और ज्वाइन करा दिया गया, अब इन प्रवक्ताओं की उम्र 35 वर्ष से ऊपर हो गई है तीन वर्ष से इस पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट में यह लोग गए तो 20 अक्टूबर को लखनऊ खण्डपीठ ने फैसला दिया कि इसको कान्टीन्यू किया जाए, इनको कान्टीन्यू कर दिया गया। जून के महीने में भी इन्होंने कापी जांची हैं, ग्रीष्मावकाश में भी इन्होंने काम किया है, लेकिन उनके सामने अनिश्चितता का प्रश्न खड़ा हुआ है हाई कोर्ट ने कहा है कि दो महीने में एक्ट में परिवर्तन करेंगे। इनको रेगुलर किया जाना चाहिए 26 सौ लोग हैं पांच हजार रुपया महीना इनको देते हैं। चार हजार रेगुलर पद के अगेंस्ट इनकी नियुक्ति हुई है। मान्यवर, आप देखें चार हजार लोगों की तनख्वाह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनती है अब 50 हजार लोग हो गए हैं इनको रेगुलर कर दिया जाए इसकी पूरी प्रक्रिया है। हाई कोर्ट के निर्देश हैं और यह मानवता का संदेश है। 35 वर्ष की उम्र होने के बाद यह कहां जायेंगे, सब ओवररेज हो गए हैं मैं सरकार से मांग करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं सारा कार्य स्थगित करके सदन में इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री राम इकबाल सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-56 के अन्तर्गत इस सचिवालय में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों के भत्ते के संबंध में मेरा सोचना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों की भर्ती दो प्रकार से थी, एक सीधी भर्ती, जिसमें 40 प्रतिशत भर्ती का प्राविधान था।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने कहा है कि 'इस सचिवालय' इसमें आप संशोधन कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं शासकीय सचिवालय के सम्बन्ध में कह रहा हूं। समीक्षा अधिकारी के पदों पर 40 प्रतिशत सीधी भर्ती और 60 प्रतिशत भर्ती सहायक समीक्षा अधिकारियों की प्रोन्नति से होती थी। लेकिन मान्यवर, इधर काफी अर्से से इस व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और जो सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रोन्नति से समीक्षा अधिकारी बनाये जा रहे हैं, उसमें आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार ने निर्देश भी दिए हैं कि इस व्यवस्था का अनुपालन किया जाए लेकिन बार-बार सरकार के निर्देश के बावजूद भी इसका अनुपालन अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और अभी अन्तिम रूप से यह निर्देश 25-6-2002 और 13 जनवरी, 2003 को दिए गये हैं, इसके बावजूद भी उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जा सका है।

इसलिए जिन सहायक समीक्षा अधिकारियों को प्रोन्नत होकर समीक्षा अधिकारी होना था, उनमें इस विषय पर काफी आक्रोश है और वह समय-समय पर आन्दोलन के लिए भी योजना बनाते रहते हैं। अभी भी वह प्रतीक्षा में है कि सम्भवतः इसका अनुपालन होगा क्योंकि लगभग 5 महीने हो गये हैं जो अन्तिम निर्देश गया है, उन्हें उम्मीद है कि इस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में शायद यह व्यवस्था लागू हो जाए ताकि जिस लाभ से वह वंचित हो रहे हैं, वह उन्हें मिल सके। इस व्यवस्था का अनुपालन न होने से उनमें आक्रोश है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय या सरकार गम्भीरता से इसका संज्ञान ले।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना और इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

सूचना संख्या-5, सुरेश कुमार खन्ना। अनुपस्थित हैं।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या-9, श्री नवाब सिंह नागर।

* श्री नवाब सिंह नागर-

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस वर्ष के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट की निम्न कारणों से आलोचना करता हूं। मान्यवर, प्रत्येक सरकार की यह उद्घोषणा होती है और इस सरकार की भी घोषणा थी कि वह सत्ता प्राप्त करने के बाद बिना किसी भेदभाव के शासन का संचालन करेगी, सबके साथ न्याय करेगी। इस सरकार ने जिले समाप्ति की घोषणा करके इस प्रदेश में भेदभाव की पराकाष्ठा करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मान्यवर, हमारा जनपद गौतमबुद्ध नगर जो हर दृष्टि से जिला बनने की सारी अनिवार्यताएं पूर्ण करता है, केवल अपने जिले के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के 40 जिलों का राजस्व दिलाने की क्षमता रखता है, ऐसे जिले को समाप्त करके सरकार ने हमारी जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। मान्यवर, सरकार कहती है कि वहां पर कुछ प्रापर्टी डीलर ही इसका विरोध कर रहे हैं।

मान्यवर, इधर दो दिन वहां पर पूरा जिला बन्द रहा और सरकार कहती है कि वहां पर केवल प्रापर्टी डीलर्स का आन्दोलन हुआ। वहां पर 13 कम्पनी आर0ए0एफ0 भेजी गयी थी, पी0ए0सी0 लगायी गयी एक हजार लोगों की गिरफ्तारी हुयी और आप कहते हैं कि केवल प्रापर्टी डीलर्स का आन्दोलन हुआ था। सरकार इस प्रकार से जनता की आवाज को अनसुना करके अपने राजधर्म की अवमानना ही कर रही है और जनता के प्रति असंवेदनशीलता को प्रदर्शित कर रही है। मान्यवर, इसमें सरकार को जिद छोड़कर उन जिलों के बारे में जांच कमेटी बनानी चाहिए ताकि वह तथ्यों के आधार पर जानकारी करें कि कौन से जिलों की आवश्यकता है और कौन से जिलों की आवश्यकता नहीं है। केवल इसलिए कि वह पूर्व मुख्य मंत्री का जिला है। इस भेदभावपूर्ण तरीके से जिला खत्म करना जनता के साथ अन्याय है।

बागपत जिले को इसलिए खत्म नहीं किया गया क्योंकि वह सरकार में उनके सहयोगी श्री अजीत सिंह का जिला है और कन्नौज जिले को इसलिए खत्म नहीं किया गया क्योंकि वह मुख्य मंत्री जी के सुपुत्र का संसदीय सीट का जिला है, इस प्रकार से भेदभावपूर्ण नीति अपनाना जनता के साथ विश्वासघात है और कोर्ट का जो निर्णय आया है जिसमें इस नोटीफिकेशन को फरदर इम्प्लीमेंटेशन के क्रियान्वयन के लिए रोक लगाने की जो मंशा की है उससे भी जाहिर होता है कि सरकार का निर्णय उचित नहीं है। सरकार को जनता और कोर्ट की भावनाओं को देखते हुए इस अनुचित निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक कमेटी बनाये जो पता लगाये कि कौन सा जिला बनना चाहिए और कौन सा नहीं बनना चाहिए। सरकार इसकी घोषणा करे यह मैं सरकार से मांग करता हूं। इसके अलावा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था और रोजगार न दिये जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था लेकिन इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ भी धोखाधड़ी करने का काम किया है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना

नोट :- † दिनांक 13 फरवरी, 2004 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि अध्यापकों की आयु सीमा बढ़ाने का काम अभी सरकार ने किया है। इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल इसलिए कि अध्यापकों की ड्यूटी चुनाव में लगती है इसलिए उनकी आयु सीमा बढ़ाना उचित नहीं है। अगर बढ़ाना है तो सभी संवर्गों में बढ़ायें। लेकिन आज बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए इन संवर्गों में आयु सीमा घटाने की आवश्यकता है। यह एक प्रकार से बेरोजगारों के प्रति विश्वासघात है और मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूं।

इसके साथ ही जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री पद ग्रहण किया था तो उन्होंने यू0पी0 सदन में बैठकर यह कहा था कि नोएडा में जो भूमि घोटाले हुए हैं वहां पर जो नियुक्तियों में तथा इंर्जीनियरिंग विभाग में घोटाले हुए हैं उन्होंने इसकी तुरन्त जांच कराने का निर्णय लिया था और इस जांच के लिए श्री टी0जार्ज जोसेफ जो अच्छी छवि के अधिकारी हैं को जांच सौंपी थी और एक महीने की समयसीमा दी थी। लेकिन खेद का विषय है कि सरकार ने यह देखते हुए कि जांच में तत्कालीन मुख्य सचिव की तरफ सुई घूम रही थी, वहां जिस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपये के इंर्जानियरिंग विभाग के ठेके बिना टेण्डर के ठेकेदारों को 8-15-20 प्रतिशत पर सीधे वह काम आवंटित हुए थे। इस प्रकार से हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था लेकिन बड़े खेद का विषय है कि सरकार ने निष्पक्ष जांच कराने के बजाये 5 दिन पहले ही जांच पूरी होने से पहले ही जांच कमेटी को बदल दिया और इससे जो जांच की दूध का दूध ओर पानी का पानी होने की सम्भावना थी उसका पटाक्षेप किया गया और लीपा पोती का उदाहरण है। सरकार को एक समय सीमा बतानी चाहिए थी। मैं इस सरकार के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो जोसेफ कमेटी की जांच हुई थी उसको पटल के सामने, जनता के सामने रखा जाय और यह भी अनुरोध करूंगा कि पुनः जांच उनको सौंपी जाय क्योंकि वे एक अच्छी और ईमानदार छवि के अधिकारी हैं और लोगों को उन पर विश्वास भी है। उससे यह धारणा भी बनेगी कि सरकार ठीक से जांच कराना चाहती है। इसके अलावा वहां पर जे0 पी0 इण्डस्ट्रीज को ताज एक्सप्रेस हाईवे बनाने का अनुबन्ध दिया है। उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। वहां पर नोयडा प्राधिकरण की ऐसी जमीन जो पूरी तरह से विकसित जमीन थी, करीब 1200 एकड़ जो किसानों को मुआवजा देकर खरीदी गयी थी मात्र उसी दर पर जे0 पी0 इण्डस्ट्रीज को दे दी। यह करीब पौने चार-चार सौ की होगी, लेकिन उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है। ढाई सौ एकड़ पर कब्जा दे दिया गया है और बाकी का देना बाकी है। अगर उसका आंकलन किया जाय तो उसमें हजारों करोड़ का घोटाला होगा।

आपसे हमारा अनुरोध है कि जो जमीन दी गयी है उसकी जांच होनी चाहिए और जो बाकी अभी दी जानी है उस पर रोक लगनी चाहिए जिससे हजारों करोड़ रुपये की क्षति होगी उससे बचा जा सके। इसके अलावा एक अभी-अभी नोयडा प्राधिकरण में निर्णय हुआ है। वहां पर आवासीय भवन बनाये गये हैं, जिन्हें दो तीन साल पहले कब्जा दे दिया गया है, तो उनकी कीमत बढ़ा दी गयी है जिससे वहां के रहने वालों में हा-हाकार मचा हुआ है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से कीमत बढ़ायी गयी। मैं चाहूंगा कि तत्काल इसमें कार्यवाही हो और निर्णय को वापस लिया जाय जिससे वहां के रहने वाले जो लोग आंदोलित हो रहे हैं उससे बचा जा सके। इसके अतिरिक्त वहां के किसानों की जमीन का मुआवजा बढ़ाने का भी प्रश्न विद्यमान है।

मैंने नियम-51 में प्रश्न लगाया था और सरकार ने कहा था कि इसमें कार्यवाही हो रही है और मीटिंग्स हो चुकी हैं। कितनी मीटिंग्स और होंगी ? इसमें जल्दी निर्णय करायें यह मेरा निवेदन है। इसके अलावा किसानों को दस प्रतिशत जमीन देने की प्रक्रिया है। उसमें बहुत दिनों से आवंटन पत्र

तैयार पड़े हैं लेकिन बांटने का काम नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार थोड़ी संवेदनाशीलता का परिचय दे और तत्काल उन आवंटन पत्र को बंटवाया जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त भी नोयडा, ग्रेटर नोयडा और गौतमबुद्धनगर पर इन छः महीनों में ज्यादती की गयी है। उसी में एक निर्णय यह भी हे कि जो बजट भाषण में कहा गया है कि सौ सीटों का एक कोचिंग सेन्टन बनाया जायेगा, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन सरकार ने यहां पर भी भेदभाव का परिचय दिया है। यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही है। केवल उनको ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। जितने भी दल हैं और सरकारें हैं यह बी0जे0पी0 को साम्प्रदायिक कहने का काम करती है। यह अपने मुद्दों पर काम कराना चाहते हैं सारे लोगों के पास एक ही मुद्दा है कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ेगें, लेकिन मान्यवर कायदे से देखा जाय तो साम्प्रदायिकता का कार्य यह सरकार कर रही है क्योंकि यह किसी भी प्रकार से केवल एक वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देंगे, जो बेरोजगार हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ भी भेद-भाव करेंगे तो यह निश्चित रूप से साम्प्रदायिकता का परिचय है, इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रकार का निर्णय लेकर सरकार निश्चित रूप से सबके साथ अन्याय करेगी मैं चाहता हूं कि यह जो प्रशिक्षण केन्द्र बनाया गया है इसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, गरीब वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम यह सरकार करे। इस प्रकार से मान्यवर मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस बजट की आलोचना करता हूं और आपने जो मुझे इसके विरोध में बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बीजू पटनायक-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किए हुए बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए प्रदेश की 17 करोड़ जनता की तरफ से, विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से और हमारे विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ जनता की आशाओं और उम्मीद का ध्यान रखा गया है, इसमें गरीब किसानों और नवजवानों और मजबूर छात्रों के लिए जो उन्होंने आशायें दिलाई हैं, उससे यह लगता है कि यह बजट प्रदेश के विकास में भरपूर मदद देगा। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे सादात विधान सभा क्षेत्र में रामपुर-मांझा गागी नदी के पुल का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और उसी समय उन्होंने भितरी पुल का निर्माण कराने की घोषणा भी की थी।

मान्यवर, पुल के लिए एक करोड़ 31 लाख रुपये का प्राक्कलन बनकर सेतु निगम द्वारा नाबार्ड नव से बनकर शासन में गया है। पिछली सरकार द्वारा सादात विधान सभा क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब वह समय आ गया है कि जिसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1994 में जो पुल बनाने कि की थी, जिसका एक करोड़ 31 लाख का प्राक्कलन बन कर शासन में पड़ा है, उसका निर्माण वर्तमान सरकार द्वारा कराया जायेगा। मान्यवर, दूसरी तरफ गाजीपुर जनपद में विश्व बैंक की सहायता से वहां के जन मानस के स्वास्थ्य के लिए वहां हास्पिटल बनाने की योजना आयी है लेकिन वह कहीं अन्यत्र बनवाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वहां जनमानस के स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए वह हास्पिटल गाजीपुर जनपद में ही बनना चाहिए। इसी सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि विधायक निधि को पारदर्शी बनाना चाहिए, उसको सख्ती से लागू करना चाहिये। मान्यवर, विधायक

निधि के माध्यम से जो नम्बर एक का पैसा हम विधायकों को मिलता है उसमें से जो विभाग वाले 20-22 प्रतिशत पैसा कमीशन के रूप में लेते हैं और जो पहले से चला आ रहा है उसमें सुधार किया जाना चाहिए और जो विधायक निधि का पैसा है वह सब जनता के बीच में खर्च होना चाहिए। मान्यवर, 79 लाख रूपये के प्राक्कलन का विद्युत स्टेशन परसनी गांव में बनाने के लिए था, इसमें 50 लाख रुपये पूर्वांचल विकास निधि से मौजूद हैं, शेष धन विद्युत कारपोरेशन को लगाना है, मान्यवर अगर यह सब स्टेशन बन जाये तो वहां की बिजली की समस्या हल हो जायेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति की गरीब लड़कियों की शादी के लिए 10-10 हजार रुपये सहायता देने का प्रावधान है, जो माननीय विधायकों की संस्तुति पर दिया जाता है, उसी तरह से पिछड़ी जाति की गरीब लड़कियों की शादी के लिए भी 10-10 हजार रुपये का प्रावधान किया जाय।

इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का पहली बार बजट पेश किया है और उत्तर प्रदेश की जनता का मान सम्मान रखा है, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था तागड़ धिन्ना, नागड़ धिन्ना मैं कहता हूं ता धिन धिन्ना मुलायम सिंह ने बजट पेशकर बन गये इस प्रदेश के कृष्ण कन्हैया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जय हिन्द।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर हो रही सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसके विरोध में कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा लेकिन मान्यवर, मेरा क्षेत्र रामनगर, बाराबंकी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मान्यवर, यह क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे है और जब आप माननीय उपाध्यक्ष जी बहराइच जाते हैं तो यह रामनगर रास्ते में पड़ता है और यह घाघरा के किनारे लम्बी-लम्बी दूरी तक है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हेमपुरा के पास एक नारायण दास बाबा जी का मन्दिर है और वहां पर लगभग पांच-सात जनपद के लाखों लोग दीवाली के रोज पूजा अर्चना करने आते हैं। देवा का जो मेला है वह तो घोषित मेला है परन्तु वहां का मेला अघोषित मेला है। मान्यवर, घाघरा नदी के कटान के कारण उस मन्दिर को संकट उत्पन्न हुआ था। मैंने राज्यांश के पैकेज के माध्यम से सहायता हेतु नियम-56 में सदन के पिछले सत्र में अपना एक प्रत्यावेदन डाला था और उसमें मेरा पैकेज मंजूर हुआ था। वहां पर एक टोकर बनी परन्तु उस पैकेज पर आज रोक लगा दी गई है। मान्यवर, अभी वहां लम्बी सड़कें न होने के कारण तहसील मुख्यालय पर आवागमन में लोगों को कोई साधन सुलभ नहीं है।

मान्यवर, इसी तरीके से झंझरी से छेदा मार्ग 10 कि0मी0 है जहां दर्जनों गांव पड़ते हैं वहां कच्चे मार्ग पर लोगों का चलना दूभर है और ब्लाक मुख्यालय लोग नहीं आ पाते हैं यह पैकेज के माध्यम से मार्ग स्वीकृत हुआ था लेकिन उसे रोक दिया गया है। मान्यवर, इसी तरीके से अमौली कलां से तिल्लौर रोड 7 कि0मी0 का है इस पर आवागमन का कोई साधन नहीं है यह भी पैकेज के माध्यम से स्वीकृत हुआ था जो रोक दिया गया है। मान्यवर, इसी तरह से रानी बाजार से सहादतगंज सड़क

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर ददौरा-ललौरा मार्ग है। यहां दर्जनों गांव ऐसे पड़ते हैं जिनके आवागमन का कोई साधन नहीं है। मान्यवर, यहां पर पैकेज के माध्यम से धन आवंटित है परन्तु इस पर रोक लगा दी गई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में जो आवश्यक यह मार्ग हैं जनहित में इसे स्वीकृत करके धन अवमुक्त कराने का निर्देश देने का कष्ट करें।

मान्यवर, मैं अपने जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में कहना चाहती हूं कि अपराधियों का हौसला बुलन्द हो गया है। फिर भी लड़कियों की इज्जत के कारण मैं यह विषय नहीं उठाना चाह रही हूं। अपराधियों का संरक्षण तमाम नेता कर रहे हैं। इन अपराधों पर मेरे जनपद में अंकुश लगाया जाये। धन्यवाद।

*श्रीमती गीता सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। बजट पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं सदन के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों ने जिस तरह से महिला आयोग को भंग किये जाने को लेकर ड्रामा किया उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई एक तरफ महिलाओं को दुर्गा, देवी, लक्ष्मी, लक्ष्मीबाई की संज्ञा दी जाती है वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग की सिफारिश करते हैं। महिलाओं के रिजर्वेशन की बात होती है, क्या हम कमजोर हैं, मजबूर हैं, अगर 50 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाय तो भी कम होगा। रिजर्वेशन का मतलब क्या लगाते हैं कि आप हमें बराबर मानते ही नहीं जबकि महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। महिलाओं का क्या मतलब, पैरालाइज है, कमजोर हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं, अब पुरुषों से महिलाएं पीछे हैं। हम महिलायें जो इस सदन में बैठी हैं पुरुषों से जीतकर आती हैं महिलाओं में 50 में से 25 सीटें लेकर आयी हैं 50 कुल सीटें थीं पुरुष 350 में से आपके सामने उनकी संख्या है, कितना जीतकर आये हैं कैलकुलेट करके देख लीजिए। महिलायें कहीं पीछे नहीं हैं इसलिए सबसे ज्यादा मुख्य मंत्री जी का समर्थन करती हूं कि उन्होंने महिला आयोग को भंग किये जाने की घोषणा की क्योंकि हम महिलायें बेचारगी की जिन्दगी जीना नहीं पसन्द करतीं और इसके साथ मैं पुनः आप को धन्यवाद देती हूं, सारी महिलाओं को, सारे सदन की तरफ से कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर महिलाओं के लिए महिला आयोग बनाते हैं तो पुरुषों के लिए भी एक आयोग होना चाहिए जहां जाकर वह अपनी दास्तान कह सकें। महिला आयोग भंग किये जाने का बहुत अच्छा काम था। धन्यवाद।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया आपको धन्यवाद। मान्यवर, जब से यह सरकार आई है प्रदेश में हत्याएं, लूट और अपहरण, दलितों के ऊपर अत्याचार यह एक सीमा से ज्यादा बढ़ गये हैं। मान्यवर, अतिक्रमण भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन, लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करना यह सारे प्रदेश में हो रहा है। मान्यवर, मऊरानीपुर तहसील के अन्तर्गत 100 दुकानों का रात दिन निर्माण अधिकारियों और राजनीतिज्ञ लोगों की मदद से हो रहा है। मान्यवर, तहरौली तहसील में भी सरकारी जमीन पर कब्जा होकर दुकानें रातोरात बनायी जा रही हैं। मान्यवर, मऊरानीपुर में तहबाजारी के नाम पर अपराधी रात दिन वसूली करते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है किससे कितना पैसा लेना है यह तय नहीं है। ट्रैक्टर, बस, ट्रक जहां भी मिले उनसे दिन वसूला जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है। किसानों के ट्रैक्टरों से 10 रुपया, 20 रुपया, जैसा भी हो लेते हैं यह अत्याचार मचा हुआ है इससे लोगों में भय व्याप्त है। मान्यवर, चोरियां आये दिन हो रही हैं, लोग रात दिन जागते हैं और यह अफवाह उड़ा दी जाती है कि ये कच्छाधारी बदमाश हैं। मान्यवर, उनके भय की वजह से लोग रात-दिन जागते हैं और घर में रहते हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग भयमुक्त हों। मान्यवर, मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र झांसी के अन्तर्गत बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है कि रानीपुर में रानीपुर टेरीकाट के नाम से कपड़ा बनता था और वह कपड़ा देश और विदेश में बिकने लगा था लेकिन आज विद्युत की समस्या को देखते हुए सारा व्यापार चौपट हो गया है। सिंचाई के लिए किसान परेशान है नल, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि मऊरानीपुर में विद्युत व्यवस्था ठीक कराई जाय। वहां पर 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन प्रस्तावित है, जिसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसमें मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि उसे जल्दी से पूरा करवाने की कृपा करें। बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत जनपद झांसी में विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर मात्र एक सपरार बांध है, जिससे मुख्य नहर निकाली गयी है, उसका पानी भी लहचूरा बांध में जाता है, जिससे यहां के किसानों को पानी नहीं मिल पाता है।

मेरा अनुरोध है कि सुखनैव नदी पर एक चेकडैम या बांध का निर्माण किया जाय, जिससे लहचूरा बांध का पानी वहां के किसानों को मिल सके और सपरार बांध का पानी रोककर क्षेत्र में किसानों को मिल सके। मान्यवर, वहां पर ट्यूबवेल सफल हैं, लेकिन बुन्देलखण्ड में ट्यूबवेलों के निर्माण पर रोक लगी हुयी है, उस रोक को हटाते हुये मऊरानीपुर विधान सभा में ट्यूबवेल लगवाये जायें, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा हो सके और छोटे-छोटे चेक डैम बनवाये जायें और उन चेक डैमों से पानी रोककर किसानों को उपलब्ध हो सकेगा और किसान पम्पसेट के माध्यम से पानी लेकर अपनी सिंचाई कर सकेगा।

मान्यवर, हमारे मऊरानीपुर में सड़क और पुलों की हालत बहुत खराब है। मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आज के समय में भी, आजादी के इतने दिन बाद भी मानपुरा, खतौरा, विरगवां और कुवसरा आदि 4 गांव हैं, जो बिल्कुल समुन्द्र जैसे टापू हैं, वहां एक तरफ उर नदी और दूसरी तरफ धसान नदी है, जो मध्य प्रदेश से लगी है, वहां के किसानों को इधर-उधर आना-जाना पड़ता है। जहां हर समय नदी का पानी भरा रहता है, इस कारण किसान अपना खाद बीज नहीं ले जा पाता है। वहां पर सिंचाई विभाग की तरफ से एक नाव की व्यवस्था रहती थी, वह नाव भी कई साल से नहीं है, इस वजह से किसानों को आये दिन परेशानी झेलनी पड़ती है। जब किसान अपना खाद-बीज लेकर जाता है, तब अक्सर नाव डूब जाती है और किसान बेचारा रोता है, किसी तरह से पैसा उधार लेकर वह खाद-बीज खरीदता है और नदी में डूब जाता है, बाद में किसी तरह अपनी जान बचाकर जब वह घर जाता है तो शोक से उसका परिवार खाना नहीं खाता है।

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि कंधौरा घाट पर पुल का निर्माण कराया जाय, जिससे उन गांवों के लोगों को आने-जाने की सुविधा हो। मान्यवर, इसी प्रकार मऊरानीपुर में रेलवे क्रासिंग से अकसेव व विपरोखर ग्राम हैं जहां कोई सड़क नहीं है, वहां पर सड़क बनवाई जाय। एक और बात आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे विधायक निधि है, क्षेत्र पंचायत निधि है और गांव सभा में प्रधानों के माध्यम से जिलेवार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाते हैं, उसके संबंध में मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से धन को खर्च करते समय नियंत्रण हो, यह सारा पैसा चाहे किसी

भी निधि का हो यह सारा पैसा जो जनता का है और जनप्रतिनिधि के नाम से तभी पैसा मिलता है, जब जनता उसको चुनती है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि विधायक निधि के द्वारा निर्माण कार्य पर जांच कमेटी होनी चाहिए और जिस विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जाय, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वह चाहे क्षेत्र निधि का काम हो चाहे विधायक निधि का काम हो, जिससे कि पैसे का सदुपयोग हो सके। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट के विरोध में मुझे बोलने का मौका दिया, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, आपने नेता सदन, परम् श्रद्धेय हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा 2004-2005 के बजट भाषण पर और उसके समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह जी द्वारा पांच महीने पूर्व उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली गयी। मान्यवर, मैं केवल दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज से ठीक पांच महीने पूर्व आदरणीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय विद्वान सदस्य जो हमारी तरफ बैठे हुए थे तब कानून और नियम की बात नहीं करते थे और जब उधर बैठ गये तो पता नहीं कौन सा चश्मा लगा लिया कि प्रदेश की शांति व्यवस्था और कानून की बात करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछली जनवरी में 15 तारीख को इस सदन की पूर्व नेता सदन लाखों रुपये के भूषण, आभूषण और गहने पहन कर अपना बर्थ-डे मना रही थीं।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह कहना कि लाखों रुपये का जन्मदिन मना रही थीं, क्या आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं ? क्या आलोचना कीजिये लेकिन इस तरह की आलोचना पर हमारी आपत्ति है।

श्री छोटेलाल यादव-

मान्यवर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और सम्मानित सदस्य हैं यह कोई आलोचना नहीं है जो गैरकानूनी हो। आपको किसानों पर अब हमदर्दी आ रही है, तब आप कहां चले गये थे जब उत्तर प्रदेश में कम्बल न मिलने की वजह से 6 हजार से ऊपर के गरीब और लाचार लोगों ने जाने गवां दीं और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री उस समय बर्थ-डे मना रही थीं। आज आप इस तरह की बात करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बने आज 4 महीने हो गये हैं। 18 सितम्बर, 2002 को जब सुखदेव राजभर जी इधर थे और संसदीय कार्य मंत्री थे, असन्दरा थाने में मुंहनोचवा, कच्छा-बनियान और बावरिया गिरोह के द्वारा वहां की जनता परेशान थी। तब असन्दरा क्षेत्र के आसपास के लोग पुलिस की गश्त बढ़ाने के लिये असन्दरा थाने गये थे। वे मुंहनोचवा व कच्छा बनियान गिरोह व बावरिया गिरोह से त्रस्त थे। कई रात दिनों के जगे थे। गरीब, किसान, मजदूर पुलिस से कहने गये थे कि सुरक्षा-व्यवस्था/गश्त बढ़ा दें। लेकिन वहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। उसमें एक किसान की मृत्यु हो गई और 18 लोग घायल हो गये, उन पर मुकदमा भी कायम करा दिया गया। आप किसानों-मजदूरों के बड़े हमदर्द हैं, आप कहते हैं कि वह पुलिस पर हमला करने गये थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज किसान, मजदूर सारे लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी की हुकूमत में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अखबारों की सुर्खियों में आने के लिये आप भेदभाव का आरोप लगाते हैं। सभी विपक्ष के लोगों को माननीय नेता सदन को रचनात्मक सुझाव देना चाहिये जिससे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब व मजदूर वर्ग का विकास हो। पिछली सरकार के डेढ़ वर्ष व इससे पहले के शासन काल में कुल मिलाकर साढ़े सात साल के शासन काल में आपने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया जहां से व्यवस्था को दुरुस्त करने में लम्बा समय लगेगा। विपक्ष के लोग भेदभाव की बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं इस सदन में तीसरी बार चुनकर आया हूं, विपक्ष के सदस्यों को पता होगा बाराबंकी में सफेदाबाद है वहां पर ओवर ब्रिज बनाने के लिये सारे दल के लोगों ने मांग की, हस्ताक्षर अभियान चलाया। उस समय के तत्कालीन नेता सदन और पूर्व मुख्य मंत्री जो इस सदन के सदस्य थे और घोषणानाथ कहलाते थे। सफेदाबाद के रास्ते से पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र की तमाम गाड़ियां क्रास करती हैं। आसाम और पूर्वांचल क्षेत्र की तमाम ट्रेने यहां तक कि नेपाल राज्य के पीड़ित शोषित बीमार लोग आते हैं, ओवर ब्रिज न बनने की वजह से वहां घण्टों जाम में फंसे रहते हैं, दोनों तरफ मीलों जाम लग जाता है चौटहिल और बीमार लोग अपनी जान गवां बैठते हैं, पर 24 घण्टे में 16 घण्टे क्रासिंग बन्द रहती है ।

मान्यवर मुझे जानकारी है कि रेलवे विभाग ने अपने हिस्से का 60 फीसदी पैसा दे दिया था, लेकिन घोषणानाथ जी ने प्रदेश के हिस्से का धन नहीं दिया जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज के सफेदाबाद का ओवर ब्रिज नहीं बना। दूसरी तरफ गोमती नगर जहां 24 घण्टे में 4 गाड़ियां पास होती हैं लेकिन वहां पर ओवर ब्रिज बना दिया गया तो भेदभाव आपकी सरकार में हुआ है हमारी सरकार भेदभाव में विश्वास नहीं करती है। इस बजट में हमारी सरकार ने 70 से 80 फीसदी धन उत्तर प्रदेश के गरीबो मजदूरों और किसानों के विकास के लिये व्यवस्था की है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि विपक्ष के मा0 सभी विधान सभा सदस्यों ने कहा कि विकास के लिये कोई योजना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 56 जिलों के जिला हेड-क्वार्टरों को चिन्हित किया है जिसके तहत नगरपालिका की पांच कि0मी0 की परिधि में आने वाले 10 से 15 गांवों को शहरी सुविधाओं से जोड़ा जायेगा। (विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा यह कहने पर कि पैसा भारत सरकार देगी) काम तो प्रदेश सरकार करायेगी। हमारे सामने विपक्ष के मा0 विद्वान और अनुभवी सदस्य बैठे हैं। मान्यवर, मुझे उस समय की बात याद आती है। द्वापर के युग में दुर्योधन के घर में भीष्म पितामह ने भूल से अन्न खा लिया था, उन्हें दुर्योधन के अन्याय और कुशासन का ज्ञान नहीं रहा और जब विपक्ष के लोग इधर से उधर चले गये तब उन्हें ज्ञान का बोध हुआ और कानून और नियम याद आने लगा है। तब से देश की कानून व्यवस्था गरीब, मजदूर, किसानों की बात याद आ रही है। यह बजट जो श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा 2004-2005 का प्रस्तुत किया गया है इस पर मैं बल देता हूं, समर्थन करता हूं। यह

किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है, व्यापारियों के हित में है, शिक्षित बेरोजगारों के हित में है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आपने बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं। मैं बजट भाषण के विरोध में अपनी बात कहना चाहता हूं। 14 नवम्बर, 2003 को जब यहां बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय हम लोगों ने यह बात रखी थी कि जब कोई आम बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें पांच दिन साधारण चर्चा होनी चाहिए और 24 दिनों अनुदानों की मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने उस समय आश्वस्त किया था कि यह कुछ महीनों का बजट है जब 2004-2005 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो पूरा अवसर मिलेगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट का भी वही हश्र हो रहा है जो पिछले बजट का हुआ था। पांच दिन में पूरे बजट पर चर्चा अनुदानों पर समाप्त हो जाएगी। वर्ष 2004-2005 का जो बजट मुख्य मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है इसमें 61,264.92 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं। जबकि 63,983.63 करोड़ रुपये कुल व्यय के अनुमानित हैं। वर्ष 2004-2005 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष 1074.79 करोड़ है तथा अन्तिम ऋणात्मक अवशेष 618.20 करोड़ रुपये अनुमानित है। जब बजट भाषण में और मांग बढ़ी है तो कमी किस प्रकार की जाएगी। यहां पर मुख्य मंत्री जी ने आंकड़ों की बाजीगरी रखी है। किसी भी सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाए उसमें सही तथ्यों को लेकर आना चाहिए। कोई नए कर नहीं लगाए गए हैं तो किस तरह से आय के श्रोत बढ़ायेंगे। किस प्रकार से धनात्मक होगा इसमें मुझे शक है।

इसमें एक बात कही गई है कि प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। आदर्श प्रदेश बनाएं हम सहमत हैं लेकिन जिलों के आंकड़े आप देखें वह इससे भिन्न हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं पिछले साढ़े पांच महीने में, इस सरकार के कार्यकाल में किस तरह की स्थिति हुई। कानून व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पिछले दिनों में इलाहाबाद में था वहां पर हत्यायें हुई लोगों को लूट लिया गया इस तरह की घटनाएं हो रही हैं पुलिस नागरिकों की रक्षक होती है लेकिन जालौन में क्या हुआ ? प्रतापगढ़ में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक हो जाएगी तो हम कहां जा रहे हैं ? एक पुलिस अधिकारी ने त्याग-पत्र दे दिया उसने स्वेच्छा से त्याग-पत्र नहीं दिया होगा कहीं न कहीं टार्चर हुआ होगा तभी मजबूर होकर उसको त्याग-पत्र देना पड़ा। मैं 1991 से सदन का सदस्य रहा हूं। मुझे याद नहीं कि इस तरह से किसी विधायक ने त्याग-पत्र दिया होगा लेकिन आज चार-चार विधायक त्याग-पत्र दे रहे हैं। क्या खुशी में त्याग-पत्र दिया होगा ? इससे यह सिद्ध होता है कि विधायक संतुष्ट नहीं हैं। पिछले साढ़े पांच महीनों में कितने आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0, पी0पी0एस0 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए इन ट्रांसफर पर कितना पैसा खर्च होता है। अच्छे अधिकारियों को अच्छी जगह मिलनी चाहिए और खराब अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाना चाहिए हम इसके पक्षधर हैं लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज राज्य मंत्री संतुष्ट नहीं हैं। उनको मुख्य मंत्री से मिलने में दिक्कत होती है और नाराजगी में वह त्याग-पत्र दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आदर्श प्रदेश बनायेंगे लेकिन ऋणात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं। 14 नवम्बर, 2003 को मुख्य मंत्री जी ने प्राथमिकताएं गिनाई थीं। कुछ घोषणाएं की गयी थीं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक बात कही गयी थी कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जायेगा। मुझे तो कोई भी ऐसा छात्र नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि 1995 से 2004 की जो फीस बढ़ी हुई थी उसको वापस कर दिया

गया। इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घोषणा क्यों करते हैं, जो पूरी नहीं करते। ऐसी घोषणाएं किया करिये, जिनको आप पूरा कर सकें और एक अच्छा सन्देश जाय। एक बात सही है कि आपने सरकारी अस्पतालों में पर्चे का मूल्य 8 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

सिर्फ आपको यही याद है, सारी जांच, भर्ती और बैड का भूल गये। गौर साहब न्याय कीजिये, आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। सिर्फ आपको यह याद रहा कि पर्चे का मूल्य 8 रुपये से 1 रुपये कर दिया। यह नहीं याद रहा कि अब दवाएं भी मिलने लगी हैं।

श्री घनश्याम शुक्ला-

दवाएं है ही नहीं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

दवा मिलने लगी है। आप सरकारी अस्पताल जाकर देखिये, दवायें मिलेंगी। किसी गरीब के अस्पताल आप जाते ही कहां हैं ? अगर जाने लगें तो दवाएं मिल जायेंगी। खैराती अस्पताल में जाने में आप अपना सम्मान कहां समझते हैं ? खाना बन्द कर दिया गया था अब वहां खाना भी मिलने लगा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकारी चिकित्सालयों में। मैं कहना चाहता हूं कि आप मेडिकल कालेज में चले जायं। आज जिसके पास कोई साधन नहीं है वही शायद मेडिकल कालेज में भर्ती हो। जैसी दयनीय हालत है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

किसी एक विभाग के बारे में आप बतायें ? कहां दयनीय है ? मेडिकल कालेज बड़ा अस्पताल है, वहां मुख्तलिफ विभाग है। वहां पढ़ाई होती है, रिसर्च होता है, मरीजों का इलाज होता है और जांच भी होती है। कोई एक जगह आप बतायें, मैं कल तक आपको उसका उत्तर दूंगा। किसी एक जगह के बारे में आप बतायें कि यहां पर अन्याय हुआ है, मैं कल सदन में आपको उसका उत्तर दूंगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

इलाहाबाद की बात मैं कर रहा हूं। मान्यवर, बिजली के बारे में कहा गया था कि 14 घन्टे गांवों में बिजली दी जायेगी और शहरों में तो ज्यादा दी जायेगी। यह सरकार बनने से पहले तक 4 घन्टे बिजली की कटौती होती थी। आज इस सरकार के बनने के बाद नगरीय क्षेत्रों में ही 4-5 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कटौती हो 4-5 घंटे की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बिना सूचना के कटौती हो रही है जिससे दिक्कत होती है। प्रातः काल छात्र पढ़ने जाते हैं उनको पानी गरम नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में कितने घंटे बिजली मिल रही है इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। अभी तक मुझे नहीं मालूम कि किस बजट में इसका प्रोविजन किया गया। एक बात और कही गयी थी कि यह सरकार गन्ना किसानों की हितैषी है। पहली

बार कहा गया था कि 30 सितम्बर तक पूरा भुगतान कर दिया जायेगा, फिर दूसरी बार कहा गया कि 15 जनवरी तक पूरा भुगतान हो जायेगा। मेरे पास 11 फरवरी, 2004 तक के कुछ आंकड़े हैं। हम समझते हैं कि इस सरकार के अन्दर जितना गन्ना किसानों को शोषण हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार 5 साल थी, हमने गन्ने की वैराइटी के हिसाब से उसका भुगतान किया है।

(सदस्यों के कुछ कहने पर व्यवधान)

पिछले पेराई सत्र में सरकारी चीनी मिलों ने 95 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया था लेकिन निजी क्षेत्र की मिलों ने 73 से 93 रुपये प्रति क्विंटल किया था।

श्री छोटे लाल यादव-

आपने कहा कि हमने किसानों को गन्ना पेराई का भुगतान 95 रुपये प्रति क्विंटल किया था। 95 रुपया दिया बकाया तो मुलायम सिंह यादव जी ने भुगतान किया है, वह बधाई के पात्र हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सरकार चीनी मिलों में 95 रुपये प्रति कुन्तल देगी।

श्री उपाध्यक्ष-

भाषण लम्बा हो गया है कृपया समाप्त करें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

बोल लेने दें, बोलने वाले भी कम हैं। सरकारी चीनी मिलों में 95 रुपये प्रति कुंतल दिया गया निजी क्षेत्र में न्यूनतम 73 रुपये से लेकर 93 रुपये प्रति कुन्तल का भुगतान किया गया। उसके हिसाब से गन्ना मूल्य दिया गया है। निजी क्षेत्र में चीनी मिलों ने 95 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से निजी क्षेत्र में भुगतान नहीं किया है। इस तरह से 4,230 करोड़ का भुगतान करना होगा अगर औसत 80 रुपये के हिसाब से लें तो 534 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाता है। श्रीमन् 2003-2004 में वर्तमान पेराई सीजन चल रहा है। सारी चीनी मिलें चलेंगी यह कहा गया। 2002-2003 में 101 चीनी मिलों ने पेराई की थी। अब वर्तमान साल में 92 चीनी मिलों के द्वारा पेराई की गई। नौ चीनी मिलें बन्द हैं तो यह नौ चीनी मिलें क्यों बन्द हैं ? सरकारी चीनी मिलों में 100-95 रुपये देने की बात कही है, दे रहे हैं केन्द्र सरकार ने एस0एम0पी0 मूल्य 73 रुपये किया है। निजी क्षेत्र में 69-73 दे रहे हैं गन्ना किसानों को। उद्योगपति हैं, उनके उद्योग हैं यह निजी क्षेत्र की चीनी मिल चला रहे हैं उनसे कहें कि गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए। हो सकता है बांत मान लें। गन्ना किसानों के हित की सोचना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश को उद्यमी प्रदेश बनाना चाहते हैं अच्छी बात है उत्तर प्रदेश उद्यमी प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश में विकास परिषद् बना उसने तीन निर्णय लिए। पहले निर्णय में 24 चीनी मिलों को पट्टे पर दिए जाने की बात कही। दूसरे निर्णय में ऊर्जा के निजीकरण की बात कही गई, तीसरे निर्णय में आवास का निजीकरण किया जाएगा। यह कहा गया उसके बाद बिजली कितने में मिलेगी, सामान्य नागरिक क्या उन आवासों को खरीद पाएगा। आपने जो उत्तर प्रदेश विकास परिषद् नाम रखा है इसको न रखकर उत्तर प्रदेश निजीकरण परिषद् रखना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया जा रहा है बल्कि सब चीजों का निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या इफेक्ट होगा उसको आप देखें, उस पर भी विचार कर लें।

शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि शिक्षा के लिए हरेक को चिन्ता करनी चाहिए। आपने बजट में बहुत बातें कहीं हैं उनको स्वीकार करते हैं। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा के कालेज की जो शिक्षा है, उसमें शिक्षा तो है लेकिन शिक्षक नहीं हैं तो कैसे पढ़ाई होगी, बेसिक विद्यालयों में काफी पद रिक्त हैं। 89 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उसको भरने की क्या व्यवस्था की गई है ? जब शिक्षक नहीं हैं तो पठन-पाठन कैसे ठीक होगा। शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। मानव संसाधन मंत्री ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा जितना पैसा उत्तर प्रदेश को दिया गया है उसका यूटीलाइजेशन नहीं हुआ है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान है उसमें जितना पैसा मिला है उसका उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति जो कर रहे हैं उसको अच्छा मानता हूं मेरा आग्रह है कि कहीं पर यदि नियुक्तियां होती हैं समाचार पत्रों में निकलता है कि उसमें पैसा चलता है तो किस तरह से शिक्षा पारदर्शी हो सकती है इसमें प्रयास किया जाए। निश्चित रूप से आप जो सहयोग मांगेंगे हम देंगे। माध्यमिक स्कूल बिना अनुदान के चल रहे हैं तो इनको अनुदान सूची में लाया जाए ताकि बाद वाले कालेज सोचें कि पांच साल बाद मेरा भी नम्बर आएगा। एक आपने निर्णय लिया है, स्वकेन्द्र परीक्षा कराने का, मेरी अनेकों शिक्षकों से बात हुई, अनेक लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है स्वकेन्द्र परीक्षा से कहीं कोई कमी न आ जाये। इसके लिए शिक्षाविदों से विचार-विमर्श कर लेना चाहिए था। उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें बहुत पद रिक्त हैं, मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी तो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं हायर एजूकेशन कमीशन और विश्वविद्यालयों से भी कह सकते हैं ताकि जो शिक्षकों की कमी है उसे पूरा किया जा सके। जो निजी फाइनेन्सिंग से इन्स्टीट्यूट खुल रहे हैं, उन्हें भी देखने की आवश्यकता है, वहां परमानेन्ट फैकल्टी के मेम्बर होने चाहिए, वे केवल कान्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति कर लेते हैं और उन्हें भी इतना कम पैसा देते हैं जिससे उनका एक्सप्लायटेशन होता है। यदि इसके लिए सरकार कोई एक्सपर्ट कमेटी बना दे, जिससे सेल्फ फाइनेन्स के अन्तर्गत जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूट होंगे, उनकी व्यवस्था ठीक होगी।

उपाध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिखायी पड़ रहा है, लोग प्रदेश के अन्दर बी0एड0 कालेज खोलना चाहते हैं क्योंकि उसमें पैसा है। कल एक छात्र मेरे पास आया था उसने बताया कि उससे 45 हजार रुपया मांगा गया है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जिस तरह से इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेन्ट में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, जब मैं मंत्री था इस विभाग का, मैंने व्यवस्था की थी, आप प्रदेश स्तर पर बी0एड0 के लिए भी कम्बाइंड इन्ट्रेन्स इग्जामिनेशन कराइये, इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा और यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ऐसी व्यवस्था न होने से छात्रों को दिक्कत होती है, 10-10 जगह उसे प्रवेश के लिए फीस देनी पड़ती है। एक बात उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं, यहां पर भी बात उठी है। 2001 का शासनादेश है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उसकी निश्चित शर्तें पूरी करने पर, उन्हें नियमित करने की बात कही गयी है। राजकीय महाविद्यालय में जो तदर्थ शिक्षक हैं, वह भी उसमें आते हैं। 3 साल से पत्रावली उच्च शिक्षा निदेशालय और शासन स्तर पर पेन्डिंग चल रही है, उसे आप निस्तारित करायें और जिससे वहां के शिक्षक विनियमित हो सकें। कोई व्यक्ति जब एडहाक होता है तो वह कार्य भी पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं किसी भी मेडिकल कालेज में आप देख लीजिए, वहां के वार्डों में कितनी गन्दगी है, बाथरूम में कोई जा नहीं सकता है। मेडिकल कालेज का बजट कम है, जितने भी मेडिकल कालेज है, एक को

छोड़कर कहीं भी परमानेन्ट प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों के भी तमाम पद रिक्त चल रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कालेज के बारे में यहां बात उठायी जा चुकी है। दवाइयों के लिए भी बजट बढ़ना चाहिए। आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, प्रदेश के अन्दर जो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं, वहां प्राचार्य और शिक्षकों की कमी है। प्राइवेट नर्सिंग होम का जाल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है।

जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री था तो मैने चिकित्सा मंत्री से इस सम्बन्ध में बात की थी। वहां पर भर्ती किसी मर्ीज का एक दिन में 4-5 हजार रुपये निकल जाता है। यदि एक सप्ताह कोई भर्ती हो गया तो एक लाख रुपया निकल जाता है, वहां पर डाक्टर, नर्स तथा प्रत्येक चीज का अलग-अलग पैसा लिया जाता है। इसमें यदि कोई व्यवस्था सोच सकते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। जो किंग जार्ज डेण्टल कालेज है, उसको विश्वविद्यालय बनाया गया है। मान्यवर, छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय किस तरह खोले गये, जिस तरह से गली-गली से प्राइमरी स्कूल होते हैं उस तरह से विश्वविद्यालय खोले गये। 25 शिक्षक थे डेण्डल कालेज में, 70 छात्र हैं। क्या इसको यूनिवर्सिटी बनाने की आवश्यकता थी ? किस प्लान के तहत यह बनायी गयी है। इस पर पुनर्विचार करें। अगर आप इसको के0जी0एम0सी0 जो अब के0जी0एम0यू0 है में इसको सम्मिलित कर लें तो उचित होगा। आपने उर्दू और मदरसों के विकास की बात कही है लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय भी प्रदेश में चलते हैं। संस्कृत के शिक्षक भी हैं। संस्कृत भाषा तो हमारे देश की प्राचीन भाषाओं में से है। उसके विकास की भी चिन्ता करनी चाहिए। मुख्य मंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, उन्हें पूरे प्रदेश की चिन्ता करने की आवश्यकता है।

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के नगर निकायों की हालत बहुत चिन्तनीय है। इलाहाबाद में सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, वेतन नहीं मिल रहा है वह सफाई कैसे करें ? आपसे अनुरोध है कि नगर निकायों की चिन्ता करें। आज महानगरों में सीवर की व्यवस्था नहीं है। अगर आप सीवर व्यवस्था के लिए सूडा के 80 प्रतिशत पैसे को शहरों में लगा दें तो लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। आप बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं दे सके। आपके मंत्रि-मण्डल में 94 मंत्री हैं। आपके विधायक काफी कर्म्पाटेन्ट हैं। मुख्य मंत्री जी के पास गृह, वित्त, नियोजन, आबकारी, ऊर्जा, सहकारिता, गन्ना विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा आदि विभाग हैं उनको बांट दीजिए इन लोगों को भी काम मिल जायेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश के विकास में वृद्धि हो सकेगी। हम लोग शहरों के विधायक हैं। शहरी और ग्रामीण विधायक में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रामीण विधायकों को 5 गांवों के विद्युतीकरण कराने की सुविधा है उसी प्रकार से शहरों के विधायकों को भी शहरी क्षेत्र में विद्युत के विकास कार्य कराने तथा 100 हैण्डपम्प लगवाने की सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यवर, जो सड़कें बरसात के बाद टूटी हैं उनको ठीक कराया जाना चाहिए। इलाहाबाद से लखनऊ आने में पहले साढ़े तीन घण्टे लगते थे आज 4 घण्टे लगते हैं अगर इसको आप ठीक करा देंगे तो उचित होगा। यह कहते हुए मैं बजट का विरोध करता हूं तथा जो इसमें अच्छी बातें हैं उनका सहयोग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

इलाहाबाद वाली सड़क तो दिल्ली वाले ही बनाते हैं आप दिल्ली से कहिए न। 2-3 महीने बाद आपको यह कहने का भी मौका नहीं मिलेगा, वह अभी बन जायेगी।

श्री विश्राम सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नेता सदन द्वारा रखे गये बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। बजट भाषण में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। यह बिना टैक्स का बजट है। इससे सराहनीय और क्या हो सकता है। दूसरी बात कि सरकार की नियति और नीति दो चीजें होती हैं। अगर सरकार की नियति और नीति टीक है, तो उसके विरोध की गुंजाइश नहीं रहती है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से नियति और मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण से नीति साफ हो गयी। इसलिए बजट भाषण का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बार-बार हमारे विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन क्यों कर दिया गया है ? कभी तो विरोधी दलों के नेता बार-बार कहते हैं कि प्रदेश में बिजली का विकास कैसे होगा ? सड़कों का विकास कैसे होगा ? स्कूलों का विकास कैसे होगा ? स्कूल कैसे बनेंगे ? मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था तो करनी होगी, कोई न कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा और वही रास्ता ढूंढा गया है विकास परिषद् का गठन करके, पूंजी लाकर प्रदेश के विकास की बात की जायेगी। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। मान्यवर, इस सरकार ने विकास के किसी क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा हो, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। हर क्षेत्र में काम करने का संकल्प इस बजट भाषण में किया गया है।

मान्यवर, यह प्रदेश धर्म और जाति में बंटा है, लेकिन इस बजट में किसी धर्म और जाति को अछूता नहीं रखा गया है। सबके हितों का ध्यान रखा गया है। यहां पर तमाम वर्ग ऐसे हैं जैसे किसान, व्यापारी, नौजवान हर क्षेत्र के लिए काम किया गया है। किसानों के लिए खास तौर से क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गांव में बसता है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा, इसलिए सरकार ने अस्सी सैकड़ा धन खर्च करने का काम किया है। यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है। किसानों के लिए बीमा योजना नहीं थी। अगर कोई किसान दुर्घटना में मर जाता था, चाहे वह आलू किसान हो या फिर गन्ना किसान हो, उसको पैसा नहीं मिल पाता था लेकिन उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है।

मान्यवर, कई बार हमारे बी0एस0पी0 के नेताओं ने एक बात कही कि अम्बेडकर गांव को खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारा यह कहना है कि उनको खत्म नहीं किया गया है बल्कि उसकी परिभाषा बदल दी गयी है। आपको अम्बेडकर शब्द पर भ्रम हो गया है। आपके अम्बेडकर गांव में 11 सूत्रीय काम थे हमने उसको 16 सूत्रीय कर दिया है। अब उसका समग्र विकास होगा तो हमने क्या गलत कर दिया है ? पांच सूत्र उसके और बढ़ा दिये हैं और अब सारे गांव का समग्र विकास होगा। मान्यवर, बिजली के बारे में भी हमारी सरकार ने एक बड़ा काम किया है। यहां पर बिजली का दुनिया का सबसे बड़ा केन्द्र बनाया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में संसार का सबसे बड़ा बिजली घर होगा और प्रदेश में बिजली की कमी नहीं होगी। तो यह एक बड़ा ही सराहनीय कार्य है। हम प्रदेश के नौजवानों को एक लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम कर रहे हैं, बी0एड0 में 46189 नौकरियां देने का काम हम करने जा रहे हैं। जो गरीब लड़कियां हैं, जो आगे नहीं पढ़ पाती थीं तो उनको बीस हजार रुपये का प्राविधान करने जा रहे हैं तो क्या गलत करने जा रहे हैं ? वृद्धावस्था पेंशन एक सौ पचीस से बढ़ाकर डेढ़ सौ कर रहे हैं, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु साठ से बढ़ाकर बासठ की गयी तो यह एक सराहनीय कार्य किया गया है। इससे बढ़िया कोई बजट हो ही नहीं सकता है। जिन

विद्यालयों की स्थिति जर्जर है, एक हजार आठ सौ पचपन प्राइमरी विद्यालय, 655 जूनियर हाई स्कूलों को ठीक कराया जायेगा। बीस हजार दो सौ छब्बीस शौचालय बनाये जायेंगे तथा 5551 स्कूलों को हैण्ड पाइप लगाने का काम यह सरकार कर रही है। व्यापारियों के लिए बीमा राशि को दो लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया है होमगार्ड जो 28/-रुपया पाता था, एक मजदूर भी उससे ज्यादा पाता था तो उसको बढ़ाकर पचास रुपया कर दिया है प्रतिदिन का। इस सरकार ने इस तरह से सारे समाज के तबकों के लिए काम किया है। मैं इस बजट की सराहना करते हुए इसके पक्ष में बोलते हुए आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम में तहसील मुख्यालय में 3-4 समस्याओं की ओर मैं अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की हमारी और जनता की मांग रही है। पिछली बार जब बजट किया गया था तो कहा गया था कि इसके लिए जमीन नहीं है लेकिन इस सरकार ने हमें इसके लिए जमीन दे दी है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि चूंकि इसके लिए जमीन दे दी गयी है और इसके लिए जिला योजना में भी प्रस्ताव आ गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी कर दिया है तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का शीघ्र निर्माण करा दिया जाय।

मान्यवर, हमारे यहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय बहुत दिनों से अधूरा पड़ा था, जो हाई स्कूल तक का है, पिछली सरकार से भी मैं इसके लिए जमीन मांगता रहा लेकिन जमीन नहीं थी। 20 लाख रुपया भी उस स्कूल के लिए स्वीकृत किया गया है और यह जिला योजना में भी प्रस्तुत है, तो मैं चाहता हूं कि इसको बहुत जल्दी से बनवाया जाय। तीसरी समस्या वहां पर बिजली की समस्या है। हमारे बिलग्राम विधान सभा में उन्नाव जिले के बांगर मऊ सब स्टेशन से बिजली दी जाती है और अगर कहीं रास्ते में तार टूट गया या अन्य कोई फाल्ट हो गयी तो वहां बिजली नहीं आती है तो मैं चाहता हूं कि उसको हरदोई जिले के सुरसा विद्युत सब स्टेशन से जोड़ दिया जाय। मान्यवर, यह बहुत आसान भी है। मान्यवर, बिलग्राम से केवल 15 किमी0 दूर सुरसा विद्युत केन्द्र बना हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर आदेश भी कर दिया है, यदि बहुत जल्दी हरदोई जिले के सुरसा उपकेन्द्र से जोड़ दिया जाय तो वहां की समस्या हल हो जायेगी। एक समस्या और है मान्यवर, 93-94 में मैं विधायक था और हमारी ही सरकार थी, पांच ब्लाक हरिपालपुर, सांडी, बिलग्राम, माधवगंज, मल्लावां के ट्यूबवेलों के अनुरक्षण का कार्य हरदोई से कर दिया गया था, पिछली सरकार द्वारा इस बारे में यह कहा गया है कि उन्नाव में इनकी संख्या कम है और हरदोई में ज्यादा है, इसलिए एक डिवीजन उन्नाव में खोल दिया गया है।

मान्यवर, मेरा कहना है कि इन पांचों ब्लाकों के ट्यूबवेलों के अनुरक्षण का कार्य उन्नाव की जगह हरदोई से कर दिया जाय। मान्यवर, पिछली बार यही सरकार थी आठ सड़कें स्टेट सेक्टर से मंजूर हुई थीं और इसके लिए 30.00 लाख रुपये भी दिया गया था लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई काम नहीं कराया। मान्यवर, ये सड़के हैं-बरौलिया से ननखारा, न्योढ़ा से भदार, नया गांव से बमटापुर चिल्लौर, लमकन से मट्टिटापुर पलिया से बेड़ीमोर, खरगपुर से खद्दूदीपुर, खरगपुर से बड़ागांव, खरगपुर से चिथिगांव, मान्यवर, यह राज्य योजना से स्वीकृत सड़कें हैं, इसके लिए जो धनराशि स्वीकृत हुयी थी, वह धनराशि दे दी जाये तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में काम हो जायेगा। मान्यवर, इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पुल स्वीकृत हैं एक गर्रा नदी पर रामपुर मझियारा गांव के पास है उसे वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी है। यह पुल पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत है। यह 94-95 में स्वीकृत हुआ था। इसमें वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का कष्ट करें। मान्यवर, इसी

तरीके से नीलम नदी पर अब्दुलपुर के पास पुल स्वीकृति है और वित्तीय स्वीकृति भी है और कुछ धन सेतु निगम को दिया भी गया है। उन्होंने उसका दुबारा सर्वे कराके कुछ और पैसा मांगा है। मेरी मांग है कि उस पर भी काम कराया जाय। मान्यवर, इसी तरीके से 1993-94 में ढकपुरा अम्बेडकर गांव के पास कुण्डा नाले पर पुल स्वीकृत है इसमें 2 करोड़ 84 लाख की स्वीकृति हुई थी करीब 62 लाख रुपये की धनराशि सेतु निगम को दी भी गयी थी फिर पता नहीं क्यों उसे रोक दिया गया ? वह पुल भी स्वीकृत है मेरी मांग है कि इसे भी मंजूर कर दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट भाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं।

*श्री घनश्याम शुक्ल-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, यह जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है उसमें तमाम तरीके की घोषणाएं की गयी हैं लेकिन मान्यवर, इस बात को तय नहीं किया गया है सरकार द्वारा कि उसकी आय के साधन क्या होंगे ? हमारी जो आय की व्यवस्था है वह कहां से आयेगी, धन कहां से आयेगा विकास के लिए ? मान्यवर, इस पूरे बजट भाषण में खाली अच्छी-अच्छी घोषणाएं की गयी हैं और मात्र घोषणाओं के आधार पर इस उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला है नहीं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी जिस दिन शपथ लिए थे उस दिन उन्होंनें घोषणा की थी कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, चौदह घण्टे बिजली गांवों में देंगे जिससे गांव किसानों का हित होगा और प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होगी लेकिन मान्यवर, आज यह कहीं नहीं नजर आ रहा है न तो कानून व्यवस्था के बारे में इस समय कोई जिक्र किया गया है और न ही महिलाओं के सम्मान का कोई जिक्र किया गया है। मान्यवर, आज जो उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था है वह करीब-करीब ध्वस्त हो गयी है। मान्यवर, गोण्डा जनपद में तमाम काण्ड हो चुके हैं करीब 4-5 महीने के अन्दर 45-50 मामले दर्ज हो चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। डा0 एस0के0 मिश्रा के यहां 21-12-2003 को लूटपाट की घटना होती है कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसी तरीके से 01-01-2004 को नवाबगंज में जहां एक मंत्री जी का निवास है वहां फिरौती और अपहरण की घटना होती है पैसा न देने पर एक व्यवसायी अशोक अग्रवाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मान्यवर, इसी तरीके से 21 तारीख को गोण्डा जनपद के वकील शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई पुलिस अधीक्षक न्यायालय में घुस कर जाता है।

मान्यवर, न्यायालय एक मन्दिर है, न्यायालय की पूजा होती है और न्यायालय में सब विश्वास करते हैं। न्यायालय के अन्दर घुसकर के एक सिविल जज के सामने वह पुलिस अधीक्षक उन वकीलों पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार करता है और उनकी पिटाई करता है। मान्यवर, सरकार ने कहा था कि वह न्यायपालिका का सम्मान करेगी। मेरी मांग है कि ऐसे पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। मैंने उस दिन चर्चा के माध्यम से मांग की थी कि विधायकों की एक टीम बना दी जाए जिसमें सत्ता पक्ष के भी विधायक रहे और वह जांच करके अपनी रिपोर्ट दें। मान्यवर, मैं यह मामला सत्ता पक्ष के विधायकों पर छोड़ता हूं कि वह जांच करके आये और अगर मेरी बात गलत निकल जाय तो मैं विधान सभा से त्याग-पत्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देने के लिए तैयार हूं। जो बात मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका का सम्मान यह सरकार नहीं कर रही हैं, यह एक गम्भीर विषय है। देवीपाटन मण्डल बचाओ संघर्ष समिति के नाम से वकील शांतिपूर्ण ढ़ंग से आन्दोलन कर रहे थे उनको नहीं करने दिया गया। न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए था वह नहीं किया गया। मान्यवर, अपहरण, डकैती, लूट की कितनी ही घटनाएं गोंडा जनपद में हो चुकी हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मान्यवर, आज दिनदहाड़े गांव गरीब किसान के लिए जो चावल आता है, गेहूं आता है उसको एक हमारे माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने एक राइस मिल लगायी, राइस मिल का अगर हिसाब किताब देख लिया जाये तो अब भी लेबी का चावल जो जाता है, वहां का व्यापारी त्रस्त है, भय से भरा हुआ है, अभी उनकी राइस मिल ने ठीक ढंग से काम भी करना शुरू नही किया और हजारों हजार बोरी चावल की सप्लाई कागज में हो गयी। मान्यवर, गांव गरीब को बांटने के लिए चावल गेहूं आता है उसकी सप्लाई हो जाती है, सीधी सप्लाई, लेबी के माध्यम से उसकी सप्लाई हो जाती है। यह बहुत ही गम्भीर और चिन्ता का विषय है। माननीय मंत्री जी योगेश प्रताप सिंह जी हंस रहे हैं, यह बोलने से संकोच कर रहे हैं अभी नये नये सपा में गये हैं यह सही स्थिति जानते हैं। यह सरकार कितना महिलाओं का सम्मान करती है अभी माननीय सदस्या गीता सिंह जी बोल रही थी।

श्री उपाध्यक्ष-

आप पीठ की तरफ सम्बोधित करके अपनी बात कहें सदस्यों की तरफ नहीं।

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, मैं पीठ की तरफ ही सम्बोधन कर रहा था। मान्यवर, अभी माननीय सदस्या सम्बोधन कर रही थीं, महिलाओं की बात कह रही थीं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने भारत सरकार में 33 प्रतिशत आरक्षण को पास नहीं होने दिया। इनके यहां 15 महिलाओं से ज्यादा विधायक नहीं होंगी किसी एक भी महिला को मान्यवर, इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। यह महिलाओं का सम्मान है, यह सम्मान किया है महिलाओं का सरकार ने ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, इनको तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए इनको सम्मान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महिलाओं को सम्मान करने की बात यह सरकार करती है लेकिन हमारा सीधा-सीधा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि यह सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती। माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर यह सरकार महिलाओं का सम्मान करती तो 10-15 महिलाएं थीं अगर 15 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जाता तो सभी महिलाएं मंत्री हो जातीं। मान्यवर, अब लोगों को उधर वालों पर शक है कि वह महिलाओं का सम्मान करने वाले नहीं हैं। 33 प्रतिशत आरक्षण भारत के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी लेकिन उसको माननीय मुलायम सिंह यादव ने लागू नहीं होने दिया, यह शर्म का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप संबोधन पीठ की तरफ न करके माननीय सदस्यों की तरफ कर रहें हैं।

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, 8 जिलों और 4 जनपदों को इस सरकार ने समाप्त कर दिया। मान्यवर, हमारे देवीपाटन मण्डल में आपका भी जिला आता था, बहराइच जनपद। आप आनते हैं कि देवीपाटन मण्डल से जितने भी जिले लगे हैं, बहराइच, बलरामपुर हों, यह जिले अत्यन्त सेन्सटिव जिले हैं, यहां आई0एस0आई0 की गतिविधियां तेजी से पनप रही हैं। देवीपाटन मण्डल मुख्यालय रहने से, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वहां पर कार्यालय बन चुका था, कमिश्नर का आफिस बन चुका था, इस को हटाकर सरकार ने वहां के लोगों के साथ अन्याय किया है। आज हवाला जैसा कारोबार गोण्डा जनपद में फैला हुआ है, नेपाल की सीमा तक फैला हुआ है। हवाला के बारे में हर अखबार में दिखाया गया है। अभी एक दिन मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि कुछ अखबार वाले इस तरह से कार्यवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां आन्दोलन चल रहा है। अखबार हमारा एक स्तम्भ है और अखबार के प्रतिनिधि यह भी एक स्तम्भ के रूप में हैं। सही-गलत सभी घटनायें अखबार लिखता है, लोग उसको जानते हैं, पढ़ते भी हैं, अखबार के माध्यम से सारी घटनायें आती हैं।

मान्यवर, जाहिद नाम का एक व्यक्ति हवाला कारोबार में लिप्त पाया गया था, उसने 5-5 लोगों के बारे में बयान दिया कि फलां-फलां आदमी, जिसमें समाजपार्टी पार्टी के एक नेता भी थे, उनका भी नाम आया, लोगों ने पुलिस अधीक्षक के पास जाकर गुहार लगाई कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, लेकिन उन्होंने कार्यवाही नहीं की, उनके द्वारा यह कहा गया कि हमको सबूत चाहिये। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि एक अपराधी बयान दे रहा है, पुलिस मुख्यालय में बयान दे रहा है पत्रकारों के सामने, ई0 टी0 वी0 और जी0 टी0 वी के सामने बयान दे रहा है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिये। सरकार द्वारा उस नेता को बचाने का काम किया जा रहा है। यह हवाला का कारोबार और आई0 एस0 आई0 के एजेन्ट, यह एक गम्भीर विषय है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि देवीपाटन मण्डल को हटाकर सरकार ने एक गम्भीर कदम उठाया है और इसका खाम्याजा इनको आने वाले चुनाव में जनता देगी। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है, आज इस प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिये, गांव-गरीब किसान के लिये पिछली सरकार में जो तहसील दिवस चलता था, एक अच्छा कार्यक्रम था, तहसील दिवस के माध्यम से हर व्यक्ति को न्याय मिलता था उसको इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। तहसील दिवस पर हर अधिकारी/कर्मचारी वहां आकर बैठता था और व्यक्ति को न्याय मिलता था, आज आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यह एक चिन्ता का विषय है। मण्डल और जिले हटा दिये गये और कहा गया कि इससे पैसे की बचत होगी।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपने मंत्रियों की संख्या में कमी कर देती जो 90-95 मंत्री बना रखे हैं, जबकि इसके लिये स्पष्ट निर्देश हैं कि 33-34 मंत्री ज्यादा बने हैं, आप उनको हटाकर अपना बोझ हल्का कर सकते थे और मण्डल व जिले बने रहते देते तो यह एक अच्छा काम होता। इसी तरह से गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे राम गोविन्द चौधरी जी सामने बैठे हैं और सदन की कार्यवाही चला रहे हैं, जब यह इधर बैठा करते थे तो गन्ना किसानों के बारे में

चर्चा करते थे, इनके पीछे अम्बिका चौधरी जी बैठते हैं, आज वह नहीं हैं, वह भी बहुत हल्ला करते थे। आज प्रदेश का गन्ना किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। गन्ने की पर्ची पर किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं लिखा जा रहा है किस रेट में सरकार गन्ना खरीद रही है, किस रेट में मिल-मालिक गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे, यह उनकी पर्ची में लिखा नहीं जा रहा है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम इस पर गम्भीरता से कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, आप पिछले सत्र की कार्यवाही देख लीजिए। इसी सदन में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि गन्ना किसानों को जो पिछले वर्ष का मूल्य मिल रहा था, उनकी पर्ची पर अंकित कराया जायेगा और वह आज भी अंकित नहीं हो रहा है।

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, जो भारत सरकार ने मूल्य बढ़ाया है यदि उसको बढ़ा दिया जाता तो 90-95 रुपये का मूल्य गन्ना किसानों को दिया जा सकता था। यह किसान विरोधी सरकार है। किसानों के हित में इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गयी है। यह लोक-लुभावन बजट प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से हमारे क्षेत्र में 3-3 सड़कों का निर्माण हो रहा था, उन सड़कों का निर्माण वर्तमान सरकार ने आते ही रुकवा दिया। पूर्वांचल विकास निधि से जो सड़क बन रही थी, उसको रुकवा दिया। उन्होंने घोषणा की थी कि क्षेत्र के हिसाब से, जिले के हिसाब से गड़बड़ी नहीं की जायेगी, विकास कार्यों को रोका नहीं जायेगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। गोण्डा जनपद में प्रधान मंत्री सड़क योजना का काम हो रहा था, उसमें भी माननीय मंत्रीगणों के भाई, जिन्होंने ठेका ले रखा है, आप सूची मंगाकर देख लें कि काम न होने से 25 करोड़ रुपया प्रधान मंत्री सड़क योजना का पड़ा हुआ है, कार्यवाही पूरी होने की रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं जा रही है। अगर वह रिपोर्ट जाती तो 25-30 करोड़ रुपया जो हमारे जनपद में पड़ा है, उससे कुछ विकास हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, बस दो मिनट और बोलूंगा। ज्यादा विषय नहीं हैं, 3-4 बजे तक समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, आज प्रधान मंत्री सड़क योजना का काम एक मंत्री के भाई के ठेका लेने के नाते अवरुद्ध है, इसको गम्भीरता से लेने की कृपा करें। मान्यवर, आज विकास परिषद् का गठन किया गया है, सरकार के पांच-छः महीने हो गये हैं और 6 महीने में कहीं भी औद्योगिक विकास परिषद् का चार आने पैसे का कोई काम गांव गरीब किसान के लिए नहीं दिखायी दे रहा है। औद्योगिक विकास परिषद् को बना करके लूटने-खसोटने का काम किया गया है। मान्यवर, हमारा और आपका जनपद पिछड़ा हुआ है, बहराइच, गोण्डा और महाराजगंज की तराई में औद्योगिक विकास परिषद् काम करे तो माना जाये कि औद्योगिक विकास परिषद् के लोग वाकई विकास करना चाहते है। औद्योगिक विकास परिषद् के लोग लखनऊ में अच्छी जमीनों का अधिग्रहण कर लें और उसमें बड़े-बड़े भू-स्वामियों को बांटा जाय, उनको मकान दिया जाय, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। मैं प्रमोद कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जल्दी समर्थन वापस करिये और इधर आइये नहीं तो आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है। आपकी हालत पहले ही खराब थी, अब और खराब होने वाली है। औद्योगिक विकास परिषद् के लोग कहीं छोड़ने वाले नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब खत्म करिये।

श्री घनश्याम शुक्ल-

माननीय उपाध्यक्ष जी, दो मिनट और लूंगा। अभी बाराबंकी के एक माननीय सदस्य ओवर ब्रिज की बात कर रहे थे। शायद उनको जानकारी नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल के जितने भी रेल के पुल थे, एक अच्छी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फोर-लेन की चल रही है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पूर्वांचल क्षेत्र में जितने भी 45 पुल आते थे उनकी स्वीकृति आ चुकी है और शीघ्र ही वहां कार्य भी प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री घनश्याम शुक्ल-

जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है इससे गांव गरीब किसान, बेरोजगार नौजवान किसी को भी लाभ नहीं है। इसलिए मैं इस बजट भाषण का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का जिक्र किया है। मा0 सदस्य ने हमारे नेता मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण का विरोध किया। मा0 मुलायम सिंह यादव जी नहीं चाहते थे कि महिला आरक्षण विधेयक जिस प्रारूप में है उसी प्रारूप में पास हो जाये, वह चाहते थे कि इस 33 प्रतिशत में गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े व मुसलमान वर्ग की महिलाओं का भी आरक्षण हो।

(शोर/व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ल-

आपको शर्म आनी चाहिए, आपने कितनी महिलाओं को इस सरकार में मंत्री बनाया ?

(श्री उदयराज यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, [***] औरतों के विरोधी हैं। अगर दम है तो 33 प्रतिशत आरक्षण में दलितों, पिछड़ों व मुसलमान औरतों का भी आरक्षण करें। माननीय मुलायम सिंह जी चाहते थे कि सबको बराबर आरक्षण मिले। माननीय सदस्य सदन को गुमराह करते हैं। पूरे प्रदेश में इससे गलत संदेश जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो बातें हैं उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

देख लिया जायेगा।

नोट :- [***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे बड़े भाई श्री राम करन आर्य जी ने [xxx] का नाम लिया है जबकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिये उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, देख लिया जायेगा।

*श्री उदय राज यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2004-2005 के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र किया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। अब से 5 महीने पहले जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उनके समय के एक साल के आंकड़े को उठाकर देखना चाहिये। उत्तर प्रदेश की राजधानी के अन्दर आये दिन कत्ल, डकैती, लूट, बलात्कार जैसी घटनायें जब शहर का आदमी सुबह अखबार देखता था तो निश्चित रूप से लखनऊ शहर के अन्दर दो चार घटनाओं का जिक्र जरूर हुआ करता था। आज पांच महीने के अन्दर जब से यह सरकार आई है कितना सुधार हुआ है। जहां पांच महीने पहले पूरा प्रदेश अराजकता, अन्याय, लूट और हमले में जल रहा था, पूरे प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका था, वहीं माननीय मुलायम सिंह यादव के बागडोर संभालने के बाद इस प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता साफ किया है। पहले व्यापारी 7 बजे अपनी दुकान बन्द करके घर चला जाता था आज वह 9-9, 10-10 बजे तक रात के दुकान खोले रहता है और अपना व्यापार करने का काम कर रहा है। मुलायम सिंह जी की सरकार ने यह जरूर करने का काम किया है कि जिसका जितना अपराध है उतनी ही सजा देने का काम किया है। आज जब किसानों का सवाल उठता है हमारे विपक्ष के साथी जो कुछ दिन से विपक्ष में बैठे हैं इस प्रदेश के गन्ना किसानों की बात करने लगते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब पडरौना में किसानों का पैसा बाकी था उसको लेकर जब वह आन्दोलन कर रहे थे तो उन पर गोली चलाने का काम किसने किया था। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी के पांच महीने के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 1100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का काम किया है। दूसरी तरफ आप अपनी सरकार के बारे में सोचने का काम करें। पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 650 करोड़ रुपया गन्न किसानों को भुगतान किये गये। जब आपकी सरकार थी तो किसान, छात्र, मजदूर किसी समस्या को लेकर आन्दोलन करते थे तो हमेशा उन पर लाठी, गोली चलाने का काम किया जाता था लेकिन इस समय क्या हो रहा है आप देखें आज किसानों को 14 घण्टे बिजली दी जा रही है। यह वायदा मुलायम सिंह जी ने किया था और इसको पूरा कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के जितने विधायक हैं सारे विधायकों से 10 गांव समग्र विकास योजना के अन्तर्गत लेकर इन गांवों को 16 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर पूरा करने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था की है। सिंचाई को ही लें आज नहरों में टेल तक पानी जा रहा है। शिक्षा की बात हो अभी थोड़ी देर पहले गौर साहब शिक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे थे विद्यालयों में चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं या उच्च शिक्षा के विद्यालय हों इनमें शिक्षकों की कमी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह कमी क्या पांच महीने में हुई है। यह तो पहले से चली आ रही है। यह सही है कि शिक्षकों की कमी से शिक्षा में दिक्कत आती है लेकिन यह कमी पांच महीने में नहीं हुई निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने शिक्षा के बारे में सोचने का काम किया है और वही सोचकर प्राइमरी स्कूलों में 40 हजार शिक्षकों को भर्ती करने का निर्णय लिया है और शिक्षकों की कमी को देखते हुये 67 हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करने का फैसला प्रदेश सरकार ने किया है। इस प्रदेश का चहुमुखी विकास करने का फैसला सरकार ने लिया है, पहले चरण में 25 जनपद चयनित करने का काम किया है। जब चिकित्सा का सवाल उठता है तो याद आता है कि इससे पहले की जो सरकारें थीं उसमें आम गरीब आदमी अपने बच्चों, बाप भाई या बीवी को लेकर अस्पताल जाता था तो दवा मिलना तो दूर उसको पर्चा बनवाने के लिये उसके सामने कई दिक्कतें आती थीं।

माननीय मुलायम सिंह जी ने इस परेशानी को दूर करने का काम किया है। हमारी सरकार ने शिक्षा के महत्व को देखते हुये 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है। इतना ही नहीं आज हमारे जो साथी आलोचना करने का काम करते हैं उन्हें जरूर सोचना चाहिये कि जब विधायक चुनकर आते थे तो उनसे पांच गांवों का चयन करके देने के लिये कहा जाता था जिनमें विद्युतीकरण का काम हो सके। पिछली सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने फिर से इसको बिना किसी भेदभाव के लागू किया है कि विधायकों से पांच गांव चिन्हित कराकर उनका विद्युतीकरण किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। सारी बातें आ गई हैं।

श्री उदय राज यादव-

दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, इतना ही नहीं, जो तमाम लोग यहां कहते हैं, जो दुर्भाग्य से विपक्ष में बैठे हैं, इनको बड़ी चिन्ता है। यह कहते हैं कि समाज के इस तबके को छोड़ दिया है, उस तबके को छोड़ दिया है, उनके विकास के लिये कोई बात नहीं कही गयी है। मान्यवर, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इतिहास उठाकर देखें, पिछली सरकार के कारनामों को देखें तो पता चलता है कि जिनके बारे में आज यह चिन्ता व्यक्त करते हैं उनके विकास के लिये हमारी सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का इन्होंने क्या किया। 1995 में जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के विकास के लिये, उनको नौकरी देने के लिये प्राइमरी विद्यालयों में उर्दू टीचरों की भर्ती करने का निर्णय लिया था लेकिन पता नहीं आपके सामने क्या मजबूरी थी, आपने उसको पूरा करने का काम नहीं किया। माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा पुनः हर विद्यालय में एक उर्दू अनुवादक की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है और उसी के चलते 3 हजार उर्दू अनुवादकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, मैं ज्यादा न कहते हुये इतनी बात और कहना चाहता हूं कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आज की सरकार बहुत खराब है, विधायकों का बहुत अपमान हो रहा है जिसके कारण 4 विधायकों ने इस्तीफा देने का काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस दल में डिक्टेटरशिप होगी, जिस दल के नेता अपने विधायकों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, जिस दल में विधायकों का अपमान होगा वहां स्वाभिमानी व्यक्ति जरूर रहना नहीं चाहेगा। [xxx] तो निश्चित रूप से उस दल के विधायक इस्तीफा देने का काम करेंगे। इसलिये सरकार के ऊपर यह आरोप लगाना कतई गलत है। आपको याद होगा उस दल के लोग ज्यादातर त्याग-पत्र देने का काम कर रहे हैं जिस दल की मुखिया, सुप्रीमो इस प्रदेश में तीन बार मुख्य मंत्री बनीं। [xxx]

(सदस्यों द्वारा इस पर विरोध करने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। उदय राज जी, अब आप समाप्त करें। इस तरह की बात न कहें।

[श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) आदि सदस्यों द्वारा इसको कार्यवाही से निकालने की बात कहने पर]

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है। मैं इसको देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री उदय राज यादव-

माननीय शुक्ला जी, अभी कह रहे थे बजट में तमाम घोषणायें की गई हैं, यह पैसा कहां से आएगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

बैठ जाएं।

श्री उदय राज यादव-

माननीय मुलायम सिंह जी के इतिहास को बताना चाहता हूं उन्होंने इस प्रदेश के लोगों से जो वायदा किया है उसको पूरा करने का काम किया है। निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने जो बजट में वायदे किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। यह उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट है, प्रदेश के किसानों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का बजट है। प्रदेश के चहुमुँखी विकास का बजट है। इसलिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

(मेजें थपथपाई गई)

नोट :-- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अभी सदन में महिलाओं के आरक्षण के लिए मुद्दा उठा था।

श्री उपाध्यक्ष-

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री जी लोकसभा के सदस्य थे उन्होंने कहा था कि आरक्षण होगा, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं क्या सत्तापक्ष में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलायें नहीं हैं जो इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया।

(व्यवधान)

महिलायें चाहे विपक्ष की हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हों उन्हें बहुत कठिनाइयों से गुजर कर आना पड़ता है लेकिन उनको एक परसेन्ट भी आरक्षण नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है। बैठ जाएं।

*श्रीमती आशा किशोर-

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्व दल सुखायः, सर्व जन सुखायः का जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह बजट ऐतिहासिक है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कदम उठाए हैं वह सराहनीय हैं। कक्षा एक से कक्षा बारह तक जो शिक्षा निःशुल्क की है और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा देने का कदम उठाया है वह सराहनीय कदम है। गांव में किसानों के लिए जो पानी का पूरा इंतजाम किया है और बिजली की व्यवस्था की गई है उसके लिए हमारे ग्रामों में किसानों द्वारा बहुत सराहना की गई है। इस बजट में किसानों और गरीबों का ध्यान रखा गया है। सारी जनता बहुत खुश है इसके लिए मैं इस बजट में जो भी सराहनीय काम किए गए हैं उसके लिए, इस बजट का पुरजोर समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

रामहेत जी जल्दी खत्म करिएगा।

श्री रामहेत-

आपके आदेश का पालन किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे नेता सदन द्वारा प्रस्तुत बजट, जो चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया है बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और अन्य माननीय सदस्यों का भी आभारी रहूंगा अगर शान्ति बनाए रखें तो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष जी माननीय नेता सदन द्वारा जो बजट इस सदन में पेश किया गया है और इस बजट के शुरूआत में ही यह बात कही गयी है कि हम उत्तर प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश के रूप में विकसित करेंगे। मान्यवर, कोई भी प्रदेश और कोई भी देश केवल घोषणाओं से आदर्श नहीं बन जाता है, विकास के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें कर देने से कोई प्रदेश आदर्श नहीं बन जाता है। जब तक इस प्रदेश में रहने वाले गांव और गलियारों में रहने वाले, भूखे और नंगे लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होगा, तब तक आदर्श प्रदेश एक कल्पना मात्र ही होगा। कुछ लोगों का विकास कर देने मात्र से, कुछ लोंगों को प्रदेश के पूरे विकास का जिम्मा दे देने से और यह कह देने से कि इससे प्रदेश का विकास हो जायेगा, हम आदर्श प्रदेश बना देंगे, नामुमकिन है।

मान्यवर, इस बजट में विकास परिषद् के गटन की बात कही गयी है, विकास परिषद् के द्वारा प्रदेश के विकास की बात कही गयी है और मान्यवर, इस बजट में बड़े-बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को लाकर इस प्रदेश की सारी व्यवस्था को निर्जाकरण के हाथों में देने का काम किया जा रहा है जबकि पूरे प्रदेश के अन्दर गांव, गलियारों में रहने वाले लोग जो कुटीर उद्योग चलाते हैं, जो गांव में कुम्हारी कला, बढ़ईगीरी, लोहारगीरी जैसे परम्परागत कुटीर उद्योग प्रचलित है, उनके विकास के लिए इस बजट में एक भी शब्द नहीं आया है। इससे हमारे गांव, गलियारों का विकास कैसे सम्भव होगा ? हम 'सहारा शहर' बसाने की बात कर रहे हैं, हम बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाकर प्रदेश को विकसित करने की बात करते हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर गांव में रहने वाले, कुटीर उद्योग चलाने वाले, हाथ से काम करने वाले लोगों की दशा निरन्तर गिरती जा रही है, उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, उनके कुटीर उद्योगों का विकास नहीं होगा तो हमारे प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने की एक मात्र कोरी कल्पना होगी।

मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं, बहुत बखान किया जा रहा है कि कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है, मान्यवर, मैं भी कह रहा हूं कि बहुत अच्छी है, पिछली सरकार और आज की सरकार में अन्तर खोजा जा रहा है, दुहाई दी जा रही है कानून-व्यवस्था की। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां पर सारे बड़े-बड़े अधिकारी बैठते हैं, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी यहीं बैठते हैं। मान्यवर, लखनऊ महोत्सव में जिस तरह से गुंडागर्दी, अराजकता और अपराधियों का बोलबाला रहा, सरकार की नाक के नीचे लखनऊ महोत्सव में मां, बहन, बेटियों की इज्जत लूटी गयी, उनके सलवार, साड़िया और ब्लाउज फाड़े जाते रहे....

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, इस तरह से कानून-व्यवस्था चीत्कार कर रही है। इतना ही नहीं मैं अपने जनपद की घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं।

जनपद सीतापुर में गुण्डों और माफियाओं का राज पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर हावी है। जिले में गुण्डों और माफियाओं का राज है लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाये तो स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। गम्भीर हालात पैदा हो जायेंगे। जनपद सीतापुर में तम्बौर थानान्तर्गत इब्राहिमपुरवा पड़ता है। तम्बौर थाने के इब्राहिमपुरवा में 3-4 दरोगा, 5-6 सिपाही जीप से श्री राजाराम के घर में आये। उन्होंने उसको घर में घुसकर बेरहमी से मारा और इतना मारा कि वह मर गया। उसकी हत्या उन्होंने कर दी। उसके परिवार के बच्चें और महिलायें उसको बचाने आयीं तो पुलिस ने उन्हें भी मारा।

इसी प्रकार से बीबीपुर में श्री चन्द्रिका प्रसाद जी (60 वर्ष) के घर में घुसकर मारा। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि शाहजहांपुर का एक व्यापारी 30-35 किलो के जेवर लेकर लखनऊ आया था। उसका अपहरण हो गया। इसी प्रकार सीतापुर में 3-4 महीने पहले एक अपहरण हो गया उसमें 5 लाख रुपये फिरौती भी दे दी गयी लेकिन उसकी लाश बाद में मिली। आपके यहां सैफई महोत्सव हो रहा था वहां पर बसों को रोककर 4-5 घण्टे लूटा जाता है और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता रहा। यह है कानून व्यवस्था। यहां से प्रधान मंत्री हैं तथा वहां के मुख्य मंत्री है।

(इस बात पर सत्तापक्ष के कुछ सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध करने लगे जिससे सदन में व्यवधान हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामहेत-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं। अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में सीतापुर से गोला मार्ग है वह बुरी तरह से खराब हो गया है। उसमें गड्ढे हैं, सड़क टूट गयी है। जनपद लखीमपुर खीरी से, गोरखनाथ का मंदिर और जनपद सीतापुर में नैमिश तथा मिश्रिख जैसे तीर्थ स्थानों को यह सड़क जोड़ती है जिसमें आवागमन बाधित है। इसकी सड़क जर्जर हो गयी है, रोड गायब हो गयी है, आये दिन वाहन पलट जाते हैं और वाहन पलटने से मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मार्ग को कम से कम एक कोट गिट्टी करवाकर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र इमलिया सुल्तानपुर में थाना ब्लाक और पी0एच0सी0 यहां के प्रमुख स्थान हैं, जहां विद्युत आपूर्ति की जाती है। यहां पर 35 किलोमीटर लम्बी लाइन है और अधिकांश तार चोरी से काट लिये जाते हैं। यहां पर सब स्टेशन विद्युत का प्रस्तावित है, तो मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि विद्युत सब स्टेशन लगवाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम हेत-

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र ग्राम कठिया, मुमताजपुर में सराय नदी हैं। यहां पर बाढ़ आ जाती है और बच्चों को पढ़ने के लिये नाव से जाना पड़ता है और लोगों को भी असुविधा होती है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उसमें एक काजवे (रपटापुल) बनवाने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे यहां उरदौली राजबहा से .....

श्री उपाध्यक्ष-

मेरे बार-बार अनुरोध करने पर भी आप समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री रामहेत-

मान्यवर, इसकी सफाई नहीं हुई है। इस ड्रेन की सफाई करवाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया।

श्री दिलीप कुमार वर्मा-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूं। मान्यवर, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, इण्टरमीडिएट पास बालिकाओं के लिये बीस हजार रुपये अनुदान देने की घोषणा, चौदह घण्टे बिजली, सड़क आदि देने की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है यह स्वागत योग्य है। इसी के साथ मैं अति पिछड़े क्षेत्र महसी की समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र महसी में कई ऐसे सम्पर्क मार्ग हैं जैसे बांध से चौकसाघर मार्ग, किशुनपुर, मीठा से इंटहा, भड़वा रेहुवामंसूर चौराहा से रेहुकमंसूर तथा महाराजगंज से सिकन्दरपुर जो फेज-4 में स्वीकृत हुए थे इसमें गिट्टी पड़ी है इसका लेपन कार्य कराने की कृपा करें। सरयू नदी पर बाल्दूपुखाघाट का घाट पर खरकहनपुरवा नदी पर पुल महसी, केपर नदी पर पुल, बरदहा घाट पर पुल, उमरपुर घाट व बारहाघाट पर पुल बनवाया जाय। इसके अतिरिक्त गड़क से गड़वा गौरियां मार्ग पर लेपन कार्य भोपतपुर चौरी मार्ग से रिसियां बाजार तक लेपर कार्य, माझादारिया वुर्द मार्ग पर लेपन कार्य, मेहरा बाजार नवाबगंज मार्ग पर निविदा से नानपाप मार्ग पर लेपन कार्य कराया जाय। गम्भिरवा बाजार में राजकीय बालिका विद्यालय तथा शिवपुर व मटेरा में बालिका इण्टर कालेज बनवाने हेतु आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। इसी के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो सुखोनुमुखी बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा0 पी0के0 राय-

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत 2004-2005 के बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, सरकार कोई भी बने उसका दायित्व होता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, सड़क का, बिजली का, पानी का, बेरोजगारी दूर करने का। लेकिन निश्चित तौर पर विगत दिनों में बनी सरकार अपने इस दायित्व से मुकर गई और शायद ऐसी ही सरकार के लिये किसी ने कहा कि "वक्त को देखकर यह अजीब फैसला, मुझको रोते हुए भी हंसी आ गई, जिनको खुशबू की कोई न पहचान थी, उनके घर फूलों की पालकी आ गई।"

मान्यवर, यह जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट रखा गया है उसमें समाज के हर वर्ग, जाति, धर्म और हर घर का मान सम्मान और सुविधा का ख्याल रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष माननीय लालजी टण्डन जी जब भाषण दे रहे थे उनके भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना, उनके चेहरे का भाव यह बता रहा था कि वह विरोध धर्म का पालन कर रहे थे अन्दर-अन्दर वह इस बजट भाषण का हृदय से स्वागत कर रहे थे और इसके लिये वह प्रसन्नचित नजर आ रहे थे और आज इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता मा0 गौर साहब के बारे में भी यही कहना चाहता हूं कि विरोध केवल विरोध धर्म के तहत किया जा रहा है लेकिन आलोचना समालोचना होनी चाहिये आलोचना केवल आलोचना के

लिये नहीं होनी चाहिये। पांच महीने पहले सरकार बनी है और विगत पांच वर्षों में इस सरकार का कर्जा दो गुना हो गया और उसके लिये यह सरकार जिम्मेदार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश इस देश में सबसे पिछड़े प्रदेशों की कतार में खड़ा है। उत्तर प्रदेश इस हालत में मिला है संकल्प है और संकल्प के साथ शुद्ध नीयत है, नीयत के तहत यह कहा जा सकता है कि जो घोषणा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया उनका पालन आज तक हुआ है और निश्चित रूप से जो बजट में बाते कही गई हैं, आने वाले दिनों में उनका पालन किया जायेगा। जन कल्याणकारी, जन सुरक्षा और जनहित के बजट के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नेता प्रतिपक्ष को और माननीय गौर साहब को जिन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर इस सदन में काफी प्रकाश डाला, लेकिन मान्यवर, स्वास्थ्य सुविधा की हालत ऐसी हो गई है कि उत्तर प्रदेश आज देश में चिकित्सा के क्षेत्र में 19वें स्थान पर है और बजट आवंटन में भी यह सबसे नीचे है। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के लिये निश्चित तौर पर संकल्प, चाहिये और उसके लिये पैसा देना चाहिये इस बार के बजट में प्राविधान किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं का डिसेण्ट्रलाइजेशन करने का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, यहां पर संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान हैं, मान्यवर, यह चिकित्सा संस्थान न होकर, चिकित्सक की हैसियत से मैं यह कह सकता हूं कि आज की तारीख में वह संस्था एक बीमारी हो गई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग यहां इलाज के लिये आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं उनके लिये यहां बेड ही उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस सरकार का दायित्व है। इस बजट में कहा गया कि राज्य स्तर की चिकित्सा सुविधा जिला स्तर पर और जिला स्तर की, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। यानी जो चिकित्सा सुविधा राज्य स्तर के चिकित्सालयों में मिलता है वह जिला चिकित्सालयों में और जिला चिकित्सालयों वाली सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराये जाने का काम किया जायेगा। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां अस्पताल नहीं है, वहां की जनता को चिकित्सा सुविधायें नहीं मिल पाती हैं, उसके लिये 17 मोबाइल चिकित्सालयों का संचालन करने का प्राविधान इस बजट के द्वारा किया गया है। बजट में 130 करोड़ दवा के लिये, 40 करोड़ रुपये औषधि के लिये अतिरिक्त दिया गया है। इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है। प्रदेश के अन्दर और बाहर रहने वाले लोगों को उन्हें उसमें सहभागिता के आधार पर सस्ते दर पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई है। इसके लिये स्वास्थ्य फाउन्डेशन का गठन किया गया है।

मान्यवर, मैं बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र गंगा-गंडक-गरीबी के पर्यायवाची "सेवरही" से आता हूं। मान्यवर, वह क्षेत्र आदरणीय स्व0 श्री गेंदा सिंह जी की कर्म भूमि है । मान्यवर, वह गंडक की दैवी आपदा के कारण हर साल बाढ़ का शिकार होती है। पिछली सरकारों में वहां पर बाढ़ बचाव के कार्य के लिये समुचित ध्यान नहीं दिया गया। होता यह था कि बिल्कुल अन्त समय में धन दिया जाता था और उस धन का बंदरबाट नेता, अधिकारी और ठेकेदार किया करते थे। मान्यवर, इस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ बचाव का कार्य समय से पहले किया गया है जिससे निश्चित तौर पर यह उम्मीद बंधी है कि समय से कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मान्यवर, उससे कम समय में ज्यादा मजबूती के साथ काम होगा और दूसरे पारदर्शिता भी नजर आयेगी क्योंकि आज समाज विश्वसनीयता के संकट का शिकार है। मैं अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद दूंगा

कि उन्होंने कथनी और करनी में अन्तर को समाप्त करने विश्वसनीयता के संकट से समाज को निजात दिलाने के लिये प्रमाणिकता देने का काम किया है और शासन को इकबाल को कायम करने का काम किया है। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि सरकार की नियत और नीति कैसी है ? हमारी सरकार की नियत और नीति स्पष्ट है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से मांग करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लिये एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिये और बाढ़ बचाव के कार्य के लिये बजट में धन का प्राविधान कराया जाये और जो तटबंध बने हुए हैं उनका लेपन किया जाना चाहिये जिससे वह बंधे सुरक्षित हो सकें। मान्यवर, हमारे यहां जो गन्ना पर शोध अनुसंधान संस्थान है, माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी बैठे हैं वे गन्ना विकास मंत्री के पद पर रहे हैं और भली प्रकार जानते हैं कि हमारे यहां का गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन शोध संस्थान सेवरही, निदेशक विहीन है। पूर्व की सरकार में वहां के निदेशक के पद को समाप्त कर दिया गया है। मान्यवर, जहां कोई संस्थान होता है तो वहां पर निदेशक का पद हुआ करता है। मैं मांग करूंगा कि वहां निदेशक के पद को बहाल करते हुए उस संस्थान को दुर्दशा से बचाने का काम किया जाये। जनोपयोगी बनाया जाय।

मान्यवर, प्रदेश के जो मेडिकल कालेजेज हैं आज की तारीख में वह लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी, के0जी0एम0यू0 से सम्बद्ध किये गये हैं जब तक वह लखनऊ मेडिकल कालेज से, यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किये गये हैं तो मेरा यह अनुरोध है कि चिकित्सा शिक्षकों की भी जो आयु सीमा है वह 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाये। क्योंकि आज भी 50 प्रतिशत पद चिकित्सा शिक्षकों के पद रिक्त है। इसका कारण मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के द्वारा मान्यता समाप्त करने की तलवार लटक रही है जिसका शिकार गोरखपुर का मेडिकल कालेज होने वाला है। इसलिये मेरे सुझाव पर विचार किया जाये।

मान्यवर, मैं सभी सदस्यों से इस बजट के समर्थन की पुरजोर अपील करता हूं क्योंकि हमें कुछ कार्य करने का समय दीजिये। मान्यवर, सपना देखना चाहिये। क्योंकि जब सपना नहीं होता है तो उस सपने को कोई साकार नहीं करा पाता है। हमारे नेता जी ने जो सपना देखा है प्रदेश के विकास का वह निश्चित तौर पर पूरा होगा। बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इस समय 2 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे थे। विधायकों के इस्तीफे के प्रश्न पर कह रहे थे कि जिस दल का नेता डिक्टेटर होता है, मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखना चाहता हूं कि आज तक उत्तर प्रदेश के अन्दर एक परम्परा चली आई है कि कोई भी प्रदेश में मुख्य मंत्री की शपथ लेता है और माननीय मुख्य मंत्री बनने के तत्काल बाद जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से मिलने का एक समय सुनिश्चित कर देता है, सप्ताह में एक बार माननीय मुख्य मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं और प्रदेश के विकास की वार्ता करते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सरकार बने 6 माह हो गये, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मिलने का मौका नही दिया, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि मारे-मारे घूम रहे हैं उनसे मिलने वाला कोई नहीं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज सारे माननीय सदस्यगण कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखें। साम्प्रदायिक दंगे, मान्यवर, यह सरकार सत्तारूढ़ हुई और सत्तारूढ़ होते ही इस सरकार के माननीय मंत्री अपने-अपने जिलों में दंगे कराने लगे। हत्या अपहरण, अपहरण तो इस सरकार में एक उद्योग बन गया।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक दैनिक समाचार पत्र में एक लेख छपा कि लखनऊ जिला कारागार में, हिरन की हत्या करने पर प्रतिबन्ध है, हिरन का गोश्त बांटा गया, दावत हुई। मान्यवर, यह सब किसके इशारे पर हो रहा है, यह दैनिक जागरण समाचार पत्र में छपा है। आप देखने की कृपा करें कि उत्तर प्रदेश में यह कानून व्यवस्था है। विकास, मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया नगरों के विकास के नाम पर मात्र दो लाइनें लिखी गई हैं उत्तर प्रदेश के समस्त महानगरों की कोई चर्चा नहीं की गई है। नगर निगम स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनके अधिकारियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। सभासदों का अधिकार जो कि नगर निगम स्वतः तय करता है, उनकी कार्यकारिणी तय करती है, उनका सदन तय करता है, नगर निगम के अधिकारियों की गाड़ियां वापस ली गईं, टेलीफोन सबके वापस लिये गये। आज की तारीख में आपसे कहना चाहता हूं कि जगह-जगह गदहे और कुत्ते मरे पड़े हुए हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी पिछली लोकप्रिय सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरों के विकास के लिये टास्कफोर्स के माध्यम से विकास की सूची जारी की थी और आज तक वह टास्कफोर्स का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री तक अपनी बात रखना चाहता हूं। हैण्डपम्प, शहरों और देहातों में, जिलों में विभाजन किया जा रहा है। शहरों के 19 विधायकों को जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी उसके अनुरूप शहरों के विधायकों को किसी को हैण्डपम्प नहीं दिया गया। मान्यवर, विद्युतीकरण के बारे में आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि सूडा-डूडा द्वारा लखनऊ में कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र जोकि नगर निगम में सम्मिलित हैं 50 वर्षों से ज्यादा आबादी के हो गये आज तक वहां पर बिजली नहीं थी लेकिन पिछली सरकार ने उस क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिये एक करोड़ की योजना स्वीकृत की थी, विद्युतीकरण का काम प्रारम्भ हुआ लेकिन यह सरकार आते ही वह विद्युतीकरण का कार्य रोक दिया।

आज सड़कों पर तो लाइट जल रही है, लेकिन किसी भी घर को विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, लोग कटिया डालकर जला रहे हैं और बिजली आफिस के चक्कर लगा रहे हैं। किसी को भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। यह बात मैं आपके माध्यम से रख रहा हूं मान्यवर, पिछली सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की थी और बी0एड0 शिक्षकों की आयु सीमा 40 वर्ष रखी थी। वर्तमान सरकार भी शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही है, यह एक अच्छा कार्य कर रही है, मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार भी वह आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष कर दी जाय।

मान्यवर, इस सरकार द्वारा बी0एड0 शिक्षकों की नियुक्ति की बात तो कही गयी है, लेकिन सी0पी0एड0 और डी0पी0एड0 शिक्षकों की नियुक्ति की बात नहीं लिखी है, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सी0पी0एड0 और डी0पी0एड0 अध्यापकों की भी नियुक्ति की जाय। मान्यवर, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की 2-3 बातें अंत में रखना चाहूंगा। हमारे लखनऊ में मानक नगर नाम का एक रेलवे स्टेशन है। इस मानक नगर रेलवे स्टेशन के दोंनों-तीनों तरफ की सड़कों पर ड़ेढ़-डेढ़, दो-दो फीट के गड्ढे हैं, इस स्टेशन पर प्रदेश और देश के यात्री आते हैं, इस मार्ग के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि सरकार इसको बनवाने के सम्बन्ध में विचार करें। इसी प्रकार मान्यवर, हमारे चन्द नगर में एक डिस्पेन्सरी है, पिछली सरकार ने इसको उच्चीकृत करने का प्रस्ताव बनवाया था, मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार कर उसको स्वीकृत करने की कृपा करें ताकि यह डिस्पेन्सरी उच्चीकृत हो सके। अन्त में मैं किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और शिक्षक विरोधी बजट का विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभु नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय नेता सदन द्वारा वर्ष 2004-2005 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जो बजट सदन में प्रस्तुत करने का काम किया है, वह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला है। गरीबों के हित में, किसानों के हित में और प्रदेश की 17 करोड़ जनता के हित में लिया गया बहुत बड़ा संकल्प है, इसलिए उन्होंने शपथ लेने के तुरन्त बाद गन्ना के बकाये का भुगतान करने का काम किया, वहीं जब प्रदेश की जनता यह उम्मीद छोड़ चुकी थी, प्रदेश का किसान यह आस छोड़ चुका था कि हमारे खेत को पानी मिलेगा, प्रदेश की जनता यह सोच रही थी कि प्रदेश से बिजली गायब हो जायेगी, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि हम पूरे प्रदेश में 14 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का काम करेंगे। वहीं नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जहां उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों ने महसूस किया और धन्यवाद भी किया, सराहनीय कदम बताया, एक ऐतिहासिक फैसला लिया जहां विद्यालयों का अभाव था, वहीं शिक्षकों का बहुत बड़ा अभाव था। 46 हजार बी0 एड0 और एल0 टी0 के लोगों को शिक्षकों के नाम पर भर्ती करने का काम एवं 67 हजार शिक्षामित्रों को भर्ती करने का जो संकल्प लिया गया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। भाषा के क्षेत्र में जहां उन्होंने हिन्दी को सम्मान देने का काम किया है वहीं उर्दू को भी सम्मान देने का काम किया है।

इसके साथ ही साथ उर्दू भाषा को रोजी-रोटी से जोड़ने का काम किया है। 3 हजार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है। अभी हमारे साथी विकास परिषद् की बात कर रहे थे। पूंजीनिवेश का इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा संकल्प, चाहे वह अब तक का सबसे बड़ा बिजली का संयंत्र लगाने का काम हो, चाहे 20 हजार करोड़ निवेश के माध्यम से आवास योजना का काम हो, यह आदर्श प्रदेश की बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ा संकल्प है। जहां हमारे साथियों ने गांवों के विकास की बात कही, समग्र ग्राम विकास के नाम पर जो योजना माननीय नेता सदन ने चलायी है, निश्चित रूप से इस योजना से जहां प्रत्येक विधायक के माध्यम से 10 गांवों का चयन होगा वहीं

प्रत्येक विधान सभा में 15-16 गांवों का चयन करके पूरे प्रदेश का विकास होगा। एक नयी योजना, नलकूप, जिसका लगना बन्द था, किसान गांवों में अपना निजी कनेक्शन चाहता था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नये नलकूप लगाने की घोषणा की है और किसानों के निजी नलकूप को विद्युत कनेक्शन देने का भी संकल्प लिया है। अभी हमारे साथी कानून-व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर रहे थे।

मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको उन दिनों की याद भी करनी चाहिये जब, हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के दरवाजे पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय आपकी सरकार थी, दिन-दहाड़े गोली मारी गयी। आप बड़े किसानों के हमदर्द हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला लिया है कि बकायेदारों के नाम पर हम किसानों को जेल में जाने देने का काम नहीं करेंगे और आपने क्या किया, याद होगी आपको जौनपुर की घटना, वह मौर्या परिवार, जिसके ऊपर मात्र दो हजार रुपये का बकाया था। आपके एस0 डी0 एम0, आपके तहसीलदार ने उसको घसीटते-घसीटते मौत के घाट उतार देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार का बजट पूरी तरह से प्रदेश की 17 करोड़ जनता के हित में है और कल्याणकारी है। विकास के लिये है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र धानापुर की कुछ समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। धानापुर विधान सभा पूर्व में चन्दौली जनपद में था। पूर्ववर्ती सरकार ने नये जनपद की घोषणा की थी तब यह विधान सभा उस क्षेत्र में आती थी। आज बनारस जनपद में सम्मिलित होने के बाद बनारस जनपद में आ गयी है। मान्यवर, चन्दौली और बनारस के बीच में गंगा नदी है, यह दोनों स्थानों का निर्धारण करने का काम करती है। माननीय नेता जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, मैं मांग करता हूं कि गंगा नदी पर बलुवा घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाय। इसके साथ ही कमालपुर डेढ़ावल-अमरा मार्ग जो तहसील मुख्यालय सकलडीहा को जोड़ने वाली रोड है, बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इसकी मरम्मत व चौड़ीकरण करायी जाये। दूसरे धानापुर-डेढ़ावल मार्ग, धानापुर-मौजी मार्ग, मुगलसराय-बपौली-चहलियां मार्ग है, इनकी लम्बाई लगभग 20-20 कि0मी0 है, उनका मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कराये जाने का काम किया जाये। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की विद्युत समस्या की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र धानापुर के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु 3 उप केन्द्र बनाये गये हैं। सकलडीहा, चहलियां और धानापुर। उनमें जो संयंत्र लगाये गये हैं वह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उनकी क्षमता वृद्धि और मरम्मत के लिये मैंने प्रस्ताव भी दिया है और अनुरोध भी किया है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि ये कार्य कराये जाने का काम करें। इसी के साथ मैं पुनः माननीय नेता सदन द्वारा रखे गये बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका बिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री मुंशीलाल गौतम-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे गये वर्ष 2004-2005 के बजट पर विरोध में बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा है कि आज जातिवाद पनपा है, अराजकता बढ़ी है राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ है।

और ऐसी घटनायें और परिस्थितियों में हमारी सरकार बनी है। तो 1989 में आपकी सरकार बनी, 1993 में बनी और आज वर्ष 2003 में आपकी सरकार बनी है। इसके दोषी आप ही हैं, आपकी सरकार है। इस समय तो आपके स्वयं के बच्चों का अपहरण, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाती की हत्या ट्रेन से फेंककर कर दी गयी। पुलिस थाने में आपके कार्यकर्ताओं की हत्या, राजनीतिक दबाव में आकर डिप्टी एस0पी0 ने त्याग-पत्र दिया, दबाव में आकर दो तीन विधायकों ने त्याग-पत्र दे दिया। अनुसूचित जातियों का जितना दमन इस समय हो रहा है, उतना कभी नहीं हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि "रॉड्र रॅड़ापा जब काटे, जब रड्डवा काटन देय" आप तो जब करेंगे मंत्री और आपके सहयोगी दल करने दें। आगरा में मंत्री ने हत्या करवायी, लखनऊ में मंत्री ने चपरासी को पीटा, मुरादाबाद में मंत्री के पुत्र ने उत्पात मचाया और पुलिस पर हमला बुलवाया। कहते हैं कि जनता के आशीवाद से सरकार बनी जबकि आपकी सरकार पूर्व मुख्य मंत्री जी के व्यवहार से बनी है। मान्यवर, जहां तक अनुसूचित जातियों का सवाल है, आप हमारे संरक्षक है। श्री चेतराम जाटव, निवासी-[illegible] थाना-कुर्रा उनके घर में जो सामान था उसको लूट ले गये और 45 कुन्टल गेहूं, 4 कुन्टल [illegible], 3 कुन्टल धान, 2 कुन्टल पीतल और सिलवर के बर्तन, 20 रजाई-गद्दा, 15 चारपाई एक पं[illegible] का गैस सिलण्डर जिस सामान की कुल कीमत 80 हजार रु0 होती है लूट लिया गया है। [illegible] सामान आज भी मुल्जिमानों के दरवाजे पर रखा हुआ है। पीड़ित व्यक्तियों ने अधिकारियों से [illegible] किया लेकिन आज तक एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है।

इसी तरह से ज्ञान देवी और ऊषा देवी के घरों का सामान लूट लिया है लेकिन मुल्जि[illegible] खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अनुसूचित जाति के लोग डर के मारे पलायन कर रहे हैं [illegible] के बाद 6 परिवार पलायन कर चुके हैं। रघुवीर सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह धोबी, मेवा राम [illegible] चरन व विधाराम व सोभाराम इनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो की मसीहा कहलाती थी उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की वह दलित नहीं दौलत की बेटी बन [illegible] गयी थीं इन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनका हक दिलाया जाये। मान्यवर, इसी स[illegible] 30-12-2003 को हस्तिनापुर में संत गुरू रविदास का आश्रम ध्वस्त किया गया हम अनुसूचित के लोगों की धार्मिक आस्था संत गुरू रविदास में है और हम लोग अपने रीति रिवाज हिन्दू [illegible] अनुसार मनाते हैं। मुण्डन, छेदन, नाम करण, शादी, विवाह, मरण सब हिन्दू रीति रिवाजों के [illegible] मनाते हैं और अपने महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर, गाडगे महाराज, सुदर्शन जी महाराज की [illegible] भी मनाते हैं। मान्यवर, वन विभाग की जमीन थी वन विभाग की जमीन पर जैनियों के और अन्य [illegible] के मंदिर बने हुए हैं लेकिन उनके मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, लेकिन संत रविदास जी के मंदिर 30-12-2003 को ध्वस्त किया गया और वन विभाग ने फूट का लाभ उठाया। महिलाओं और [illegible] को पीटा गया यहां तक कि संतों को भोजन भी नहीं करने दिया गया।

इस घटना के विरोध में रालोक दल सवर्ण मोर्चा व दलितों ने प्रदर्शन किया और महाम[illegible] राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ध्वस्त [illegible] को बनाने के लिए व्यवस्था की जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मान्य[illegible] किसी की धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचायी जानी चाहिये। वह एक पर्यटन स्थल भी है, हस्ति[illegible] मेरठ में संत रविदास का स्मारक पुनः बनवाया जाय। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की [illegible]

आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मा0 बाबू बनारसी दास जी द्वारा कोआपरेटिव टैक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी। इस मिल की क्षमता 25 हजार तकुवो की है। इस मिल में लगभग 1000 अधिकारी और कर्मचारी काम करते थे और इनका वेतन लगभग 20 लाख रुपया आता था। 15 लाख रु0 प्रति माह बिजली की बिल आता था। एक्साईज ड्यूटी जो लगती थी वह लगभग 10 लाख प्रतिमाह थी। इस मिल के बन्द होने से सरकार को तमाम राजस्व की हानि हो रही है और वहां जो मशीनें मिल में लगी थीं, मिल के बन्द होने से वह मशीनें खराब होती जा रही हैं। लगभग 1 हजार कर्मचारी मिल के बन्द होने से बेरोजगार होते जा रहे हैं। यह मिल 24 जुलाई, सन् 2000 को बन्द हुई है मिल न चलने से सरकार को नुकसान हो रहा है। यह मिल चलने से जहां सरकार को लाभ होगा वहीं लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। विकास परिषद् के माध्यम से या किसी और माध्यम से इस मिल को चलवाया जाय ताकि सरकार को बेनिफिट हो सके।

मान्यवर, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये इस बजट में कोई स्पष्ट योजना नहीं रखी गयी है। जब हमारी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह और उसके बाद राजनाथ सिंह जी थे तो उन्होंने अनुसूचित जाति के लिये 4 परसेंट ब्याज पर ट्रैक्टर और जीप उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी लेकिन यह योजना बन्द हो गई है और लोग रिक्शा चलाने पर मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किसी स्पष्ट योजना का जिक्र नहीं किया है। सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है। बुलन्दशहर से बदायूं रोड पर एक-एक मीटर गहरे गड्ढे हो रहे हैं भाजपा सरकार ने जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कें करने की बात की थी और हुआ भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। शिकारपुर से जहांगीराबाद की सड़क क्षतिग्रस्त गड़बड़ हो गई। इसी तरह से शिकारपुर से अनूपशहर रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत माननीय नेता सदन ने 15-15 लाख रु0 प्रत्येक विधायक को देने की बात कही थी। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में पैसा नहीं दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मुरसाना से जमुना टेर, मीरापुर सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है। इसी तरह से शिकारपुर से महमूदपुर करेना नाले की सफाई कराने की आवश्यकता है। इस नाले की सफाई करायी जाये।

मान्यवर, शिकारपुर नगर पालिका को जल निकासी और विद्युतीकरण के लिये धनराशि दी जाये। मेरे यहां जो विद्युतीकरण के लिये वर्जित गांव मांगे गये थे उस सूची में न जाने कौन-कौन से गांव जोड़ दिये गये हैं इसलिये उस सूची को सही करवाया जाय। इसी तरह से बुलन्दशहर और अनूपशहर चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है जिसका भुगतान कराया जाये। मान्यवर, भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं है। जनप्रतिनिधि कितना भी बेइमान हो वह बहुत कुछ काम अच्छे भी करता है और पता नहीं कौन नेता कब देश के काम आ जायें। मान्यवर, अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्पाड़न नहीं होना चाहिये। अभी कल ही की बात है आगरा में सिटी मजिस्ट्रेट के गाल पर चांटा मारा गया था अगर इस प्रकार का व्यवहार अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति होगा तो हमारे प्रति उनका विश्वास घट जायेगा। आज चाहे जो स्थान हो हम नेता गण जहां जाते हैं चाहे वह मुशायरे का स्थान हो चाहे धार्मिक स्थान हो कोई भी स्थान हो जनता कहती है देश के नेता देश को खा गये। कुछ नेताओं के कार्यों से आज नेताओं की छवि धूमिल हुई। मान्यवर, समग्र विकास योजना के अन्तर्गत गांवों का विकास कराया जाये।

इस योजना के अन्तर्गत 6000 गांवों का विद्युतीकरण कराने की योजना है। लेकिन यह योजना पूरी कैसे होगी। समग्र विकास योजना के अन्तर्गत धन के अभाव में काम नहीं हो पा रहे हैं तो इन गांवों का विद्युतीकरण कैसे होगा। यह तो वैसे ही बात हुई कि अन्धी रे तेरा भैया आया है लेकिन अन्धी तब खुश हो जब गोद भर के मिले। इसी तरह से जब इन गांवों का विकास हो तब बजट की घोषणा सही मानी जायेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें स्वीकृत पड़ी हैं उन पर काम कराया जाये। चौधरी चरण सिंह विकास योजना के अन्तर्गत नहर की पटरियों पर सड़क निर्माण का काम कराया जाय। बालका से शिवाली, हिर्नात से असावटी, जखैता, डकला, नगला, फत्ता नहर की पटरियां टूटी पड़ी हैं। कहीं-कहीं बीच में बन भी गई हैं, इनको बनवाने की व्यवस्था की जाये।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)।

जहां तक मानव संसाधनों की बात है अनौपचारिक शिक्षा के जो कर्मचारी हैं वह फ्री का वेतन ले रहे हैं उनको कोई काम नहीं है उन्हें अगर बेसिक शिक्षा के काम में लगाया जाये तो अध्यापकों की कमी नहीं रहेगी। और प्राइमरी स्कूलों में जो गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। जो जिले के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं हमारे विधान सभा क्षेत्र में हालिवाट व नीमखेड़ा में अध्यापक 8-8, 9-9 हैं लेकिन छात्र 30-35 ही हैं क्योंकि अध्यापक जिले के पास ही रहना चाहते हैं दूर नहीं जाना चाहते हैं।

इसलिये इस बात का सर्वे कराया जाये कि जहां पर छात्रों के हिसाब से अध्यापक ज्यादा हैं वहां से हटाकर जहां कम अध्यापक हैं वहां रखा जाय। छात्रों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों को रखा जाए। आवास योजनाएं जो हैं जैसे बाल्मीकि योजना अम्बेडकर योजना, इनमें भेदभाव न किया जाय। हमारे यहां कोई भी नगरीय आवास योजना नहीं बनाई गई। शिकारपुर में रामलीला मैदान का सौन्दर्यीकरण कराया जाय व धोबीघाट बनवाया जाय। सहारा वालों ने जो निर्धन लोगों की शादियां कराई इसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र में 14-15 जून को 56 शादियां एक साथ कराई थीं जिसमें बिना दहेज के फूलमाला पहनाकर शादियां कराईं। इसके पहले 8-9 नवम्बर को बिना दहेज के 64 शादियां फूलमाला पहनाकर कराईं। गरीबों की इस प्रकार से शादियां होती रहनी चाहिये। एक जनवरी से 31 जनवरी तक 350 रजाइयां वितरित कीं। यह मैंने अपने आर्थिक स्रोतों से वितरित कीं। 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर मैं और मेरी पत्नी व दोनों बच्चे सब लोगों ने मिलकर पार्कों की सफाई की जब देखा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा क्षतिग्रस्त थी, कान टूटा हुआ था, सुभाष चन्द्र बोस का चश्मा गायब हो गया था उसको लगवाया। इन कार्यों में पूर्व जिलाधिकारी का भी सहयोग प्राप्त हुआ। पूर्व जिलाधिकारी ने 200 पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराया क्योंकि मैंने कहा था कि 26 जनवरी तक इनका सौन्दर्यीकरण नहीं किया जाएगा तो मैं शामिल नहीं हूंगा। प्रमोद कुमार जी यहां पर नहीं हैं वह कहा करते हैं। हमारे यहां क्षेत्र से फोन आते हैं तो हमारी पत्नी हमें नहीं बतातीं हैं, मैं उन्हें बताता मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं उनके या मेरे क्षेत्र से फोन आते हैं तो वह नहीं बतातीं हैं लेकिन अगर उनके मायके का कोई फोन आता है तो वह तुरन्त बतातीं हैं और मोबाइल पर हमसे सम्पर्क करतीं हैं। जब मेरी पत्नी का यह हाल है तो ऐसे नेताओं से देश का भला कैसे हो सकता है ?

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सरस्वती विद्या मंदिर ला कालेज शिकारपुर जिला बुलन्दशहर को एल0 एल0 बी0 पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

जब मैंने शादियां बिना दहेज के करवाईं तो पहली बार मेरी पत्नी ने कमर दबाई व नहलाया अगर घर और समाज में इज्जत कराना चाहते हैं तो सामाजिक कार्य सभी करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मटौला गांव में 21-215 बी0 ट्यूबवेल बंद पड़ा है वहां ट्रांसफार्मर लगवायें।

मान्यवर, 80 हेक्टेयर जमीन चौपट पड़ी हुई है ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा है। मेरे यहां का एक जवान शहीद हुआ है। चौधरी योगेन्द्र सिंह 1052/5162 कम्पनी-सी 153 इन्फेन्टरी बटालियन टी0ए0। इन्फेन्टरी में सिपाही के पद पर था। 20-11-2003 को देश की रक्षा के लिये दुश्मनों से लड़ते हुये शहीद हो गया। इसका अंतिम संस्कार 22-11-2003 को फतेहपुर शिकारपुर में हुआ। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री मुंशीलाल गौतम-

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट का समय मांग रहा हूं। बीजू पटनायक जी कुछ कह रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम बी0 जे0 पी0 के लोग कपड़ा फाड़कर प्रदर्शन नहीं करते, हंगामा नहीं कर रहे हैं। हम तो आपसे जो आ रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। मान्यवर, बी0 जे0 पी0 रोड शो के माध्यम से दिखा रही है। अभी कल्याण सिंह जी दिल्ली गाजियाबाद से आये। बुलन्दशहर, हापुड़, खुर्जा में उनका स्वागत जिस तरीके से हुआ उससे लग रहा है कि जल्दी ही हम लोग उधर बैठेंगे और यह लोग इस तरफ बैठेंगे। यह तो हम इनकी बजह ब0स0पा0 आज इधर बैठे है। आज वहां हम होते । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी काफी समय से खड़े हो रहे हैं। इनको समय दे दें। केवल दो मिनट में बोलियेगा।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2004-2005 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूं। अगर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को पढ़ा होता तो कतई कोई आलोचना नहीं कर सकता। माननीय सदस्यों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को इस बजट भाषण में जो लिखा है वह पढ़कर सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि हम बख्शीश की राजनीति के स्थान पर व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं,

जिससे हमेशा के लिये दुःख दर्द मिटें। यह एक संकल्प सूत्र है, जिसका बजट में प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इस बजट में वार्षिक योजना का 71 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने का प्राविधान किया गया है जिससे बहुँमुखी विकास होगा। मैं माननीय सदन को जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि व्यय की नई मदों में 80 प्रतिशत का प्राविधान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये किया गया है। आप किस वजह से कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है। जब वार्षिक योजना के 71 प्रतिशत और व्यय की नई मदों में 80 प्रतिशत से ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो ऐसा कौन सा सूत्र और सुझाव है जिसे विपक्ष के सदस्य देना चाहते हैं ? उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां विकास बन्द हो चुका था। औद्योगीकरण पूरी तरह से ठप्प था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस ओर ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना करके बड़े-बड़े पूंजीपतियों को आमंत्रित करके विकास की नई शुरुआत की है। इसी तरह से पावर के क्षेत्र में एक पावर प्लान्ट लगायेंगे जो विश्व का अनोखा प्लान्ट होगा और जिसकी क्षमता 3500 मेगावाट होगी और इसका खर्च करीब 10 हजार करोड़ आयेगा। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि यह एक सकारात्मक कदम है इसलिये सदन के सारे सदस्यों को एक मत होकर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करना चाहिए और उनको इसके लिये साधुवाद देना चाहिए। आलोचना करनी है, करनी चाहिए लेकिन राजनीति की स्वस्थ परम्परा यह है कि जो अच्छी बात कही जाती है। तो उसके लिए कहीं न कहीं सत्तापक्ष को शाबाशी देनी चाहिए थी। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि नेता विरोधी दल माननीय टण्डन जी ने बहुत सारी बातों पर बजट भाषण में कहा और कई बार करीब 20-25 बार मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दिया जो नये प्राविधान किए हैं, नई मदें बनी हैं, उनके लिए। गन्ना किसानों के बारे में कहा, हम गन्ना किसानों के बीच से आए हैं गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 11 सौ करोड़ की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन से करके गन्ना किसानों का भुगतान कराया है, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश के विकास के लिए 'आदर्श जनपद योजना' बनाने की घोषणा की गई है 25 जनपदों को आदर्श जनपद घोषित करने की घोषणा की गई है। समग्र ग्राम कृषि विकास योजना में 16 योजनाओं के कार्यक्रम को लागू करने का प्रयोग एक अच्छा प्रयोग है इसके लिए सरकार को साधुवाद और बधाई देता हूं। नई ऊर्जा नीति के अन्तर्गत 2009 तक 40 हजार गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है इसी के साथ-साथ 2004-2005 में 6 हजार गांवों में विद्युतीकरण का प्राविधान किया गया है। इससे जो गांव अंधेरे में थे वहां बिजली पहुंच जाएगी। हर इलाके में विद्युत का प्रकाश पहुंच सकेगा।

मान्यवर, विगत समय में नलकूपों की बहुत कमी थी। नलकूप नहीं लगे थे, नहरों का क्षेत्र जहां नहीं था, वहां राजकीय नलकूप ठप्प पड़े थे, हमारी सरकार ने "चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना" नामक नई योजना में 1000 नलकूपों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2004-2005 में 300 नलकूपों का निर्माण कराने का प्रबन्ध किया गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने एक साथ सबकी चिन्ता की है, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज में उनके उत्थान के लिए, उसमें भी बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कन्या विद्या धन में 20 हजार की व्यवस्था की गई है। इससे बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं बजट के अनुमान राजस्व के बारे में कहना चाहता हूं। वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों

में राजस्व घाटा 3.4 प्रतिशत और 2004-2005 में 2.4 प्रतिशत अनुमानित है। 2003-2004 में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 9.1 प्रतिशत है तथा वर्तमान में 2004-2005 में 4.4 प्रतिशत अनुमानित है। यह बजट का सकारात्मक पक्ष है। जिसको देखने की कोशिश की गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी समग्र पक्षों को मजबूत करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए एक मुहिम चलाई है। वह प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उसके बारे में दो-तीन मांगें कहना चाहता हूं जो गोण्डा जनपद मुख्यालय को राजधानी से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है उस मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराया जाए। सिंगल लेन की सड़क है आने में दिक्कत होती है। मान्यवर, जरवल से फरेंदा मार्ग लखनऊ को सड़क से जोड़ता है उसको सुधारा जाए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जरवल से लखनऊ की सड़क है उसका मरम्मत का काम कराया जाए। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में करनैल गंज में डिग्री कालेज की स्थापना की जाए। और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी वहां बालिका इण्टर कालेज की बहुत आवश्यकता है। मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किरनपाल कश्यप-

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, जिन सम्मानित सदस्यों ने बजट पर चर्चा की, हमारे विपक्षी सदस्य आलोचना कर रहे थे। यह लोकतंत्र है, आलोचना करनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हत्या की है। वह लोग इस तरह की आलोचना सदन के अन्दर करें, तो शोभा नहीं देता। बिजली और ट्यूबवेल की बात कही, पिछली सरकार में जो किसानों के खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल एक मात्र साधन होता था, सूखा पड़ा था, बरसात हुई नहीं थी, बिजली थी नहीं, ट्यूबवेल के कनेक्शन भी दो साल से बन्द की दिए थे, यदि खेत में अन्न पैदा नहीं होगा तो चूल्हे नहीं जलेंगे, शायद इन्हें जानकारी नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 14 घन्टे बिजली देने का एलान किया, हमारे प्रदेश में 14 घण्टे बिजली मिल रही है इसलिए हम मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। इतना ही नहीं पिछली सरकार में बिजली कहां थी, कुछ मोहल्ले और गली को चिन्हित कर लिया जाता था, बिजली कहां जायेगी, फलां मोहल्ले में जायेगी, चिन्हित करते थे। बाबा साहब को बदनाम करने के लिए उनके नाम पर अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत जो चिन्हित किये गये गांव वह केवल कुछ मोहल्ले और गली किए गये। बाबा साहब के नाम पर मतभेद फैलाने वाले लोग, घृणा फैलाने वाले लोग आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री के बजट की आलोचना करते हैं, यह बड़े खेद की बात है। बिजली कहां जायेगी, अम्बेडकर गांव में और वहां भी जहां कुछ लोग रहते हैं, विकास कहां होगा, कुछ गलियों में ? अगर अम्बेडकर गांव विकास के लिये दे दिया गया तो वहां भी चिन्हित कर दिया। यह अगड़ों का है, यह पिछड़ों का है, इससे बड़ी नफरत फैलाने का काम किसी ने नहीं किया और इतना ही नहीं नल की बात कही,

हमारे साथी बोल रहे थे, सम्मानित साथी हैं, कह रहे थे कि 19 शहरी विधायकों के क्षेत्रों में नल का पानी देने की योजना नहीं बनायी मुख्य मंत्री जी ने।

मैं पूछना चाहता हूं कि शहर के अन्दर तो तमाम ट्यूबवेल और टंकियां हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क हैण्डपम्प के अलावा शुद्ध पानी के लिए कोई साधन नहीं है लेकिन पिछली सरकार ने जो पाप किया था, विधायकों को अपने क्षेत्र में 50 हैण्डपम्प लगवाने के लिए पहले फ्री दिए जाते थे, बाद में हुआ कि 10 प्रतिशत धनराशि विधायक निधि से देनी पड़ेगी, इस पर भी लोग तैयार हो गये और पिछली सरकार ने तो ये सारे के सारे बन्द कर दिए। वह लोग बात करते हैं, जिन्होंने जनता का पानी पीने का छीनने का काम किया है, वह आज आलोचना करते है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में घोषणा कर दी है कि 100 नल दिए जायेंगे, इसके लिए उनको बधाई देना चाहिए। दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं।...

इन्होंने शिक्षा के नाम पर क्या किया ? दो छोटी-छोटी कोठरी बना दी एक बरामदा बना दिया, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 250-500 थी और शिक्षकों की संख्या सिर्फ दो। इस तरह से स्कूल चलेगा और इन्होंने क्या दिया ? बोर्डिंग और शिशु निकेतन, जिन्होंने शिक्षा मित्रों की व्यवस्था कर दी जो बीटीसी और बीएड के हमारे ट्रेंड अध्यापक 10-12-15 सालों से ट्रेनिंग किये हुए थे, अपने घर पर बैठे थे अगर मुख्य मंत्री जी ने उनकी 46 हजार सीटें भरने का एलान कर दिया तो इन लोगों को बड़ा दर्द हुआ। एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय टण्डन जी जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं उनके भाषण को हम बड़ी गम्भीरता से सुनते हैं। चाहे तिवारी जी हों या टण्डन जी हों। हमने देखा कि भाषण तो नेता विरोधी दल दे रहे थे लेकिन रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहा था। हमारे जनपद के नेता श्री हुकुम सिंह जी बता रहे थे और वह बोल रहे थे।

श्री टण्डन जी ने अपने भाषण में बहुत तारीफ की थी लेकिन एक आध शब्द जो उन्होंने विरोध में कहे थे तो उस समय वह रिमोट से चल रहे थे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार से डेढ़ साल में लोकतांत्रिक परम्पराओं की जितनी हत्या की उतनी किसी सरकार ने नहीं की। 1994 की सरकार में माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने हमारे समाज के लोगों जैसे कश्यप, मल्लाह आदि जाति के लोगों को बालू, मौरंग आदि के लिये 10 साल के पट्टे का आवंटन किया था। उन्होंने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए भी व्यवस्था की थी। आज दलितों को पट्टा खेती का पट्टा फ्री है। खेती के लिए पट्टा है लेकिन जो वास्तव में भूमिहीन और मजदूर हैं उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दिया तो पिछली सरकार ने उसको समाप्त कर दिया और एक रिट हाईकोर्ट में दायर करके हजारों, लाखों लोगों के रोजगार को समाप्त कर दिया। अभी श्री गौर साहब शिक्षा के बारे में कह रहे थे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी यह पता किया है कि प्रदेश के विधायकों की विधान सभाओं में कितने-कितने डिग्री कालेज हैं, विद्यालय हैं। मान्यवर, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र थाना भवन क्षेत्र में एक भी डिग्री कालेज नहीं है। जहां पर 2.5 लाख वोट हों वहां पर एक भी डिग्री कालेज नहीं है। मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 इंटर कालेज और एक डिग्री कालेज खोले जाने की बहुत जरूरत है कृपया इसे बनवाने का कष्ट करें। अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने ठीक ही कहा कि 'राम तेरी गंगा मैली हो गयी पापियों के पाप धोते-धोते-। सही बात है कि पिछली सरकार

के पाप धोते-धोते आपकी सरकार में रहते हुए जितनी गंगा मैली हो गयी थी, विधायक निधि के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने तो साढ़े आठ साल तक नहीं किया और आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी ने एक सुझाव रखा था माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़कार एक करोड़ रुपये कर दिया जाये।

मुख्य मंत्री जी ने एक करोड़ कर दिया लेकिन एक भी साथी में इतनी हिम्मत नहीं हुई, सभी विधायक हैं, चाहें इधर बैठते हों या उधर बैठते हों, तो उधर के एक भी सम्मानित सदस्य ने बधाई नहीं दी। इससे ज्यादा खेद की बात और क्या हो सकती है ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,चाहे अगड़े, पिछड़े और दलित हों सबके लिए बजट में प्राविधान कर रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह कल्याणकारी और लोकहितकारी है। इसमें सबका कल्याण करने की सारी योजनाएं है इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, संख्या बल दिखवा लिया जाय।

*डा0 पूर्णमासी देहाती-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके सारे बिन्दुओं को देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि यह बजट सराहनीय है। मान्यवर, सारी बातें आ चुकी हैं। हमारे साथियों ने अभी कुछ लोगों ने कहा, खासतौर से शुक्ला जी ने कि यह महिला विरोधी है लेकिन मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि बी0जे0पी0 में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कि एक महिला भी नहीं रखते हैं इससे सिद्ध होता है कि बी0जे0पी0 महिला विरोधी है। मान्यवर, मुझे एक बात याद आ गयी। इसी सदन में 1990 में प्रमोद कुमार जी ने कहा था, माननीय कल्याण सिंह जी यहां बैठते थे, मान्यवर, पहले आप यह स्पष्ट कर दें कि आप पक्ष वाले हैं या विपक्ष वाले। तो माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि न मैं पक्ष वाला हूं और न विपक्षवाला, मैं तो बीच वाला हूं। मान्यवर, धार्मिक ग्रंथों में बातें आयी है कि पहले ऋषि महात्मा पत्नियां रखते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह महिला विरोधी हैं। मैं माननीय कल्याण सिंह जी की तारीफ करूंगा कि बी0जे0पी0 में वही ऐसे हैं जो महिला विरोधी नहीं हैं। इतना सही है कि बजट में सारी चीजें हैं जो जनता के लिए चाहिए। जो हमारे साथी सामने बैठते हैं इनके जमाने में राम कोला में किसानों के ऊपर गोलीकाण्ड हुआ। पिछले सत्र में पडरौना में गोली कांड हुआ तो ऐसे लोग कम से कम यह नहीं कह सकते कि किसान विरोधी है। विरोधी तो उधर चले गये हैं इधर तो किसानों के हितैषी हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया है उसमें मेरे क्षेत्र का विकास भी हुआ है। तो मैं यह कह रहा था कि नेपाल और बिहार को जोड़ते हुए गोरखपुर रोड आती है जिसमें पच्चीस सालों से 28 किलोमीटर लम्बा कप्तानगंज में राम जानकी घाट पर पुल न होने से दिक्कत है। रिपोर्ट मांगी है, मैं निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकृत कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिया जाय। तो नेपाल और बिहार उससे जुड़ जायेगा और साथियों हम आप से निवेदन करना चाहेंगे, राजभर जी तो हम लोगों के नेता हैं अभी यह लोग कह रहे थे, आप महिला विरोधी हैं और इधर पुरुष विरोधी हैं और दोनों जगह अलग-अलग पक्ष में बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें सारी चीजों का समावेश है। मान्यवर, मैं क्या इस सदन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उस बजट की तारीफ करने से नहीं रह सकता है, मान्यवर, मैं जो बजट पेश हुआ है, उसका समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने नेता सदन द्वारा रखे गए वर्ष 2004-2005 के बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस 2004-2005 के बजट में विकास की गंगा बहाने की बात कही गयी है यह सही बात है, विकास की गंगा बह रही है। मान्यवर, बड़ी अच्छी बात है प्रदेश में विकास की गंगा बहनी चाहिए, कम से कम इतनी शक्ति तो हुयी कि गंगा बहाने की बात कह रहे हं लेकिन मान्यवर, यह विकास की गंगा की धारा जो बजट में दिखाई दे रही है इससे मुझे पूर्ण रूप से यह कहने में बल मिल रहा है कि वर्ष 2004-2005 की विकास की जो गंगा की धारा होगी वह धारा इनको उधर से उठाकर इधर बैठाने का काम जरूर करेगी, क्योंकि इसमें जितनी भी अच्छाइयां कही गयी हैं चाहे वह समग्र ग्राम विकास के नाम पर छः हजार गांवों को विकास से जोड़ने की बात कही गयी हो चाहे गांवों के विद्युतीकरण की बात कही गयी हो, मान्यवर आज समग्र ग्राम विकास योजना के नाम, अभी एक सदस्य बोल रहे थे कि जो पहले डा0 बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के नाम पर 10 गांवों को लिया गया तो हमने उसका नाम बदल कर समग्र ग्राम विकास योजना रख दिया क्योंकि आपको डा0 अम्बेडकर के नाम से एलर्जी हो जाती है, आप किसी भी नाम से विकास करें। हमने 13 बिन्दुओं में ग्राम विकास किया, 10-10 गांव हर विधान सभा क्षेत्र में चयन करके, हमने विकास किया, हमने विकास के लिए धन भी आवंटित किया।

आपने समग्र ग्रामीण विकास योजना के नाम पर 16 बिन्दु सुनिश्चित किए लेकिन एक भी बिन्दु पर गांवों में विकास का कार्य नहीं होगा, न करेंगे, लेकिन इस योजना के तहत जो आपने हम लोगों से 10-10 गांवों के नाम लिये हैं तो उसमें कार्य की योजना तो बन रही है,लेकिन उसके लिये धन के आवंटन की व्यवस्था नहीं की गई है, बिना धन के कैसे विकास होगा ? जिन्हें आप 16 बिन्दुओं से सुसज्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए समुचित योजना बनानी होगी, उसके लिए धन आवंटित करना होगा, दूसरे अगर योजना का दायरा बढ़ जायेगा तो कोई काम नहीं होगा। मान्यवर, अभी हमारे साथी उदय राज यादव जी, सरकार की कानून व्यवस्था के विषय में तमाम कसीदे कढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी कानून व्यवस्था की बातें तो नहीं बतायीं, केवल हमारे ऊपर आरोप लगाये कि आज से छः महीने पहले जो शासन था उसमें लोग सात बजे ही दुकानें बन्द करके घर को चले जाते थे। मान्यवर, प्रदेश की जनता यह अच्छी तरह जानती है कि छः महीने पहले इस प्रदेश का हर आदमी भय मुक्त था, उसे मालूम था कि सरकार की, उसके मुख्य मंत्री की इतनी धमक है कि प्रदेश का हर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपराधी आज प्रदेश के बाहर चला गया है या तो जेल के अन्दर चला गया है। मान्यवर, केवल पांच महीने इस प्रदेश में सरकार के बने हुए हैं और मुख्य मंत्री के भतीजे का अपहरण हो गया।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के भतीजे का अपहरण हो गया। इटावा में 20-20 लोगों का अपहरण हो गया। मान्यवर, आज यह हाल नेता सदन के जिले का है कि उनका अपना भतीजा भी सुरक्षित नहीं है। तो दूसरी जगहों की कानून व्यवस्था की क्या बात कहनी ? मान्यवर, उनको तो बधाई देना चाहिए माननीय मुख्य मंत्री बिहार श्रीमती राबड़ी देवी जी को और लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने उनके भतीजे को बिहार में बरामद करा दिया और उससे पूरे प्रदेश की बदनामी होने से बात बच गयी।

मान्यवर, गन्ना किसानों की बात कही गयी है मान्यवर, जो पिछले पेराई सत्रों में मिलें चली थीं आज 9 चीनी मिलों में पेराई नहीं हो रही है और निश्चित तौर से पेराई का प्रतिशत प्रदेश में गिरा है। मान्यवर, आज आप गन्ना किसानों की एक तरफ दुहाई देते हैं दूसरी तरफ यह 9 चीनी मिलें बन्द हो गयी हैं।

मान्यवर, आपने प्रति विधायक पांच-पांच गांवों के विद्युतीकरण की बात कही थी। मान्यवर पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट की मांगे रखी थीं तो यह कहा था कि पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण होगा आज फरवरी की 15-16 तारीख है कहीं पर भी न तो कोई कार्य योजना बनाई गयी है और न ही कामों की शुरूआत हुई है, मान्यवर, जब यह सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही नेता सदन द्वारा कई बार कहा गया कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। आज जो स्थिति है अगर उसमें यह नौजवानों को छलने का काम किया गया है और अपने वायदे से बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आप मुकर गये हैं। और कहते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं और वहीं कल तक आप सार्वजनिक समारोह में यह घोषणा करके लोगों से तालियां पिटवाने का काम कर रहे थे।

मान्यवर, मैं प्रदेश में नवगठित औद्योगिक विकास परिषद् का बात करूंगा लेकिन सही बात यह है कि आज सत्तापक्ष के लोग उसकी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन यह हकीकत है कि इस परिषद् में उत्तर प्रदेश के किसानों में से किसी को या मजदूरों में से किसी को प्रतिनिधि के रूप में रखने का काम नहीं किया गया और केवल पूंजीपतियों को रखने का काम किया गया है और आप उससे यह कह रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश का विकास करेंगे आज आपने डा0 राम मनोहर लोहिया जी के पदचिन्हों पर चलने वाली यह सरकार ने उनके रास्ते से अलग चलने का काम किया है और उनकी बातों को किसी कोठरी में रखने का काम किया है। मान्यवर, मैं औद्योगिक विकास परिषद् की आलोचना नहीं करूंगा। क्योंकि इसकी आलोचना माननीय नेता सदन और उनके सत्तापक्ष के सदस्यगण नहीं सुन सकते हैं। क्योंकि अभी तक किसी विपक्ष के नेता ने उसकी आलोचना करने का काम किया है तो उसको सार्वजनिक रूप से धमकाने का काम सत्तापक्ष के सदस्यों ने किया है। मैं उससे बचना चाहता हूं और उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा।

आज आपने नौ ज़नपदों को और चार मण्डलों को समाप्त करने का काम किया है जिससे पूरे प्रदेश की जनता आन्दोलित हैं। औरैया में आप सभा करने गये तो लोगों ने आपका विरोध किया और अपना विरोध आपके समक्ष लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट किया, तो इस सरकार ने उन लोगों पर

लाठीचार्ज करके पथराव करके वहां के आन्दोलनकारियों की आवाज को दबाने का काम किया है। यह सरकार आज निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है।

मान्यवर, इस प्रदेश में आपने देखा कि पिछली सरकारों में जो क्षेत्रों में विधायकों के लिए पूर्वान्चल विकास निधि का राजयांश से संस्तुतियां हुई थीं इस सरकार ने उसको आते ही रोक देने का काम किया। हम लोगों ने पिछले बजट में भी इस बात को रखा था और नेता दन ने आश्वासन दिया था कि हम इसका परीक्षण कराकर निश्चित रूप से भेदभाव नहीं करेंगे जो पिछली स्वीकृतियां जारी हुई हैं उनको स्वीकृत करने का काम करेंगे लेकिन आज नियोजन से पता करने पर पता चला कि जो स्वीकृतियां पिछली बार नेता सदन ने की थीं 6 माह पश्चात् पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि के क्षेत्र के विकास की स्वीकृतियां की थीं, जो परियोजनाएं स्वीकृत की थीं उनको बन्द कराने का काम किया गया है और जो पैसा जिलों में पहुंचे गया है उसको वापस मंगाया जा रहा है।

यह विधान सभा के सदस्यों का, विधायक और विधायिका का अपमान है उनकी नजर में पूरा प्रदेश तो एक है पूरे प्रदेश के सदस्य और सभी क्षेत्र एक हैं इसलिए निश्चित रूप से पूर्वांचल विकास निधि की जो स्वीकृतियां हुई थीं उसको तत्काल स्वीकृत करना चाहिए और उस पर जो रोक लगायी गयी है, निरस्त किया है उसको रोककर निश्चित रूप से उसको सही करने का काम करना चाहिए। मान्यवर, यह 2004-2005 का जो बजट है इसमें कितने सत्तापक्ष के सदस्यों और सरकार के मंत्रियों ने भी केवल मुख्य मंत्रियों के तारीफों के पुल बांधे हैं खुद सरकार में रहते हुए सरकार और शासन से मांगने का काम किया है।

मान्यवर, सरकार में बैठे हुए लोग कभी चपरासी को मारने का काम करते हैं, कभी दंगा भड़काने का काम करते हैं। यह आचरण प्रदेश में बैठे हुए लोगों का है। आज सत्तापक्ष पक्ष के एक सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि गेंदा सिंह गन्ना संस्थान केन्द्र में निदेशक का पद रिक्त है, वहां पर कोई निदेशक नहीं है ? मान्यवर, वहां पर निदेशक का पद रिक्त है लेकिन ऐसे-ऐसे विभाग भी हैं जहां निदेशक तो हैं लेकिन मंत्रियों की फरमाइशों के कारण ऊबकर उन्होंने छुट्टी लेने का काम किया है। आज ही अखबारों में पढ़ने को मिला कि उद्यान विभाग के निदेशक अपने मंत्रियों की फरमाइशों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसके कारण उन्होंने छुट्टी लेने का काम किया है। इनके मंत्री निरंकुश हो गये हैं और पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। मान्यवर, यह 2004-2005 का जो बजट रखा गया है इस पर मैं एक लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा-

"महसूस हमें होता है, ऐ दौरे तबाही है,
महलों में उजाला है, कुटियों में सियाही है,
दुनियां में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती,
कि शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है,
कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है।।"

मान्यवर, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो स्वीकृतियां हुई थीं, वह जारी कराई जायं। विरसिंगपुर में विद्युत सबस्टेशन बनवाया जाय। कूड़ेभार ड्रेन की खुदाई जो डफरपुर से अरवलकीरी करवल गांव तक बनी हुई है जिससे हजारों बीघा सीपेज है उसकी खुदाई कराकर सीपेज से बचाया जाय। पूर्वांचल विकास निधि की जो स्वीकृति हुई थी वह बिरैता से राजापुर

होते हुए जगरई जमालपुर सड़क लेपन साढ़े चार कि0मी0 बरदहिया तेसा होते हुए यमरा केवदवा तक 4 कि0मी0 सड़क लेपन कराया जाय जो पूर्व में पूर्वांचल विकास निधि में तत्कालीन नेता सदन द्वारा स्वीकृत किया गया था उसका पैसा सी0डी0ओ0 कार्यालय में लम्बित है उस पर तत्काल कार्य शुरू कराया जाय। इसके साथ ही नेता सदन द्वारा रखे गये बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री परमेश्वर दयाल-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय नेता सदन ने 2004-2005 का बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने का मुझे आपने मौका दिया है, मैं इस बजट के समर्थन में अपनी बातों को रखना चाहूंगा। मान्यवर, जो 2004-2005 का बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट अपने आप में किसानों, दलितों, छात्रों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सभी लोगों के हित में कल्याणकारी है। मैं बजट के ऊपर कहना चाहूंगा, वैसे तमाम विद्वान सदस्यों के द्वारा अपने विचार इस पर व्यक्त किये जा चुके हैं। मैं इस पर ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि किसी भी देश और प्रदेश तथा समाज की जनता के विकास के लिये, उसके जीवन को समुन्नत बनाने के लिये सबसे बड़ी संस्था शिक्षा होती है, अगर समाज शिक्षित न हो तो किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता।

मैं, तमाम विपक्ष के साथी जो इस बजट का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है, से कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर दलितों की हितैषी वाली सरकार थी और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सम्मिलित सरकार थी, जो इस देश के राम भक्त लोग हैं, जो इस देश को हिन्दू राज बनाने की बात करते हैं, उनकी सम्मिलित सरकार थी और यह उनके द्वारा बार-बार कहा जाता था कि हम दलितों के हित में काम किये हैं, उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, चाहे वह दलित समाज के, चाहे वह किसी भी समाज के लोग हों, अगर शिक्षा नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में जनता को समुन्नत नहीं किया जा सकता। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने इस पर विचार किया, वह एक किसान के बेटे हैं, उन्हें इस बात का पूरा यकीन और अहसास है कि जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, तब तक समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। इसी के मद्देनजर माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीब के बेटे जो पढ़ते हैं, जिनके अन्दर योग्यता है, प्रतिभा है, जिन्हें अवसर नहीं मिलता था, संविधान की प्रस्तावना में भी समान अवसर की बात कही गयी है, लेकिन पूर्व की सरकार जो अपने आपको कहती है कि हम बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि गरीब का बेटा, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अगर उसके अन्दर प्रतिभा है, योग्यता थी कि वह इंजीनियरिंग, मेडिकल में कम्पीशन फाइट कर लेता था, लेकिन धनाभाव के कारण उसका एडमीशन नहीं हो सकता था, इन्होंने प्राइमरी, हाईस्कूल और इन्टर सभी की शिक्षा को महंगा कर दिया था, इस कारण वह गरीब जो अपने 2-4 बच्चे पढ़ा रहे हैं, वह अपने बच्चों को पढ़ाने में, एडमिशन दिलाने में असमर्थ हो गया था, तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन्टर तक की शिक्षा की फीस से मुक्त कर दिया और निःशुल्क शिक्षा कर दिया, इसके अलावा उन्होंने ग्रेजुएशन की फीस को भी कम कर दिया तो यह भारतीय संविधान के अनुरूप समान अवसर की बात थी, माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कदम जनता के स्तर को ऊपर उठा सकेगा।

आगे मैं ज्यादा बात न बढ़ाते हुये सिर्फ अपने जनपद के संबंध में कुछ बात कहना चाहूंगा। निर्वतमान सिंचाई मंत्री हमारे बगल के ही हैं, मेरा सोनभद्र मुख्यालय हेडक्वार्टर विधान सभा क्षेत्र है,

जो चुनार विधान सभा से सटा है, वह कहते थे कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र चुनार का माडल विधान सभा बनाऊंगा और सारा का सारा पैसा उसी विधान सभा में लगाने का काम किया। हमारे यहां मुख्य घाघरा कैनाल नहीं है जो कि ओम प्रकाश सिंह के जिले को भी पानी देती है लेकिन विगत 10 साल से कोई सफाई नहीं हुई है। हमारे मुख्य मंत्री को इस बात की चिन्ता थी कि किसानों का भला तभी होगा जब किसानों के खेतों को पानी मिलेगा। हमारे मुख्य मंत्री ने जो फैसले किये वह खोखले वायदे नहीं हुये। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लोग अपने सीने पर हाथ रखकर सही आंलोचना नहीं सही समालोचना करें तो देखेंगे कि कितने अच्छे काम हुये हैं, खेती के संबंध में छात्रों के सम्बन्ध में। अन्त में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्यायें रखना चाहूंगा।

मेरा जनपद सोनभद्र बहुत पिछड़ा जनपद है, नक्सलवाद के नाम पर हमारा जनपद बहुत प्रताड़ित हुआ है। श्री सुखदेव राजभर जी वहां पर गये थे, श्री राजनाथ सिंह जी गये थे, उन्होंने घोषणा की थी कि एक के बदले चार। वहां पर नक्सलवाद के नाम पर फर्जी इनकाउन्टर किये गये, फर्जी मुठभेड़ दिखाकर लोगों को मारा गया। आज कानून व्यवस्था की मैं मिसाल देना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है तब से नक्सलाइज के नाम पर एक भी इनकाउन्टर नहीं हुआ है और हमारे जनपद में अमनचैन है। श्री मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में सरकार चल रही है और उनके संरक्षण में प्रदेश चल रहा है, एक भी घटना नक्सलाइज के नाम पर नहीं की गयी है। मेरा जनपद बहुत पिछड़ा है, जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित है। मान्यवर सारे जनपदों से ज्यादा हम राजस्व देते हैं। मैं विनम्र निवदेन सरकार से करना चाहूंगा कि हमारे जनपद को यथोचित सम्मान नहीं मिला है। जितना बिजली पूरे देश में पैदा की जाती है उसका 1/10 हिस्सा बिजली मेरे जनपद सोनभद्र के माध्यम से सरकार को दिया जाता है। वहां के आदिवासियों की जमीनें छीन ली गयीं, उनके बाग-बगीचे चले गये, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर हमारे जनपद सोनभद्र का विद्युतीकरण किया जाय। हमारे यहां पूरे जनपद में 15 लाख की आबादी है। वहां पर मात्र 4 डिग्री कालेज हैं, उसमें से दो सरकारी हैं और दो प्राइवेट हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री परमेश्वर दयाल-

एक डिग्री कालेज ओबरा में है वह ओबरा पावर कारपोरेशन का है उसमें वहां के कर्मचारियों के लड़के ही एडमीशन ले पाते हैं। राबर्ट्सगंज जहां मुख्यालय है वहां पर कोई डिग्री कालेज नहीं है। एक डिग्री कालेज से तकिया राम है जो 16 कि0मी0 दूर जंगल में बना हुआ है, वन विभाग ने रास्ता बन्द कर रखा है, वहां पर केवल बिल्डिंग बनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जिला मुख्यालय है वहां पर कम से कम एक राजकीय कन्या डिग्री कालेज की व्यवस्था की जाय जिससे वहां की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो कठिनाई हो रही है उसका निवारण हो सके। लड़के तो दूर भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं लेकिन लड़कियां दूर नहीं जा पाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त कीजिये।

श्री परमेश्वर दयाल-

मान्यवर, हमारे यहां भाट क्षेत्र है वहां पर रेड, विजुल और सोन तीन नदियां हैं। वहां थाना, अस्पताल, तहसील और क्षेत्र जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। मान्यवर, पांच-छह महीने उस क्षेत्र में नाव भी नहीं चलती है। क्योंकि पहाड़ी नदियां हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस क्षेत्र में सरेन नदी मिलाकर करगस से गोठानी में सोन नदी पर पुल बना दिया जाये तो दूरी कम हो जायेगी तथा थाना, अस्पताल, जिले से लोग जुड़ जायेंगे। मान्यवर, प्रस्ताव पी0 डब्लू0 डी0 से आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब बैठिये।

श्री परमेश्वर दयाल-

मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र काफी बड़ा है और पांच-छः एरिया में बंटा हुआ है और जिला लगभग 250 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर सोन नदी पर एक पुल बना दिया जाये तो उस क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोनभद्र में अनेक समस्यायें हैं। इसमें 50 हजार से डेढ़-दो लाख की आबादी का कौन क्षेत्र ऐसा है जो पूर्व में बिहार, उत्तर में सोन और कनहर नदी से घिरा हुआ है अगर कनहर नदी में हरदी कोट पर एक पुल बना दिया जाये तो इससे काफी सुविधा हो जायेगी क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को लगभग 100-150 किमी0 की दूरी तय करके जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब बहुत हो गया, समाप्त कीजिये। वरना मुझे यह कहना पड़ेगा कि नहीं लिखा जायेगा।

श्री परमेश्वर दयाल-

मान्यवर, मैं अब खत्म कर रहा हूं। हमारी विधान सभा क्षेत्र एक आदिवासी बेल्ट है। कैमूर सर्वे की जो मंशा थी वह पूरी नहीं हो पायी। भू-माफियाओं ने कागज में अपने नाम लिखा रखे हैं जबकि मौके पर कब्जा आदिवासियों का है। इस क्षेत्र में खनन का कार्य तेजी से होता है। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ के तमाम माफिया इस समय सोनभद्र में जा रहे हैं और जा करके कैमूर सर्वे एजेंसी से जमीन अपने नाम दर्ज करा रहे हैं। हालांकि आदिवासियों का मौके पर कब्जा है लेकिन मैं चाहूंगा कि उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिये क्योंकि यह उनके बाप-दादों की जमीन है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब बैठिये।

श्री परमेश्वर दयाल-

मान्यवर, एक कोन एरिया है जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। 28 गांव हैं जो बिल्कुल सिंचाई से वंचित हैं। वहां पर छोटी-छोटी बंधियां हैं वह सूख जाती हैं। वहां पर पाण्डु नदी है जिसमें पानी रहता है अगर पाण्डु नदी पर एक डैम बनाकर अगर कैनाल दे दिया जाये तो वह एरिया भी सिंचित हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं प्रबल समर्थन करता हूं।

श्री लाल बहादुर यादव-

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2004-2005 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, वर्ष 2004-2005 का जो बजट है। माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्पष्ट तरीके से किसानों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये तथा पूरे प्रदेश की 17 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये बजट में प्राविधान किया गया है। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट तरीके से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा व्यवस्था दी गई है, 46 हजार अध्यापकों की नियुक्ति के लिये, 67 हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के लिये। पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर अत्यन्त नीचे गिर चुका था। उसको ऊपर उठाने के लिये सरकार कार्य कर रही है। शिक्षा वही विषय है, जिसको पूर्व सरकार ने नीचे गिराकर छोड़ा था। सारा प्रदेश और देश जानता है कि मौजूदा नेता सदन की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। नेता सदन पहले कहा करते थे कि यदि अवसर मिला तो हम 10 हजार रुपये तक के कर्ज को माफ कर देंगे। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन लागू करेंगे। किसानों को पेंशन लागू करेंगे और यह बात सारा देश और प्रदेश जानता है कि नेता सदन जो कहते हैं वही करते हैं। आपकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। (नेता सदन) आपने अवसर मिलते ही उसको लागू करके दिखा दिया। मैं यह बात विपक्ष के साथियों से स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि नौजवानों के लिये रोजगार सृजन के लिये पूंजी निवेश के लिये विकास परिषद् का गठन किया गया है इससे धीरे-धीरे रोजगार के अवसर पैदा होंगे यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है, इसीलिये जिसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री लाल बहादुर यादव-

बिजली के बारे में नेता सदन ने कहा था कि हमको अवसर मिला तो हम प्रदेश में 18 घंटे बिजली देंगे। यह नेता जी के मजबूत मन की बात है कि अभी बिना पावर हाउस लगे गांवों में 14 से 18 घंटे बिजली मिल रही है। इस सरकार ने जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर गरीबों, नौजवानों, किसानों के लिये काम किया है। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुये दो तीन बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र गरवारा जनपद जौनपुर में पड़ता है। अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में मैं बताना चाहता हूं।

मान्यवर, भौगोलिक दृष्टि से मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीच-बीच में नदियां हैं। नदियों के तटवर्ती इलाकों में पेयजल संकट बना रहता है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां पेयजल की अतिरिक्त योजनायें चलाई जायें ताकि जनता को पेयजल संकट से मुक्ति मिल सके। हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें हैं। मछलीशहर और बदलापुर ब्लाकों में विद्युत व्यवस्था में व्यवधान होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां 132 के0 वी0 ए0 की क्षमता का उप केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है इस प्रस्ताव की स्वीकृति शासन से नहीं हुई है। मान्यवर, इस उपकेन्द्र के बन जाने से खुटहन और गरवारा दोनों विधान सभाओं की उन्नति होगी। इसकी वित्तीय स्वीकृति को जारी कराकर इसको पूरा कराया

जाये। मेरे यहां सुजानगंज ब्लाक में ऊसर सुधार योजना चलायी जाये। हमारे यहां हजारों हेक्टेयर जमीन में जल भराव है जिससे उसमें फसलें नहीं बोई जा सकती हैं।

मान्यवर, इंग्लिसिया साजिदपुर रामपुर, बारी बरहासा, चकराबाद, कान्हापुर, तारापुर, बहाउद्दीनपुर, पराहित, घघरिया, रामनगर, देवठिया, थतचोई, मुस्तफाबाद, ऊंचगांव-बाहरपुर, घूरीपुर गांव जलमग्न रहते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र से जल भराव की समस्या दूर की जाय ताकि कृषि योग्य भूमि निकल सके और ऊसर सुधार योजना का लाभ मिल सके। मान्यवर, हमारे यहां ड्रेनों की सफाई नहीं हुई इसी कारण जल भराव की समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुरावा ड्रेन की सफाई करवा दी जाय तो जल भराव की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी। मान्यवर, हमारे यहां बसुवी नदी का पानी बरना नदी में जाता है और बरना नदी का पानी गंगा नदी में जाता है। इन नदियों की खुदाई कराने की आवश्यकता है ताकि हमारे क्षेत्र का पानी इकट्ठा न हो सके इससे भूमि निकलेगी जिससे उपज बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास सम्भव हो सकेगा। हमारे यहां बलवार घाट प्रतापगढ़ और जौनपुर के बार्डर पर है। इस घाट पर पुल बनाने की आवश्यकता है इसी तरह से बीरापुर और पट्टी जो दो विधान सभायें हैं यहां पर पचपेड़वा घाट पर एक पुल प्रस्तावित था। विगत सरकारों में उस पर वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी। मैं प्रार्थना करूंगा कि मौजूदा सरकार वित्तीय स्वीकृति दे ताकि इन पर कार्य कराया जाय। आवागमन की सुविधा हो जाय और क्षेत्र का विकास हो सके। हमारे क्षेत्र में सुनैता नाले पर पुल बनवाया जाय। इसी तरह से सिवरिहा तमूड़ा तथा बेलवार नदी घाट पर पुल बनवाया जाय। ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके।

मान्यवर, इसी के साथ मैं 2004-2005 के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

(चर्चा जारी)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 16 फरवरी, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री नवाब सिंह नागर की नोएडा में कराये गये कार्यों की जांच के लिये नियुक्त आई0 ए0 एस0 अधिकारी की जांच रिपोर्ट को सदन में रखने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में भूमि की बिक्री के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प शुल्क में दोहरे मापदण्ड अपनाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना श्री शिवेन्द्र सिंह की जनपद महराजगंज में पानी की टंकी एवं पाइप लाइन के निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना श्री घनश्याम शुक्ल की जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर के तहसील केराकत में दैवीय आपदा के अन्तर्गत मृतक पशुओं की क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा में बन्द पड़ी चीनी मिल पर किसानों के बकाया रुपयों का भुगतान कराये जाने एवं बन्द चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की जनपद गाजीपुर के सादात

में नाले की सफाई न होने से सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य जमीन के बरबाद होने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना श्री रविन्द्र पुण्डीर की प्रदेश के पश्चिमांचल में रहने वाले मांगा जाति के लोगों को जन-जाति की श्रेणी में शामिल करने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। नौवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन में चन्देल किला, किलाघाट, पीलाघाट को जमुना की कटान से बचाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। दसवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद प्रतापगढ़ में परियोजना अधिकारी एवं डूडा द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि को नगर पंचायत सिटी को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। ग्यारहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ स्थित नव निर्मित तहसील मेहनगर के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। बारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई स्थित बिलग्राम शहर में जनपद उन्नाव की जगह जनपद हरदोई की किसी विद्युत केन्द्र से आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्रीमती विमला राकेश, श्री घनश्याम शुक्ल, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, तथा श्री प्रेम सिंह।

जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र लालगंज में खुम्मा देवरी मार्ग से मेहनाजपुर-जौनपुर मार्ग व बेसों नदी पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जनपद आजमगढ़.....

[हेतु शासनादेश सं0-पू0 46/एम 888/35-5-2003, दि0 18 अगस्त, 2003 द्वारा दो परियोजनायें क्रमशः (1) खुम्मा देवरी लहुंआ मार्ग से ग्राम बेइली चिउटहरा, बगौना, करसड़ा, बामनपुर होते हुए झीन्झपुर के पास बरबाँ पकड़ी मार्ग तक लेपन कार्य तथा (2) सिसरेडी के पास बेसो नदी पर लघु सेतु का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त दोनों परियोजनाओं में प्रत्येक पर रु0 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त कार्यों के कोई कार्यादेश जारी नहीं हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16-09-2003 को जारी शासनादेश संख्या-1908/35-5-2003 द्वारा दिनांक 01-04-2003 से 16-09-2003 की अवधि में पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत जारी समस्त आदेशों का कार्यान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था।

उक्त दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विषय में विचारोपरान्त शासनादेश सं0-70/35-5-2004-5 (54) 02-103, दिनांक 29-01-2004 द्वारा इन्हें निरस्त कर दिया गया है। अतएव दिनांक 18 अगस्त, 2003 के शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन अब नहीं किया जाना है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त निरस्तीकरण के कारण जनता में आक्रोश या असन्तोष की कोई सूचना सामने नहीं आयी है।]

जनपद गाजीपुर में विश्व बैंक की सहायता से बनने वाले अस्पताल को अन्यत्र ले जाये जाने के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय विधायक द्वारा .....

[दिनांक 12-2-2004 को विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि गाजीपुर जनपद में विश्व बैंक की सहायता से बनने वाले हास्पिटल को बागपत में न ले जाया जाये।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर में विश्व बैंक की सहायता से जिला चिकित्सालय पुरुष/महिला के निर्माण कार्य को निरस्त कर जनपद बागपत में ले जाने का कोई भी प्रस्ताव न तो विचाराधीन है और न ही इस प्रकार का कोई निर्णय वर्तमान में विद्यमान है।]

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय.....

[के निर्माण कार्यों में गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच करायी जा रही है। जांच का कार्य श्री बृजेश कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा को पत्र संख्या-4421/ 77-4-2003, दिनांक 30-10-2003 द्वारा दिया गया था। जांच में प्रथम दृष्टया यह विदित हुआ है कि निर्माण कार्य में विशिष्टयों को आवश्यकता से अधिक रखा गया है कि जिसके कारण लागत अनावश्यक रूप से अत्यधिक हो गयी है। जिस कारण निर्माण कार्य बाधित है।

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय का संचालन गौतमबुद्ध एजुकेशन सोसायटी, जो कि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है, द्वारा किया जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति एवं पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के स्वरूप में परिवर्तन करने अथवा किसी निजी संस्था को देने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।]

राज्य कर्मचारियों की भांति स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद आजम खां-

[डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12-2-2004 को विधान सभा में उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत यह अभिसूचित किया गया है कि "प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान सम्बन्धी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासनादेश लगभग एक वर्ष पहले जारी किया जा चुका है। पूर्व में यह परम्परा रही है कि जब-जब जो शासनादेश राज्य कर्मचारियों के लिये जारी होता था वह स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू होता था। स्थानीय निकाय का कर्मचारी जनता के जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा रहने वाला है और समयबद्ध वेतनमान न मिलने के कारण क्षुब्ध है, उसके कारण जनसुविधाओं के प्रभावित होने की सम्भावना पैदा हो गयी है।"

उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन के बाद प्रदेश की समस्त नगरीय निकायें अब स्वायत्तशासी हो गयी हैं। अतएव उन्हें अपने खर्चे स्वयं की आय से वहन करने की व्यवस्था है। सम्प्रति अधिकांश स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फलतः उनकी निजी आय इतनी नहीं है कि वे पूरा अधिष्ठान व्यय अपने निजी स्रोतों से वहन कर सकें। ऐसी स्थिति में अधिकांश नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में आ रही कठिनाई के निराकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा पहले ही यह निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य वित्त आयोग के माध्यम से निकायों को संक्रमित होने वाली धनराशि में से निकाय के कर्मियों के वेतन का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

यदि नगरीय निकायों में राज्य सरकार की भांति समयमान वेतनमान की अनुमन्यता प्रदान की जाती है तो इस हेतु प्रतिवर्ष लगभग रु0 35.00 करोड़ की अतिरिक्त व्यय-भार आने की सम्भावना होगी और यदि इसमें मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, वेतन उच्चीकरण के फलस्वरूप पड़ने वाले अन्य भत्ते भी जोड़ दिये जायं तो कुल व्यय-भार लगभग रु0 42.00 करोड़ होगा, जिसे वहन करने की स्थिति में सम्प्रति स्थानीय निकायें नहीं हैं।

नागर निकायों के कर्मियों को यदि राज्य सरकार के कर्मियों की भांति उक्त सुविधा प्रदान करायी जाती है तो उस पर आने वाले उक्त व्यय-भार को देखते हुए इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि इसके वहन करने की जिम्मेदारी अन्ततः राज्य सरकार पर ही आ जायेगी और राज्य सरकार की भी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि उसे वहन किया जा सके। फिर भी राज्य सरकार उक्त सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रही है।]

प्रदेश में ट्यूबवेलों हेतु बनी क्षतिग्रस्त नालियां, अधूरी नालियां तथा विश्व बैंक के द्वारा निर्मित ट्यूबवेलों की नालियां बनाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य द्वारा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को यह सूचना दी गयी है कि प्रदेश में सिंचाई हेतु ट्यूबवेलों का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना से होता आ रहा है। पुरानी बनी नालियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं या मौके पर समाप्त हो गई है। कुछ ट्यूबवेलों पर नालियां भी नहीं बन पाई हैं, जिससे न तो सिंचाई हो रही है और न ही मशीनों का रख-रखाव हो रहा है। इस सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप जनपद जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर, मुफ्तीगंज, जलालपुर, सरकोनी में बहुत से ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 28156 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं, जिनमें से 28031 नलकूप, ग्राम पंचायतों के नियंत्रणाधीन हैं। नलकूपों के अनुरक्षण हेतु रु0 12000 प्रति नलकूप प्रति वर्ष की दर से धन उपलब्ध होता है, जिसमें से रु0 3500 प्रति नलकूप प्रतिवर्ष पक्की गूलों/पी0 वी0 सी0 पाइप लाइन की सामान्य मरम्मत पर व्यय किया जाता है। पक्की गूलों व पाइप लाइन का जीर्णोद्धार जनपद योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से कराया जाता है। वर्ष 2003-04 में रु0 362.30 लाख के प्राविधान के अन्तर्गत 698 नलकूपों पर 1275.85 कि0मी0 पक्की गूलों/पी0 वी0 सी0 पाइप लाइनों का जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है तथा 30 जनपदों में 114 कि0मी0 पी0 वी0 सी0 पाइप लाइन का निर्माण, जनपद योजना में प्राविधानित धनराशि से कराया जा रहा है।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर, मुफ्तीगंज, जलालपुर तथा सरकोनी में राजकीय नलकूपों की स्थिति निम्नवत् है :--

विकास खण्ड	चलित नलकूप	01-04-03 को क्षतिग्रस्त प्रणाली
धर्मापुर	2	1 नलकूप पर 0.7 कि0मी0 गूल तथा 1 नलकूप पर पाइप लाइन।
मुफ्तीगंज	19	10 नलकूप पर 7.8 कि0मी0 गूल तथा 7 नलकूप पर पाइप लाइन।
जलालपुर	41	14 नलकूप पर 9.8 कि0मी0 गूल तथा 27 नलकूप पर पाइप लाइन।
सरकोनी	32	22 नलकूप पर 20.46 कि0मी0 गूल व 5 नलकूप पर पाइप लाइन।

नलकूपों के गुलों व पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य अनुरक्षण मद की आवंटित धनराशि औसत रु0 3500 प्रति नलकूप की दर से कराया जा रहा है। जलालपुर ब्लाक के 1 नलकूप पर पी0 वी0 सी0 लाइन की जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है।

03 नलकूपों पर जल वितरण प्रणाली अपूर्ण है, जिनमें से 02 नलकूपों क्रमशः 169 के0 जी0 ग्राम करदहा एवं 177 एम0 जी0 ग्राम सलारपुर पर जल वितरण प्रणाली का निर्माण कर दिया गया है।

इन चारों ब्लाकों में दि0 7-2-04 को 02 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 01 नलकूप विद्युत दोष से बन्द था। यांत्रिक दोष से बन्द दोनों नलकूप चालू कर दिये गये हैं। विद्युत दोष से बन्द नलकूप को चालू करने हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन से प्रयास किये जा रहे हैं।]

श्री उदवराज यादव द्वारा अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम में घोटाले के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में महाप्रबन्धक, वित्त एवं लेखा तथा निजी सचिव/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा शासकीय धनराशि का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमिततायें करने का

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई भी साक्ष्य जिससे यह जानकारी शासन को हो कि करोड़ों का घोटाला है, शासन के संज्ञान में नहीं है। नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अंकित बिन्दु कि निगम के निजी सचिव/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सादे कागज पर कर्मचारियों के वेतन हेतु तथा अन्य मदों में धनराशि प्राप्त की गयी है, के सम्बन्ध में निगम के प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त सूचना के आधार पर निजी सचिव/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निगम को दी गयी सूचना के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपरोक्त का लेखा-जोखा कैशियर को उपलब्ध करा दिया गया है तथा निजी सचिव को निगम की ओर से गाड़ी, ड्राइवर, चपरासी अधिकृत न होने के कारण उपलब्ध नहीं कराया गया है। तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में फील्ड आफिसर को कैश का चार्ज दिया गया है और तब से फील्ड आफिसर द्वारा कार्यहित में कैशियर का कार्य लिया जा रहा था। लेखा सहायक/कैशियर को रसीदों की जांच तथा अन्य लेखा संबंधी कार्य आवंटित किया गया है।

निगम द्वारा किसी भी कैशियर को वर्तमान में फील्ड आफिसर नहीं बनाया गया है। कैशियर द्वारा लिखित शिकायत दिनांक 03-01-2004 तथा इसके अनुक्रम में प्राप्त अन्य पत्रों की जांच हेतु जिला पुलिस लखनऊ को निगम द्वारा पत्र संख्या-4700/2003-04 दिनांक 06 जनवरी, 04 को भेज कर जांचोपरान्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त निगम के कतिपय कर्मचारियों द्वारा निगम के ऋण प्राप्त कर्ताओं से वसूली करने के बाद भी निगम के खाते में धनराशि जमा नहीं करने की भी शिकायत को देखते हुये प्रबन्ध निदेशक के अ0श0 पत्रांक 5033 दिनांक 04 जनवरी, 2004 के क्रम में विगत 5 वर्षों की निगम के लेखे की स्पेशल आडिट कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। साथ ही उपरोक्तानुसार पुलिस को जांच हेतु प्रकरण सन्दर्भित कर दिया गया है। मा0 मंत्री जी के पत्र दिनांक 19 जनवरी, 04 का आदेश प्रबन्ध निदेशक स्तर पर गुण दोष के आधार पर परीक्षणाधीन है। यूनियन के पदाधिकारियों को फर्जी ढ़ंग से फसाने की बात निराधार है। लखनऊ पुलिस को उपरोक्तानुसार दी गयी सूचना में जांच के आधार पर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करेगी।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में सिम्भावली चीनी मिल से होने वाले जल तथा वायु प्रदूषण को दूर करने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य ने यह सूचना दी है कि गढ़मुक्तेश्वर में मै0 सिम्भावली मिल द्वारा आस-पास के सिम्भावली व बक्सर के हैंडपम्प में प्रदूषित जल जन-स्वास्थ्य को खराब कर रहा है तथा वायु प्रदूषण, लापरवाही से, मिल की चिमनियों की राख से कस्बे के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र में जल प्रदूषण के सम्बन्ध में पूर्व में जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन), उप जिलाधिकारी, जिला गन्नाधिकारी,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजियाबाद तथा क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि बक्सर गांव के पीपल वाले मोहल्ले में हैण्डपम्प का पानी खराब था। उक्त जांच दल की आख्या एवं संस्तुतियाँ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं। उक्त मोहल्ले से सटा हुआ एक बड़ा तालाब हैं, जिसमें बरसात के पानी के अतिरिक्त रुका हुआ पानी भी काफी मात्रा में है। प्राप्त सूचना के आधार पर फुलडेरा ड्रेन का पानी भी उक्त तालाब में आ जाता है, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

मै0 सिम्भावली मिल लि0, गाजियाबाद में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु चीनी एवं आसवनी इकाई में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के शुद्धिकरण संयंत्र की व्यवस्था स्थापित है। आसवनी इकाई में उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पर आधारित तकनीकी अपनाई गई है। उद्योग का निरीक्षण बोर्ड द्वारा दिनांक 9-12-2003 को किया गया था। उद्योग के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेण्ट वाश को प्राथमिक शुद्धिकरण के पश्चात् आंशिक रूप से बायोकम्पोस्टिंग में तथा शेष उत्प्रवाह को फुल डेग ड्रेन में निस्तारित किया जा रहा था। बोर्ड द्वारा उद्योग को दिनांक 12-1-2004 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश दिये गये थे कि उद्योग द्वारा अपना उत्प्रवाह किसी भी दशा में उद्योग परिसर से बाहर निस्तारित न किया जाये।" उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है। उद्योग से निकलने वाले उत्सर्जन मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जा रहा है।

जनपद इलाहाबाद स्थित अवन्तिका कालोनी के लोगों का धन एक ठग व्यापारी द्वारा लेकर फरार हो जाने के सम्बन्ध में श्री (डा0) नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि शिवशक्ति होम नीड्स के नाम से धनगैया पुत्र सुन्दरम सरवई द्वारा श्री लालजी पाटक पुत्र स्व0 रघुराज पाठक निवासी-एचआईजी-13, ए0डी0ए0 कालोनी, थाना-नैनी, इलाहाबाद के मकान नं0-एचआईजी-14, ए0डी0ए0 कालोनी, नैनी को किराये पर लेकर घरेलू सामान बेचने की दुकान खोली गई थी। उक्त दुकान के मालिक द्वारा ग्राहकों से रुपया जमा कराने की तिथि के 17 दिन बाद सामान दिया जाता था।

दिनांक 10-02-2004 को धनगैया ने अपनी उक्त दुकान नहीं खोली। आम चर्चा है कि वह पैसा लेकर भाग गया है। दुकान में पाया गया सामान दिनांक 10-02-2004 को थाना नैनी पर दाखिल कराया जा चुका है। इस संबंध में थाना नैनी पर मु0अ0सं0-53/2004, धारा-420 भा0दं0वि0 पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी की टहरोली तहसील में सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर मार्केट बनाये जाने के संबंध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी ....

[झांसी से जांच आख्या प्राप्त की गयी। जांच आख्या में अवगत कराया गया कि ग्राम टहरोली-किला में गाटा संख्या-384 रकबा 0.130 हे0 एवं गाटा संख्या-386 रकबा 0-514 हे0 पड़ाव दर्ज है, जो श्रेणी-6 की आकृषित भूमि है। मौके पर आंशिक हिस्से में ग्राम पंचायत सचिव का सरकारी निवास बना हुआ है, शेष भूमि रिक्त पड़ी है। गाटा संख्या-386 रकबा 0-514 हे0 में से चकबन्दी प्रपत्र-2 ए में वर्तमान में 26 डि0 पर आबादी "मकान" दर्ज है। चकबन्दी प्रक्रियाओं के बाद किशोरी लाल पुत्र रामदयाल 100x53 फुट पर मकान व बाड़ा बनाकर अवैध कब्जा, गया प्रसाद पुत्र रघुवर 50x30 पर मकान, राजाराम पुत्र मन्ने द्वारा 50x70 वर्ग फुट पर छपरा बनाकर 30x78 मौके पर खाली, 25x78 प्रमोद पुत्र मुन्ना लाल का मकान, इसी नम्बर पर प्राइमरी पाठशाला, इसी नम्बर के आंशिक भाग पर आदर्श जनप्रिय इण्टर कालेज, गुरदयाल पुत्र गुचे का इसी नम्बर पर लगभग 3 डि0 पर अवैध कब्जा है। खण्डहर व इसके बीच में रिक्त भूमि में ग्राम सभा टहरौली द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी से इस्टीमेट स्वीकृत कराकर पांच दुकानों का निर्माण दिसम्बर, 2003 में किया गया और इसी से लगी हुई भूमि पर 22 दुकानों का निर्माण श्री धन सिंह पुत्र रामदयाल ने कराया है जो कि अवैध निर्माण है।

गाटा संख्या-270 जो राजस्व अभिलेखों में "मरघट" के रूप में दर्ज है में सन् 1407 रु0 में चकबन्दी अधिकारी झांसी मु0 नं0-488, दिनांक 6-8-98 के तारा मोहन बनाम सरकार ग्राम टहरोली परगना व तहसील टहरोली के आकार पत्र-45 के खाता संख्या-595 मरघट के नवीन गाटा संख्या-270 मि0 रकबा 0-65 डि0 को खारिज करके मोहन पुत्र बलू निवासी-ग्रामी के नाम बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। परवाना-नियम-109 नायब तहसीलदार चकबन्दी द्वारा अमलदरामद कराया गया। इस आदेश से मोहन पुत्र बलू का नाम दर्ज हुआ था जिसका लाभ उठा कर 10 व्यक्तियों को प्लाट बनाकर विक्रय कर दिया गया था परन्तु जांच उपरान्त पुनः चकबन्दी अधिकारी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 16-7-2003 के अनुपालन में नियम-109 के वाद संख्या-488 में पारित आदेश दिनांक 6-8-98, 5-7-2000, 17-3-2001 निरस्त कर दिया गया है तथा नवीन गाटा संख्या-270 मि0 रकबा 0-65 डि0 मोहन पुत्र बलू निवासी ग्रामी के नाम से खारिज होकर आकार पत्र-45 के खाता संख्या-595 मरघट के नाम दर्ज किया गया है। जिसके क्रम में पुनः अभिलेख संशोधित कर दिये गये हैं। श्री मोहन पुत्र बलू द्वारा प्लाटिंग करके जो भूमि बेची गयी थी उसके क्रेताओं द्वारा अधिकांश हिस्सों में निर्माण कर लिया गया है। कोई नया निर्माण इस गाटा संख्या में नहीं हो रहा है।

आराजी नम्बर-125 रकबा 202 जो अम्बेडकर पार्क के रूप में है मौके पर खाली है। गाटा संख्या-136 रकबा 0-138 "पटार" दर्ज है। चकबन्दी प्रक्रिया के बाद चार व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करके मकान बनाये गये हैं। कोई नगर अतिक्रमण नहीं हो रहा है।

गाटा संख्या-138 रकबा 0-097 पर आबादी बनी है जो चकबन्दी के बाद की है कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

गाटा संख्या-137 रकबा 0-032 हे0 आबादी के रूप में दर्ज है। मौके पर आबादी है।

गाटा संख्या-139 रकबा 0-121 हे0 आबादी के रूप में दर्ज है।

गाटा संख्या-199 रकबा 0-040 हे0 आबादी के रूप में दर्ज है।

गाटा संख्या-202 रकबा 0-004 हे0 सड़क के रूप में दर्ज है।

गाटा संख्या-348 रकबा 0-077 हे0 आबादी के रूप में दर्ज है।

गाटा संख्या-350 रकबा 0-032 हे0 कन्या पाठशाला के रूप में दर्ज है।

गाटा संख्या-211 रकबा 0-454 हे0 खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। मौके पर अतिक्रमण है। कोई नया अतिक्रमण नहीं हो रहा है।

गाटा संख्या-349 रकबा 0-016 हे0 खाद के गढ़ा के रूप में दर्ज है। इस पर अतिक्रमण है लेकिन कोई नया अतिक्रमण नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त वर्णित मामलों में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें विचाराधीन बताये गये हैं। पूरे मामले को गहराई में जांच कर अवैध कब्जेदारों तथा ग्राम सभा की भूमि पर इन अवैध कब्जों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये जा रहे हैं।]

जनपद फतेहपुर में बिना विधायक की संस्तुति के विधायक निधि का इस्तेमाल किये जाने सम्बन्ध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक माननीय सदस्य .....[

[विधान सभा द्वारा उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 10-2-2004 में मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन बिन्दु उठाये हैं :-

(1) उनकी विधायक निधि का सही लेखा-जोखा जनपद मुख्यालय से नहीं मिल रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) गत वर्ष पूर्व निधि से दिया गया धन ग्राम सभा या अन्य विकास कार्य हेतु सिस्टमेटिक ढंग से अवमुक्त नहीं किया गया है।

(3) विधायक निधि से बिना उनकी संस्तुति के यू0पी0एस0आई0सी0 कानपुर को लगभग 8.00 लाख रुपया गलत ढंग से अवमुक्त कर दिया गया जिससे क्षेत्र के विकास में अवरोध उत्पन्न होने से लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

2-मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर से आख्या प्राप्त की गयी। मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त तीनों बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

बिन्दु-1 के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 सदस्य को उनकी निधि द्वारा प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों की सूचना उन्हें उपलब्ध करायी गयी है।

बिन्दु-2 के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर ने सूचित किया है कि वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में मा0 सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्यों पर ही धनराशि व्यय की गयी है तथा धनराशि नियमानुसार अवमुक्त की गयी है।

बिन्दु-3 के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर ने यह अवगत कराया है कि मा0 सदस्य ने विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम को निम्नलिखित 05 कार्य अपने पत्र दिनांक 07-11-2002 द्वारा प्रस्तावित किये :-

1-रिटेनिंग वाल निर्माण बागवान बिहारी मन्दिर मौहार।

2-ग्राम कोरसम में पुलिया से प्रधान जी के घर होते हुए परिहार भवन तक सी0सी0 मार्ग।

3-कोरसम मुख्य मार्ग से प्राथमिक पाठशाला तक सी0सी0 मार्ग।

4-कोरसम में निर्मित पुलिया से काली जी मन्दिर राम जानकी मन्दिर होते हुए शंकर भगवान के मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग।

5-कोरसम में पी0सी0 रोड से बलजीत सिंह के घर होते हुए शंकर भगवान के मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग।

उक्त कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त प्राक्कलनों का जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर परीक्षण कराकर धनराशि की स्वीकृति दिनांक 22-11-2002 को स्वीकृत लागत रु0 25.31 लाख के सापेक्ष रु0 18.981 लाख निर्गत की गयी है। उक्त 05 कार्यों में से क्रमांक-2 व 5 पर अंकित कार्यों को संशोधित करने का अनुरोध मा0 सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 14-3-2003 द्वारा किया था, जिसके क्रम में उक्त कार्यों हेतु संशोधित स्वीकृति दिनांक 24-10-2003 को निर्गत की गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त 02 कार्यों की पूर्व में लागत रु0 12.57 लाख थी जो संशोधन के उपरान्त बढ़कर धनराशि

रु0 17.82 लाख हो गयी। इस प्रकार इन 02 कार्यों पर रु0 5.25 लाख की अधिक लागत आ गयी। मा0 सदस्य द्वारा कार्यों में संशोधन न करने का अनुरोध अपने पत्र दिनांक 20-1-2004 द्वारा किया गया था जिसके क्रम में संशोधित प्रस्तावों से सम्बन्धित अधिक धनराशि वापस करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फतेहपुर द्वारा दिनांक 22-1-2004 को निर्गत किये गये हैं जिसकी सूचना मा0 सदस्य विधान सभा को भी प्रेषित कर दी गयी है। इस प्रकार मा0 सदस्य विधान सभा की संस्तुति के अनुसार कार्य हेतु धन कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया है।]

श्री उपाध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 56 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 16 फरवरी, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0-4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 04 के पहले सोमवार के लिये डा0 रामबाबू हरित, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-4 के उत्तर हेतु अनुपूरक सामग्री।

उत्तरांचल राज्य की नगरीय निकायों को छोड़कर प्रदेश की 11 नगर निगमों, 195 नगरपालिका परिषदों तथा 417 नगर पंचायतों में नागरिक चार्टर लागू करने की कार्यवाही की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार, विभिन्न सेवाओं हेतु प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण, पारदर्शिता तथा नागरिकों की सहभागिता तथा फीड बैक है।

2-नगर विकास विभाग द्वारा नागर निकायों (जिसमें 11 नगर निगम, 195 नगर पालिका परिषदें तथा 417 नगर पंचायतें शामिल हैं) के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः निम्नवत् सेवाएं प्रदान की जाती हैं :-

क-जन स्वास्थ्य सेवाएं।

ख-सार्वजनिक निर्माण का कार्य।

ग-जलापूर्ति एवं सीवरेज का कार्य।

घ-मानचित्र स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य।

च-अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों हेतु लाइसेन्स निर्गत करने का कार्य।

छ-विज्ञापनों के प्रदर्शनी की अनुमति का कार्य।

ज-नागरिक क्षेत्रों में अधिसूचित सार्वजनिक उत्सवों/धार्मिक पर्वों/महोत्सवों/मेलों इत्यादि के अवसर पर आवश्यकतानुसार सफाई, पहुंच मार्ग/जुलूस मार्ग की मरम्मत तथा उस पर पथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था का कार्य।

झ-नगरीय क्षेत्र में समय-समय पर जनगणना, पशुगणना, आर्थिक गणना, निर्वाचक नामावलियों का पुनर्रीक्षण, राशन कार्डों का सत्यापन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का सर्वे आदि का कार्य।

ट-राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0 प्र0 (सूडा) द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम तथा स्वच्छ कार्य विमुक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना इत्यादि के कार्यान्वयन में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कार्य।

ठ-नगरीय निकाय द्वारा संचालित चिकित्सालयों तथा विद्यालयों का प्रबन्धन व रख-रखाव का कार्य।

ड-वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था का कार्य।

ढ-सार्वजनिक स्थलों पर जाड़ों में अलाव तथा गर्मियों में पियाऊ की व्यवस्था का कार्य।

3-प्रश्नगत संशोधित नागरिक चार्टर में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत नगर विकास विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में प्रत्येक कार्य के करने की एक निर्धारित प्रक्रिया बनाई गई है। जिसके अनुसार ही नागर निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य निष्पादित करने के निर्देश हैं और उन्हें किसी भी तरह की शिथिलता बरतने वाले/रुचि न लेने वाले/प्रभावी कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर उसे स्वीकार करने और उसके निस्तारण के संबंध में ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उन्हें दण्डित करने की व्यवस्था की गई है।

4-शिकायत प्राप्त करने की प्रक्रिया को मुख्यतः तीन चरणों में स्पष्ट रूप से विभक्त किया गया है। प्रत्येक चरण में शिकायत दर्ज करने हेतु एक प्रारूप निर्धारित किया गया है। जिस पर शिकायतकर्ता के शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था है। तत्पश्चात् शिकायत के प्रत्येक चरण पर कार्यवाही करने की कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई है कि अन्ततः शिकायतकर्ता की बात सत्य पाये जाने की दशा में नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी संबंधित कर्मचारी/अधिकारी दण्ड के भागी होंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0-59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33.पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 04 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री चौ0 विजेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-59 के उत्तर के साथ संलग्न सूची।

क्र0सं0	आवंटी/भवन स्वामी का नाम	पता	वर्तमान प्रयोग
1	2	3	4
गोमती नगर योजना में आवासीय भवनों में संचालित बैंकों की सूची :-			
1	श्री विजय कुमार दत्त व श्रीमती पुनम दत्त	2/9ए, विजय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	यू0 बैंक आफ इण्डिया
2	मो0 हसीम	1/1 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	पंजाब नेशनल बैंक
3	श्रीमती माया जायसवाल पत्नी श्री अजय जायसवाल	2/1 विजय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	सिटी कोआपरेटिव बैंक
4	श्री दीपक रस्तोगी	2/9 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स
5	श्री गोमती यादव	1/33ए, विजय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	विजया बैंक
6	श्रीमती उषा शुक्ला	2/46 विजय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	अवध ग्रामीण बैंक
7	श्रीमती रीता शर्मा	1/5 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	इलाहाबाद बैंक
8	श्री जे0 पी0 शुक्ला	1/8ए, विश्वास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	यूको बैंक
9	श्री पी0सी0 चतुर्वेदी	1/14 विश्वास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	इण्डियन मरकन्टाइल बैंक
10	श्री डी0 के0 मित्तल	4/11 विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	केनरा बैंक
11	श्री लोकपति त्रिपाठी	2/103 विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	भारतीय स्टेट बैंक
12	श्रीमती कमला देवी	2/40 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	कार्पोरेशन बैंक

अतारांकित प्रश्नोत्तर सभा

1	2	3	4
13	श्री भगवान खन्ना	2/429 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	राजधानी नगर सहकारी बैंक
14	श्री आर0एन0 पाण्डेय	2/10 विनीत खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	बैंक आफ महाराष्ट्र
15	श्री एस0 पी0 राय	4/28 विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	विजया बैंक
16	श्री सी0एम0एस0	विशाल खण्ड-2 गोमती नगर, लखनऊ।	इलाहाबाद बैंक
17	श्री ए0 के0 मिश्रा	1/13 सी, विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	भारतीय स्टेट बैंक
18	श्रीमती सुमन सिंह	3/6 विनय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	अवध ग्रामीण बैंक
19	श्री गौतम अरोड़ा	3/107 विनय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	देना बैंक
20	श्री पी0 आर0 शुक्ला	1/64 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	इण्डियन ओवरसीज बैंक
21	श्री एस0सी0 मिश्रा	1/6 विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	सिंडीकेट बैंक
22	श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर	4/31 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	कार्पोरेशन बैंक का ए0टी0एम0
23	श्री वी0 एस0 वाधवा	4/191 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	एस0बी0आई0 का ए0टी0एम0
24	श्रीमती शशि तिवतिया	4/4 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	एस0बी0आई0 का ए0टी0एम0
25	श्री गौरी शंकर	5/34 विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	इण्डसइन्ड बैंक का ए0टी0एम0
26	श्री राम दत्त त्रिपाठी	3/81 विनय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
27	श्री राम औतार यादव	4/1 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	यू0टी0आई0 बैंक का ए0टी0एम0
28	प्रबन्धक मेसर्स डायमण्ड स्टोन एण्ड क्रशर्स	3/64 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक

अलीगंज योजना में आवासीय भवनों में संचालित बैंकों की सूची :-

1	श्री अब्दुल मजीद	39 चन्द लोक, अलीगंज, लखनऊ	ओरियन्टल बैंक
2	श्री गोपीनाथ यादव	सी-1 सेक्टर-एफ, अलीगंज, लखनऊ	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3	श्री हरजीत सिंह	ए-6 सेक्टर-एफ, अलीगंज, लखनऊ	सिटी कोआपरेटिव बैंक
4	श्री के0 एल0 भाटिया	ए-15 सेक्टर-एफ, अलीगंज, लखनऊ	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
5	श्री के0 के0 मेहरोत्रा	ए-1/9 सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ	यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक
6	श्री आर0सी0 बरौनियां	बी-22 सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ	बैंक आफ महाराष्ट्र
7	श्री एम0आर0 गुलाटी	बी-5/18 सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ	अरबन कोआपरेटिव बैंक
8	श्री आर0एन0 त्रिवेदी	बी 1/5 सेक्टर-एल अलीगंज, लखनऊ	भारतीय स्टेट बैंक
9	श्री बी0डी0 राय	एम0एम0एस02/13 सेक्टर-सी सीतापुर रोड योजना कुर्सी रोड	बैंक आफ इण्डिया

गोमती नगर योज्ना में आवासीय भवनों में संचालित गेस्ट हाउस/बारातघर/पार्टी लान की सूची :-

1	फूलचन्द्र राम	3/186 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	चन्द्रा गेस्ट हाउस
2	मो0 मसउद	3/162, विकास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	गेस्ट हाउस
3	श्री आर0 ए0 प्रसाद	1/1 विकास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	डीलक्स गेस्ट हाउस
4	श्री राम भवन	2/390 विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	राम भवन
5	श्री बी0एच0 फारूकी व श्री के0 एच0 फारूकी	3/249, 3/250 विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	मिलाप गेस्ट हाउस
6	श्री गौरी शंकर	5/34 विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	सौभाग्य गेस्ट हाउस
7	श्री बी0बी0 सिंह	4/525 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	वंशिका गेस्ट हाउस
8	श्री मनोज मिश्रा	विश्वास खण्ड-3/5 गोमती नगर, लखनऊ।	शिवा गेस्ट हाउस

अलीगंज योजना में आवासीय भवनों में संचालित गेस्ट हाउस/बारातघर की सूची :-

1	श्री स्याव यू0फा0	ए-1/3, सेक्टर-सी लखनऊ	अलीगंज,	अभिनन्दन गेस्ट हाउस
2	श्री एस0एन0 खन्ना	सेक्टर-बी-1/बी-68	अलीगंज,	आशीर्वाद गेस्ट हाउस लखनऊ
3	श्री मुहम्मद सिद्दीकी	39, चन्द्रलोक, अलीगंज, लखनऊ		राजस्थान गेस्ट हाउस
4	श्री जगदीश नारायण बाजपेई	ए-8 सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ		पैराडाइज बैक्वेट हाल
5	श्री रंजीत सिंह	ए-1/20 सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ		गणेश गेस्ट हाउस
6	श्री महेन्द्र सिंह	19, रविन्द्र गार्डेन अलीगंज, लखनऊ		झंकार विवाह मण्डल
7	नितनेश चतुर्वेदी	जी/ए-4 सेक्टर-जी लखनऊ	अलीगंज,	सुमधुट लॉन एवं गेस्ट हाउस

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 67 विधान सभा (135)-20-7-2004-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।